





वार्षिक रिपोर्ट

— 2020-21 —

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो




विषय – सूची

सूची		पृष्ठ सं.
सामान्य		05
1.1	मिशन	06
1.2	बीईई के उद्देश्य और उसकी भूमिका	06
1.3	शासी परिषद की संरचना	08
1.4	महानिदेशक का प्रतिवेदन	10
1.5	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएं	12
1.6	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता	54
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग		61
2.1	अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम	62
2.2	अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम	71
ब्यूरो का लेखा		79
3.1	पूंजीगत संरचना	80
3.2	वित्तीय परिणामों का सार	80
3.3	ब्यूरो की कामकाज में सुधार या मज़बूती लाने के लिए उठाए कदम	80
3.4	खातों का वार्षिक विवरण	80
प्रशासन		117
4.1	शिकायत निवारण	118
4.2	सूचना का अधिकार अधिनियम	118
4.3	अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	118
4.4	अल्पसंख्यकों का कल्याण	118
4.5	राजभाषा का कार्यान्वयन	119
4.6	सतर्कता	119
4.7	दिव्यांगजनों का कल्याण	119



1. सामान्य

- 1.1 मिशन
- 1.2 बीईई के उद्देश्य व उसकी भूमिका
- 1.3 शासी परिषद संरचना
- 1.4 महानिदेशक का प्रतिवेदन
- 1.5 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएँ
- 1.6 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार व चित्रकला प्रतियोगिता



1.1 मिशन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन स्व-विनियमन और बाजार के सिद्धांतों पर बल देने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा की खपत को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (इसी अधिनियम) की समग्र रूपरेखा के भीतर नीति व कार्यनीतियों का विकास करना है। इसे सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से हासिल किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में दक्षता में तेजी व स्थिरता आएगी।

1.2 बीईई के उद्देश्य और उसकी भूमिका

बीईई के उद्देश्य

- हितधारकों की भागीदारी के साथ ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर नीतियां और कार्यक्रम विकसित करना।
- इसी अधिनियम में परिकल्पित ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों की योजना, प्रबंधन और कार्यान्वयन करना।
- नेतृत्व ग्रहण करना और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता और संरक्षण प्रयासों और कार्यक्रमों को नीतिगत ढांचा और दिशा प्रदान करना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से इसी अधिनियम में परिकल्पित ऊर्जा दक्षता वितरण तंत्र का प्रदर्शन करना।
- अलग-अलग क्षेत्रों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता परिणामों को मापने, निगरानी करने और सत्यापित करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और निजी क्षेत्र के समर्थन का लाभ उठाना।
- ऊर्जा बचत और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

बीईई की भूमिका

बीईई ऊर्जा संरक्षण अधिनियम द्वारा और उसके तहत ब्यूरो को सौंपे गए कार्यों को करने में मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे को पहचानने और उपयोग करने के लिए ऊर्जा संरक्षण/दक्षता के क्षेत्र में काम कर रही नामित एजेंसियों, नामित उपभोक्ताओं और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

अधिनियम निम्नलिखित के लिए नियामक अधिदेश प्रदान करता है: उपकरण और उपकरणों के मानक और लेबलिंग; वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता; और ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत मानदंड।

देश में ऊर्जा दक्षता के लगातार विकसित हो रहे क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए बीईई को बेहतर ढंग से लैस करने के लिए आवश्यक कुछ अतिरिक्त प्रावधानों को शामिल करने के लिए इसी अधिनियम में 2010 में संशोधन किया गया था।




मूल अधिनियम में किए गए मुख्य संशोधन नीचे दिए गए हैं:

- केंद्र सरकार उन नामित उपभोक्ता को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकती है, जिनकी ऊर्जा खपत निर्धारित मानदंडों और मानकों से कम है, जैसा कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।
- नामित उपभोक्ता जिसकी ऊर्जा खपत निर्धारित मानदंडों और मानकों से अधिक है, निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन करने के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र खरीदने का हकदार होगा।
- केंद्र सरकार, ब्यूरो के परामर्श से, खपत की गई ऊर्जा के बराबर प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य निर्धारित कर सकती है
- वाणिज्यिक भवन जिनका कनेक्टेड लोड 100 kW है या 120 kVA और उससे अधिक की अनुबंध मांग है, उन्हें इसी अधिनियम के तहत इसीबीसी के दायरे में लाया गया है।

प्रचार संबंधी भूमिका

बीईई की प्रचार संबंधी भूमिका में प्रमुख कार्य शामिल हैं:

- ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना और सूचना का प्रसार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए तकनीकों में कार्मिकों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।
- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं का विकास करना और परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना।
- पायलट परियोजनाओं और प्रदर्शन परियोजनाओं को तैयार करना और उनके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना।
- ऊर्जा दक्षता प्रक्रियाओं, उपकरणों, डिवाइस और प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा दक्ष उपकरण या उपकरणों के उपयोग के लिए वरीयता उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाना।
- ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के अभिनव वित्तपोषण को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों को लागू करना।



1.3 शासी परिषद की संरचना

ब्यूरो का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का कार्य शासी परिषद के पास निहित है, जिसमें कम से कम बीस और अधिकतम छब्बीस सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

शासी परिषद के निम्नलिखित सदस्य हैं :-

- | | |
|--|--------------|
| (क) विद्युत से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी मंत्री | — पदेन सदस्य |
| (ख) सचिव, भारत सरकार, विद्युत से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी | — पदेन सदस्य |
| (ग) सचिव, भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी | — पदेन सदस्य |
| (घ) सचिव, भारत सरकार, कोयले से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी | — पदेन सदस्य |
| (ङ) सचिव, भारत सरकार, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी | — पदेन सदस्य |
| (च) सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी | — पदेन सदस्य |
| (छ) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामलों से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी | — पदेन सदस्य |
| (ज) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अध्यक्ष | — पदेन सदस्य |
| (झ) केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक | — पदेन सदस्य |
| (ञ) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का कार्यपालक निदेशक | — पदेन सदस्य |
| (ट) केंद्रीय खनन योजना एवं अभिकल्पन संस्थान लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | — पदेन सदस्य |
| (ठ) भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक | — पदेन सदस्य |
| (ड) राष्ट्रीय परीक्षणशाला, पूर्ति विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के महानिदेशक | — पदेन सदस्य |
| (ढ) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लि. के प्रबंध निदेशक | — पदेन सदस्य |
| (ण) विद्युत क्षेत्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच विद्युत क्षेत्रों से प्रत्येक एक सदस्य, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है | — सदस्य |



- (त) ऐसे व्यक्तियों, जो केंद्रीय सरकार की राय में समर्थ हों या उद्योग, उपकरण और उपस्कर विनिर्माताओं, वास्तुकारों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, में से सदस्यों के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे सदस्यों की संख्या, चार से अधिक नहीं, जो भी निर्धारित की जाए – सदस्य
- (थ) सदस्यों के रूप में शासी परिषद द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या दो से अधिक नहीं – सदस्य
- (द) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक – पदेन सदस्य, सचिव




1.4 महानिदेशक का प्रतिवेदन

- भारत दुनिया के देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसने ऊर्जा खपत में तेजी से वृद्धि देखी है। ऊर्जा की खपत में वृद्धि मुख्य रूप से तेजी से आर्थिक विकास, सस्ती ऊर्जा तक पहुंच, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के निर्माण और ऊर्जा के अन्य अंतिम उपयोगों के लिए जिम्मेदार है।
- हाल के वर्षों में, भारत वैश्विक जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है।
- ऊर्जा आपूर्ति वृद्धि को आर्थिक विकास से अलग करने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता आवश्यक है और ऊर्जा सेवा की मांगों को पूरा किया जा सके।
- परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक का उद्देश्य ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। जीएचजी गैस उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा बचत की दिशा में कार्यक्रम का प्रमुख योगदान है। 2019 में पूरा हुआ पीएटी चक्र-I, पीएटी चक्र-II की सफलता के साथ, जिसके परिणामस्वरूप 14.08 मिलियन टन तेल समतुल्य एमटीओई की ऊर्जा बचत हुई है, जिससे लगभग 70 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचाया जा सका है।
- औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के उद्देश्य से, बीईई ने पीएटी योजना के विभिन्न हितधारकों के लिए “उपयोगकर्ता नियमावली” विकसित की। प्रमुख हितधारकों के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित उपयोगकर्ता नियमावली निश्चित रूप से पीएटी योजना के प्रभावी और दक्ष कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने में उपयोगी होगी।
- लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए बीईई ने “ईट निर्माण क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता उद्यम (ई3) प्रमाणन कार्यक्रम” विकसित किया है। कार्यक्रम का समग्र दृष्टिकोण मांग पैदा करने और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन बाजार आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मिट्टी की ईट के निर्माण उद्योग में ऊर्जा और संसाधन दक्ष प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण में तेजी लाना है और साथ ही एक लचीले और हरित आर्थिक विकास मार्ग के अनुरूप कुशल रोजगार के अवसरों, विनिर्माण निवेश और पर्यावरणीय लाभों को अधिकतम करने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को पूरा करना है।
- ऊर्जा के निरंतर संरक्षण और बचत के प्रयास में, बीईई ने अन्य क्षेत्रों में पीएटी योजना के विस्तार और भविष्य में लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए इसी तरह के कार्यक्रम के विकास की परिकल्पना की है।
- उपकरण क्षेत्र में, बीईई का मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम उपभोक्ता को ऊर्जा गहन उपकरणों और उपस्करों के बारे में एक सूचित विकल्प प्रदान करने में बहुत सफल रहा है। यूएचडी टीवी और एयर कंप्रेसर के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम 11 जनवरी, 2021 को शुरू किया गया था।



इनके अतिरिक्त, कार्यक्रम में अब 28 उपकरण शामिल हैं, जिनमें से 10 उपकरण अनिवार्य व्यवस्था के तहत हैं जबकि शेष 18 उपकरण स्वैच्छिक व्यवस्था के तहत हैं। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 65 बिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई।

- नए वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अद्यतन ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) विकसित किया गया है। ऊर्जा दक्षता के निर्माण का कार्यान्वयन राज्य और स्थानीय स्तर पर नगरपालिका उप-नियमों में इसके एकीकरण के माध्यम से निहित है। अप्रैल, 2021 तक, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने राज्यों में ईसीबीसी को अधिसूचित किया है और 8 राज्यों के 48 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) ने अनुमोदन प्रक्रिया के निर्माण के लिए ईसीबीसी के प्रावधानों को शामिल किया है।
- हरित परिवहन क्षेत्र के उद्देश्य से, बीईई कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है, अन्य बातों के साथ, शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करना, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता आदि। इस संबंध में देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना गया।
- "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर – दिशानिर्देश और मानक" 14.12.2018 को जारी किए गए थे जिन्हें 01.10.2019 को और उसके बाद 08.06.2020 को संशोधित किया गया था (इस संशोधन में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन शामिल हैं)।
- पारंपरिक से इलेक्ट्रिक वाहनों में संक्रमण के लिए माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने माननीय विद्युत मंत्री की उपस्थिति में 19 फरवरी, 2021 को भारत में ई-मोबिलिटी और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए "गो इलेक्ट्रिक" अभियान शुरू किया। उद्घाटन में "गो इलेक्ट्रिक" लोगो का अनावरण देखा गया जो ई-मोबिलिटी इको-सिस्टम के विकास को दर्शाता है।
- बीईई ने 11 जनवरी, 2021 को 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर माननीय विद्युत मंत्री मुख्य अतिथि थे। वर्चुअल इवेंट में 409 संगठनों ने हिस्सा लिया जिन्होंने सामूहिक रूप से 3007 मिलियन यूनिट की बचत का लक्ष्य हासिल किया।
- राज्यों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए, वार्षिक लक्ष्यों पर राज्य-वार कार्रवाई और ऊर्जा दक्षता (साथी) पोर्टल पर शीर्ष 11 जनवरी, 2021 की शुरुआत की गई। यह राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) के लिए एक इंटरैक्टिव वेब पोर्टल है और पूरे देश में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जा रही ऊर्जा दक्षता गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति को पकड़ने में सहायक होगा।



- बीईई ने मीडिया (डिजिटल, प्रिंट और टेलीविजन) के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक कार्य किया है। जागरूकता गतिविधियों में टीवी विज्ञापन शामिल हैं जो उपभोक्ताओं को बीईई स्टार रेटेड उपकरण खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऊर्जा दक्ष उपकरणों के सही उपयोग के सम्बंध में जागरूकता सम्बंधी रचना बीईई के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा दी गई।
- वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान ऊर्जा दक्षता पर विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव को उजागर करने वाली स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट, का शुभारंभ मार्च, 2021 में माननीय विद्युत मंत्री द्वारा किया गया था, जिसमें निम्न था :
 - ★ 87,019 करोड़ रुपए मूल्य की 145.03 अरब यूनिट की विद्युत ऊर्जा की बचत और 45.22 गीगावाट क्षमता का कम उत्पादन किया गया
 - ★ 15.59 मिलियन टन तेल की ऊष्मीय ऊर्जा बचत 28,683 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर है
 - ★ कुल ऊर्जा बचत 28.06 मिलियन टन तेल के समतुल्य अर्थात देश की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 3.03% है
 - ★ लगभग 115,702 करोड़ रुपये की कुल लागत बचत।
 - ★ CO2 उत्सर्जन में कुल कमी लगभग 177.6 मिलियन टन है
 - ★ निजी उद्योग द्वारा बेचे गए एलईडी बल्बों सहित कुल CO2 की कमी 310 मिलियन टन है।
- महामारी के कारण अभूतपूर्व चुनौतियां का सामना करना पड़ा है और विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए मांग को पूरा करने के लिए बिजली की स्थिर, सस्ती, टिकाऊ और निर्बाध आपूर्ति का महत्व समझ आया है। महत्वपूर्ण है कि वैश्विक समुदाय विशेष रूप से विकासशील और कम विकसित देश इस संकट से उबर सकें, यह स्पष्ट है कि ऊर्जा दक्षता कोविड19 के इस कठिन समय में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में प्रगति का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

1.5 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएं

1.5.1 संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई)

राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईईई) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है, जिसे भारत सरकार द्वारा जून, 2008 में जारी किया गया था। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे नियम और नीतियां विकसित करना है जो ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूत करने में सहायक हों। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एनएमईईईई का जोर निम्नलिखित चार पहलों को लागू करके स्व-विनियमन और बाजार सिद्धांतों पर है।



- (i) **निष्पादन उपलब्धि और व्यापार योजना (पीएटी) योजना** – जिसका उद्देश्य ऊर्जा गहन क्षेत्रों में विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) को कम करना है।
- (ii) **ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन (एमटीईई)** – ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग के लिए बाजार के परिवर्तन का लक्ष्य
- (iii) **ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच (ईईएफपी)** – ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण पर वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करना है।
- (iv) **ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास (एफईईडी) के लिए ढांचा** – ऊर्जा दक्षता (ईई) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्त का लाभ उठाने के लिए वित्तीय साधनों का विकास करना।

एनएमईईई की चार पहलों की स्थिति इस प्रकार है :-


(i) निष्पादन उपलब्धि और व्यापार योजना (पीएटी)


पीएटी एक तंत्र है जिसे ऊर्जा गहन क्षेत्रों में आवश्यक ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऊर्जा गहन उद्योग क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानदंड और मानक बीईई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। चुनिंदा ऊर्जा गहन संस्थाओं की पहचान कुछ प्रमुख क्षेत्रों में नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में की जाती है, जिन्हें ऊर्जा संरक्षण (ईसी) अधिनियम, 2001 के तहत बनाए गए अधिसूचित मानदंडों, नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है। मानदंड प्राथमिक रूप से विशिष्ट ऊर्जा खपत पर आधारित हैं। ये मानक मुख्य रूप से सीमेंट, लोहा और इस्पात आदि जैसे विनिर्माण क्षेत्रों में विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) और रेलवे व डिस्कॉम जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के लिए अन्य संबंधित मीट्रिक पर आधारित हैं।

इसमें आधारभूत वर्ष में विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) आदि का आकलन और लक्ष्य वर्ष में अनुमानित एसईसी शामिल है, जिसमें संयंत्र की सीमा में जाने वाली शुद्ध ऊर्जा के विभिन्न रूपों और इसे एक विशेष चक्र पर छोड़ने वाले उत्पादों को शामिल किया गया है। पीएटी, 3 वर्षों के प्रत्येक चक्र के साथ एक बहु-चक्र कार्यक्रम है जिसमें एसईसी कटौती लक्ष्य औद्योगिक इकाइयों को निर्दिष्ट किए गए हैं जिन्हें नामित उपभोक्ता (डीसी) कहा जाता है।

चूंकि, पीएटी कार्यक्रम एक बाजार आधारित तंत्र है, अतिरिक्त ऊर्जा बचत को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईएससर्ट्स) नामक एक व्यापार योग्य साधन में परिवर्तित किया जाता है जिसे पावर एक्सचेंजों में कारोबार किया जा सकता है।

'पीएटी चक्र-II' जिसे मार्च, 2016 में अधिसूचित किया गया था, जिसमें 11 क्षेत्रों के 621 डीसी शामिल हैं, जिनमें आठ मौजूदा क्षेत्र और तीन नए क्षेत्र शामिल हैं। रेलवे, रिफाइनरी और डिस्कॉम ने इस चक्र को 31 मार्च, 2019 को पूरा किया। ऊर्जा बचत का सत्यापन और मूल्यांकन 2020-21 में पूरा किया गया। पीएटी चक्र-II के कार्यान्वयन से लगभग 14.08 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत हुई है। यह ऊर्जा बचत लगभग 66.01 मिलियन टन CO₂ के उत्सर्जन से बचने के बराबर है।





पीएटी चक्र-II से अनुमानित कुल मौद्रिक बचत लगभग 31445 करोड़ रुपये है और डीसी ने ऊर्जा बचत हासिल करने के लिए कुल लगभग 43721 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ऊर्जा बचत, निवेश की रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ-साथ CO2 उत्सर्जन में कमी सहित पीएटी चक्र-II के विस्तृत परिणाम को बीईई द्वारा **“उद्योग क्षेत्र में त्वरित परिवर्तन के लिए मार्ग”** के रूप में प्रलेखित किया गया था और 1 मार्च, 2021 को माननीय मंत्री द्वारा जारी किया गया था।

पीएटी चक्र II के बाद, पीएटी चक्र III, IV, V और VI क्रमशः 2017, 2018, 2019 और 2020 में अधिसूचित किए गए थे। **‘पीएटी चक्र-III’** जिसे अप्रैल, 2017 में एक रोलिंग चक्र के रूप में अधिसूचित किया गया था (पीएटी चक्र-III से शुरू होने वाले हर साल डीसी/क्षेत्रों की अधिसूचना) 31 मार्च, 2020 को पूरा किया गया था, इस चक्र के तहत प्राप्त ऊर्जा बचत का सत्यापन 116 तक अधिसूचित डीसी प्रगति पर हैं। पीएटी चक्र-III का लक्ष्य 1.06 एमटीओई की समग्र ऊर्जा खपत में कमी लाना है।

‘पीएटी चक्र-IV’ अप्रैल, 2018 से शुरू हुआ। पीएटी चक्र-IV के तहत कुल कमी लक्ष्य 0.6998 एमटीओई के साथ कुल 106 डीसी को अधिसूचित किया गया था। ये डीसी 8 सेक्टरों से थे जिनमें पीएटी चक्र-1 के 6 मौजूदा सेक्टर और दो नए सेक्टर अर्थात् पेट्रोकेमिकल्स और वाणिज्यिक भवन (होटल) शामिल थे।

‘पीएटी चक्र-V’ अप्रैल, 2019 से शुरू हुआ था। पीएटी चक्र-V के तहत, पीएटी के मौजूदा क्षेत्रों अर्थात् एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, वाणिज्यिक भवन (होटल), लोहा और इस्पात, लुगदी और कागज, टेक्सटाइल और थर्मल पावर प्लांट के 110 डीसी को अधिसूचित किया गया। पीएटी चक्र-V का लक्ष्य 0.5130 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत हासिल करना है।

‘पीएटी चक्र-VI’ 1 अप्रैल, 2020 से शुरू हुआ था। पीएटी चक्र-VI के तहत, छह क्षेत्रों, यानी सीमेंट, वाणिज्यिक भवन (होटल), लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनरी, लुगदी और कागज और टेक्सटाइल से 135 डीसी अधिसूचित थे। पीएटी चक्र-VI के कार्यान्वयन के साथ, 1.277 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत हासिल करने की उम्मीद है।

बीईई ने 31 मार्च, 2020 तक कुल 1073 डीसी के साथ 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए छह पीएटी चक्र शुरू किए हैं। यह अनुमान है कि मार्च 2023 तक लगभग 110 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन से बचने के लिए लगभग 26 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत होगी।

नए क्षेत्रों की पहचान के लिए व्यवहार्यता अध्ययन:

पीएटी योजना के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, बीईई द्वारा रसायन, कांच, चीनी, सिरेमिक, अलौह धातु (जिंक और कॉपर) जैसे क्षेत्रों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन (चरण-1) आयोजित और पूरा किया गया था। चरण-1 में व्यवहार्यता अध्ययन ने नए क्षेत्र की थ्रेशोल्ड ऊर्जा खपत, ऊर्जा खपत, कुल ऊर्जा खपत में प्रतिशत हिस्सेदारी और नामित उपभोक्ताओं की संभावित संख्या के संदर्भ में परिणाम प्रदान किए जिन्हें पहचान की गई सीमा के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र से अधिसूचित किया जा सकता है।

व्यवहार्यता अध्ययन का चरण-2 भी शुरू किया जा रहा है और बीईई द्वारा डेयरी, खाद्य तेल, ब्रेवरीज और डिस्टिलरी, पेय पदार्थ (गैर-मादक), खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रेक्ट्रीज और भारी इंजीनियरिंग विनिर्माण/भारी उद्योग (फोर्ज और फाउंड्री) जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया।



संभावित आकलन अध्ययन:

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने पीएटी योजना के तहत सीमेंट, लुगदी और कागज, कपड़ा, क्लोर अल्कली, एल्यूमीनियम और स्पंज आयरन संयंत्रों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में संभावित मूल्यांकन अध्ययन किया है। इस तरह के अध्ययन का उद्देश्य आगे की क्षमता की पहचान करना था जो नामित उपभोक्ताओं के पास ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए है, जहां पिछले पीएटी चक्रों में ऊर्जा दक्षता के संभावित उपाय किए जा चुके हैं। इस अध्ययन को करने के पीछे मूल उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में मापने योग्य बेंचमार्क तक पहुंचना था ताकि ऊर्जा बचत और क्षमता का आकलन किया जा सके और बाद में पीएटी चक्रों में ऊर्जा बचत लक्ष्यों का निर्धारण किया जा सके।

मैट्रिक टन तेल समकक्ष की कीमत की अधिसूचना:

ऊर्जा संरक्षण नियम, 2012 (पीएटी नियम) के तहत एक मीट्रिक टन तेल समकक्ष की कीमत को अधिसूचित करना आवश्यक है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अधिसूचना जी.एस.आर. 779 (अ) दिनांक 14 दिसंबर, 2020 ने अधिसूचित किया है कि वर्ष 2018-19 के लिए प्रति मीट्रिक टन तेल के बराबर ऊर्जा की खपत अटारह हजार चार सौ दो रुपए है।


एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का आकलन:

अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय संचार और उत्सर्जन सूची की समीक्षा करना है। नवंबर-दिसंबर, 2015 के दौरान पेरिस में हुए सीओपी के इक्कीसवें सत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए "पेरिस समझौता" नामक एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके बाद, भारत सरकार ने 2015 में यूएनएफसीसीसी को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के प्रति देश की प्रतिबद्धता का समर्थन किया गया। भारत ने दिसंबर, 2015 में सीओपी21 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन वार्ता के दौरान भी सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने 2016 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की पुष्टि की, जिसके लिए सदस्य देशों पूर्व-औद्योगिक वर्षों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के बढ़ते वैश्विक औसत तापमान बनाए रखने के लिए CO₂ उत्सर्जन को रोकने के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता थी।

बीईई ने 2030 तक औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य प्रतिष्ठानों में भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है। अध्ययन कुल ऊर्जा खपत पैटर्न/ऊर्जा तीव्रता/सकल घरेलू उत्पाद आदि में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान पर आधारित होगा। अध्ययन का उद्देश्य प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठानों के ऊर्जा लक्ष्य अंतर को एनडीसी के साथ क्षेत्रों के यथार्थवादी आंकड़ों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन करना है।

थर्मल पावर प्लांटों का ऊर्जा मानचित्रण:

थर्मल पावर प्लांटों की दक्षता और प्रदर्शन अनुकूलन में सुधार के लिए और यूनिट में ताप दर विचलन अंतराल की पहचान करने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने कुछ सबसे अक्षम राज्य/केंद्रीय थर्मल पावर प्लांटों के ऊर्जा मानचित्रण का काम किया।



मानचित्रण अध्ययन में निम्नलिखित शामिल थे :

- क) प्रक्रिया, उप-प्रक्रिया, उपकरण आदि का प्रदर्शन मूल्यांकन।
- ख) प्रत्येक उपकरण के लिए डिजाइन की तुलना में ऑपरेटिंग पैरामीटर में अंतराल की पहचान।
- ग) मापदंडों के अपेक्षित मूल्यों और परिचालन मूल्यों की तुलना, जिससे गिरावट प्राप्त होगी।
- घ) पर्याप्त बचत उपाय विकसित करना।

अधिकांश अक्षम पावर प्लांटों का ऊर्जा मानचित्रण अध्ययन पूरा कर लिया गया है और एक डेटाबेस प्रदान किया है और व्यापक रूप से ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करता है। मानचित्रण रिपोर्ट में ऐसे उपायों का भी संकेत दिया गया है जो नियमित रूप से आरएंडएम उपाय करने से पहले संयंत्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए तुलनात्मक रूप से छोटे खर्च के साथ तुरंत किए जा सकते हैं।

पीएटी उद्योगों में उद्योग 4.0 को अपनाने की सुविधा:

औद्योगिक क्षेत्र बिजली के सबसे बड़े उपयोगकर्ता बने हुए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और उद्योग 4.0 ऊर्जा के संरक्षण में सहायता कर सकते हैं और औद्योगिक संचालन को अधिक ऊर्जा दक्ष बना सकते हैं। इसमें सेंसर, स्मार्ट फोन, डेटा प्रबंधन, रिपोर्ट सिस्टम सहित बहुत बड़े नेटवर्क तक पहुंच के साथ इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों का एक नेटवर्क होता है। एक प्लांट में, एक ऑपरेटर स्थापित हार्डवेयर से अलर्ट प्राप्त करता है, और त्रुटियों, खराबी या विचलन पर लाइव डेटा वितरित करता है।

पीएटी योजना देश में विशिष्ट ऊर्जा गहन उद्योगों के बीच ऊर्जा खपत को कम करने और बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए बीईई द्वारा शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है। आईटी, आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), स्मार्ट उपकरण और उद्योग 4.0 अनुप्रयोगों को अपनाने से पीएटी लक्ष्यों की उपलब्धि में भी आसानी होगी।

इसके अलावा, इस दिशा में, बीईई द्वारा पीएटी योजना के तहत पहले से अधिसूचित नामित उपभोक्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अंतराल को पूरा करने के लिए आगे की गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं।

पीएटी योजना के लिए उपयोगकर्ता नियमावली:


पीएटी योजना से संबंधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, नियमों और विनियमों से ली गई सभी प्रक्रियाओं और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बीईई द्वारा पीएटी योजना के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तैयार की गई है। इन उपयोगकर्ता पुस्तिकाओं को बीईई द्वारा पीएटी योजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न हितधारकों जैसे डीसी, राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए)/एसईआरसी, सीईआरसी/पोसोको और मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए विकसित किया गया है ताकि योजना के संबंध में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझा जा सके। पीएटी योजना के लिए उपयोगकर्ता नियमावली 1 मार्च, 2021 को माननीय मंत्री द्वारा जारी की गई थी।



एनएमईईई को "राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता (रोशनी) के लिए सतत और समग्र दृष्टिकोण के रोडमैप" में संशोधित किया गया

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत की गई प्रतिबद्धताओं की दिशा में, जलवायु लाभ वाली संबंधित गतिविधियों को एनडीसी लक्ष्यों के साथ समेकन और संरेखण की आवश्यकता है। इस प्रकार, एनएमईईई को मिशन के व्यापक संस्करण के रूप में बीईई द्वारा **"राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता (रोशनी) के लिए सतत और समग्र दृष्टिकोण का रोडमैप"** में संशोधन किया गया है और इसमें प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के सभी वर्तमान और संभावित क्षेत्र शामिल हैं।

इस प्रकार, रोशनी के माध्यम से, एनएमईईई को मौजूदा दृष्टिकोणों की समीक्षा के साथ मजबूत किया जा रहा है और 2030 तक देश के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को मजबूत करने के लिए रणनीति के नए पोर्टफोलियो की योजना बनाई जा रही है। रोशनी का उद्देश्य जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, स्मार्ट सिटीज, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान आदि जैसे समान जलवायु लाभ वाली राष्ट्रीय पहलों को एक साथ लाना है।



आशा की जाती है कि प्रस्तावित योजना में गतिविधियों से होने वाली बचत भारत की एनडीसी प्रतिबद्धताओं में महत्वपूर्ण योगदान देगी। रोशनी में प्रस्तावित गतिविधियों से रोजगार सृजन, गुणवत्ता वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा आदि में सह-लाभों के साथ 2030 तक 557 मिलियन टन से अधिक CO₂ को कम करने की उम्मीद है।

(ii) ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार रूपांतरण (एमटीईई)

मिशन के तहत इस पहल का उद्देश्य उत्पादों को अधिक किफायती बनाने के लिए नवीन उपायों के माध्यम से नामित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों में बदलाव में तेजी लाना है। एमटीईई के तहत बाजार में ऊर्जा दक्ष उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दो कार्यक्रम शुरू किए गए थे। बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) और अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)।

- बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) को अदक्ष बल्बों को कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सीएफएल) से बदलने के लिए विकसित किया गया था। वर्तमान में बीएलवाई कार्यक्रम में ईईएसएल और आरईसी जैसी साझेदार एजेंसियों को तकनीकी सहायता प्रदान करके उजाला के तहत एलईडी लगाने का समर्थन शामिल है।
- अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) कार्यक्रम को अति दक्ष उपकरणों के लिए बाजार में परिवर्तन लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अति दक्ष उपकरणों को उनकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने कार्रवाई शुरू की है। वर्तमान में अति दक्ष एयरकंडीशनिंग कार्यक्रम डिमांड एग्रीगेशन मॉडल पर लागू किए जाने के तहत है। यह अति दक्ष एसी उच्च परिवेश के तापमान पर 1.5-टीआर कूलिंग क्षमता रखता है, जबकि कूलिंग की लागत को 50% तक कम करता है। अब तक, लगभग 1,300 अति दक्ष एयर कंडीशनर बेचे जा चुके हैं।

(iii) वित्त पोषण ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (एफईईपी):

एनएमईईई कार्यक्रम के तहत ऊर्जा दक्षता के लिए वित्तपोषण तंत्र को व्यापक समर्थन प्रदान करने के लिए इस अम्ब्रेला कार्यक्रम एफईईपी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह अम्ब्रेला कार्यक्रम 'ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच' और 'ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास के लिए ढांचे' को कवर करेगा।

क. 'ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच' (ईईएफपी)

ईईएफपी का उद्देश्य एक मंच द्वारा भारत में ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण को बढ़ाना है जहां वित्तीय संस्थान (एफआई) ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं, प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए उद्योगों के साथ बातचीत की जा सकती है।

बीईई ने एसडीए के माध्यम से ईई परियोजनाओं / प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण में तेजी लाने और सुविधा प्रदान करने के लिए "ऊर्जा दक्षता के लिए निवेश बाजार" नामक एक दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू किया है। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश एसडीए द्वारा मार्च, 2021 में विजाग में शुरू किया गया था। ये 'निवेश बाजार' वित्तीय संस्थाओं और उद्योगों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जरूरी ईई परियोजनाओं / प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेंगे जिसका उद्देश्य उन ईई



परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ठोस सौदे लाना है। मार्च 2021 में इस सम्मेलन के दौरान निर्माताओं द्वारा ईई प्रौद्योगिकियों का भी प्रदर्शन किया गया था। पहला निवेश बाजार विजाग में एपीएसईसीएम द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें 100 से अधिक ओईएम, वित्तीय संस्थानों, ईएससीओ, निर्माताओं आदि ने भाग लिया था।




फोटो : विजाग में एक दिवसीय निवेश बाज़ार सम्मेलन

(iv) ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास के लिए ढांचा (एफईईईडी)

एफईईईडी ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साधनों के विकास के लिए है। एफईईईडी के तहत, भारत में एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी (पीआरजीएफईई) और वेंचर कैपिटल फंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी (वीसीएफईई) योजनाओं के लिए आंशिक जोखिम गारंटी फंड बनाया गया था। हालांकि, ये योजनाएं गारंटी फंड के साथ-साथ इक्विटी फंड को लागू करने में वित्तीय संस्थानों द्वारा कम रुचि दिखाने के कारण शुरू नहीं हुई, इस प्रकार, दोनों फंड जल्दी बंद हो गए और बीईई के पास उपलब्ध राशि ब्याज के साथ मंत्रालय को वापस कर दी गई। एफईईईडी के तहत मौजूदा कार्यक्रम हैं

(क) आंशिक जोखिम साझा करने की सुविधा:

आंशिक जोखिम साझा करने की सुविधा (पीआरएसएफ) की स्थापना क्लीन टेक्नोलॉजी फंड (यूएसडी 25एम) और ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड (यूएसडी 12एम) फंड द्वारा की गई है, जो डिफॉल्ट जोखिम के एक शेयर को कवर करने के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है, जिसमें भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों को ऊर्जा दक्षता उप-परियोजनाओं के लिए ऋण लेना पड़ता है। विश्व बैंक ने सुविधा के लिए सिडबी को परियोजना निष्पादन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था। यूएसडी 6 मिलियन जीईएफ के साथ शुरू से अंत तक बाजार समाधान विकसित करने के लिए सिडबी (4 मिलियन यूएसडी) और ईईएसएल (2 मिलियन यूएसडी) को तकनीकी सहायता प्रदान की गई। भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों (पीएफआई) द्वारा दिया गया प्रत्येक ऊर्जा



बचत ऋण आंशिक रूप से अधिकतम 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए गारंटीकृत है, जिसमें गारंटी कवरेज ऋण राशि के 40–75% या 15 करोड़ रुपए प्रति परियोजना है। बीईई के महानिदेशक / सचिव पीआरएसएफ की सलाहकार समिति के सह-अध्यक्ष हैं और नियमित अंतराल में इस कार्यक्रम को नीति और नियामक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब तक, 35 परियोजनाओं को 22.06 मिलियन यूएसडी की गारंटी दी गई है और इस कार्यक्रम के तहत 16 पीएफआई को सूचीबद्ध किया गया है।

(ख) ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण सुविधा (ईईएफएफ)

बीईई ने बड़े उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने, एमएसएमई समूहों / ईएससीओ परियोजनाओं को कवर करने वाली परियोजना एकत्रीकरण दृष्टिकोण, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए उधार देने वाले बैंकों को पुनर्वित्त, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी आगामी ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों के लिए पीएफसी और इरेडा द्वारा दी जाने वाली समर्पित वित्त सुविधा प्रस्तावित की। अब तक इरेडा ने ईईएफएफ के तहत दो ईई ऋण स्वीकृत किए हैं जिनकी राशि रु. 5 करोड़ और रु. 9.91 करोड़ है।

1.5.2 ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)

वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)।

नए वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) बनाया गया था। ईसीबीसी की शुरुआत वाणिज्यिक भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में पहले कदम के रूप में विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार द्वारा 2007 में की गई थी। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानकों को 100 किलोवाट का कनेक्टेड लोड या 120 केवीए या उससे अधिक की अनुबंध मांग तक निर्धारित करता है। यह तकनीकी रूप से तटस्थ है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है और भवन के जीवन चक्र लागत पर भी जोर देता है।

2017 में अपडेटेड कोड शुरू किया गया, जिसमें अक्षय ऊर्जा एकीकरण, अनुपालन में आसानी, निष्क्रिय भवन डिजाइन रणनीतियों को शामिल करने और डिजाइनरों के लिए लचीलेपन की अतिरिक्त प्राथमिकताएं थीं।

ईसीबीसी हीटिंग, वेंटिलेटिंग, और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम, आंतरिक और बाहरी प्रकाश व्यवस्था, विद्युत प्रणाली और नवीकरणीय ऊर्जा सहित लिफाफा, यांत्रिक प्रणालियों और उपकरणों के निर्माण पर केंद्रित है, और यह भारत में मौजूद पांच जलवायु क्षेत्रों को भी ध्यान में रखता है।

कोड का प्रभाव : यह अनुमान है कि, भारत इमारतों में एयर कंडीशनिंग और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की बढ़ती मांगों के साथ 2030 तक लगभग 1 अरब एम2 नए वाणिज्यिक भवनों को जोड़ देगा। प्रत्याशित वृद्धि के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि भविष्य के निर्माण स्टॉक को इस कोड के अनुपालन में बनाया जाता है, तो 2030 तक लगभग 300बीयू बिजली की बचत होगी। यह कुशल निर्मित स्टॉक द्वारा 15जीडब्ल्यू और लगभग 250 एमटीसीओ2ई जीएचजी की चरम मांग में कमी को पूरा करेगा।



बीईई ने ईसीबीसी विकसित किया है, जबकि कोड का कार्यान्वयन का अधिकार राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के पास है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोड और नियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाता है और फिर वर्तमान भवन अनुमोदन प्रक्रिया के साथ एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जो बाद में उक्त अधिकार क्षेत्र में कोड के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का मार्ग खोलती है।

• **ईसीबीसी प्रवर्तन के लिए नियामक ढांचा:**

- ◆ 2020-21 में सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 24 ईसीबीसी सैल काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में ईसीबीसी के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ये ईसीबीसी सैल राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में ईसीबीसी से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करते हैं।
- ◆ ईसीबीसी नियम और ईसीबीसी 2017 को असम, मिजोरम और सिक्किम द्वारा अधिसूचित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश ईसीबीसी और नियम संबंधित राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।
- ◆ आंध्र प्रदेश में नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग द्वारा ईसीबीसी को अपनाने का सरकारी आदेश, जहां भी लागू हो जारी किया गया।
- ◆ ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा लेखा परीक्षकों, ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) और ऊर्जा प्रबंधकों के लिए न्यूनतम योग्यता) नियम, 2020, 28 सितंबर 2020 को अधिसूचित किया गया।
- ◆ जीआर दिनांक 8 मार्च, 2021 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ईसीबीसी अधिसूचना और कार्यान्वयन के लिए तकनीकी संचालन समिति का गठन किया है।
- ◆ मध्य प्रदेश दर अनुसूची (एसओआर) में ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्री जोड़ी गई
- ◆ भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) ने रेलवे भूमि पर वाणिज्यिक विकास के लिए ईसीबीसी और ईएनएस को ग्रीन बिल्डिंग कोड में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
- ◆ ईसीबीसी सैल के माध्यम से राज्य / संघ शासित प्रदेश के स्तर पर निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:
 - वाणिज्यिक भवनों के लिए बेंचमार्किंग अध्ययन – ईपीआई बेस, राज्य / संघ शासित प्रदेश के स्तर पर आयोजित किया गया है।
 - राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में ऊर्जा गहन भवनों के नियमित और अनिवार्य ऑडिट करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश।
 - ईसीबीसी अनुपालक भवनों को वित्तीय प्रोत्साहन के लिए ड्राफ्ट प्रस्ताव।
 - राज्य / संघ शासित प्रदेशों में हरित भवन / ईसीबीसी अनुपालक भवनों का मानचित्रण

• **ईसीबीसी कार्यान्वयन और अनुपालन:**

- आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तेलंगाना में ईसीबीसी का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। इन राज्यों के अंतर्गत लगभग 49 यूएलबी शामिल हैं।
- डिजाइन चरण में कुल 821 भवनों को यूएलबी / एसडीए द्वारा अनुमोदित किया गया है और ये भवन



निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। 2020–21 में, 5 राज्यों में यूएलबी / एसडीए द्वारा 172 भवन भवनों की मंजूरी दी गई है, जिनमें तेलंगाना (20–21 में कुल 328 और 41), पंजाब (20–21 में कुल 250– 90), आंध्र प्रदेश (20–21 में कुल 217, 34), केरल (2021 में कुल 14–4) और उत्तराखंड (20–21 में कुल 12, 3)।

- **निर्माण परियोजनाओं में ईसीबीसी अनुपालन का प्रायोगिक प्रदर्शन:**

- ईसीबीसी प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के भवनों के लिए लगभग 38 भवन परियोजनाओं को देश भर में ईसीबीसी अनुपालन प्रदर्शित करने के लिए समर्थन दिया गया।
- सुपर ईसीबीसी अनुरूप इमारतों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न जलवायु क्षेत्रों (राज्यों) में 5 भवन परियोजनाओं की पहचान की गई है। इन भवनों को 5 करोड़ (अधिकतम) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 2.5 करोड़ की पहली खेप महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 3 भवन के लिए प्रत्येक एसडीए के लिए जारी की जा चुकी है।

- **ईसीबीसी पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:**

- 515 ईसीबीसी जागरूकता वेबिनार / ऑनलाइन कार्यक्रम और 32 भौतिक ईसीबीसी तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम उन राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में आयोजित किए गए हैं जिनमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी थी।
- एसडीए के लिए भवनों / ऊर्जा संरक्षण भवन कोड में ऊर्जा दक्षता पर आयोजित वेबिनार ने राज्य / संघ शासित प्रदेशों में ईसीबीसी / ईएनएस के कार्यान्वयन में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बताया।
- ईसीबीसी कार्यान्वयन के लिए डेवलपर्स और बिल्डर संघों के लिए आयोजित वेबिनार
- ईसीबीसी गतिविधियों की प्रगति और ईसीबीसी कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए एसडीए के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस।

आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता

आवासीय भवन स्टॉक में बढ़ोतरी, स्पेस कंडीशनिंग के लिए बिजली के उपयोग में वृद्धि से आवासीय भवनों में बिजली के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, आवासीय क्षेत्र के लिए बिजली की खपत 2047 तक 6–13 गुणा बढ़ने की उम्मीद है। शहरी मध्यम आय वाले अपार्टमेंट के नमूने से एकत्र किए गए डाटा से पता चलता है कि वार्षिक बिजली की खपत का 30–60% बिजली का उपयोग थर्मल कम्फर्ट के लिए किया जाता है। सभी प्रकार के आवासों में थर्मल कम्फर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन किफायती आवासों में रहने वालों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इससे भी अधिक का उपयोग किया जाता है। बीईई ने आवासीय भवन ऊर्जा संरक्षण कोड के विकास के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण की परिकल्पना की।

इको-निवास संहिता 2018 (भाग-1)

इको निवास संहिता (ईएनएस), भाग – 1 भवन आवरण (आवासीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड) को 2018 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और माननीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा विकसित और शुरू किया गया था। यह पर्याप्त प्राकृतिक वेंटिलेशन और दिन की रोशनी सुनिश्चित



करते हुए गर्मी के लाभ (टंडा करने वाली जलवायु के लिए) को सीमित करने और गर्मी के नुकसान को सीमित करने के लिए न्यूनतम भवन आवरण प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया है। यह कोड 500 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड क्षेत्र पर निर्मित सभी आवासीय उपयोग भवन परियोजनाओं पर लागू होता है।

इको-निवास संहिता अनुपालन (ईएनएस) उपकरण: यूएलबी, घर के मालिकों और डेवलपर्स द्वारा अनुपालन और अपनाने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए बीईई द्वारा एक ऑनलाइन अनुपालन उपकरण विकसित किया गया है। भाग-1 बीईई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ईएनएस अनुपालन उपकरण का भाग-2 वर्तमान में विकास के अंतिम चरण में है।


ईएनएस सैल: आवासीय भवन संहिता के कार्यान्वयन के लिए जनवरी से दिसंबर, 2020 तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इको-निवास संहिता (ईएनएस) सैल की स्थापना की गई थी।

ईएनएस प्रशिक्षण: प्रतिभागियों को कोड और इसके लाभों से अवगत कराने के लिए पूरे भारत में कई हितधारकों की कार्यशालाएं और प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

- जीआईजेड और संबंधित एसडीए के सहयोग से आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों, सरकारी अधिकारियों और आर्किटेक्चर छात्रों के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इको-निवास संहिता और ऊर्जा दक्ष घरों के लिए स्टार रेटिंग पर 137 जागरूकता वेबिनार आयोजित किए गए थे। लगभग 9,700 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।
- एसडीसी के सहयोग से 7 मई, 2020 को आंध्र प्रदेश के लिए ईएनएस जागरूकता और प्रशिक्षण पर एक दिवसीय वेबिनार आयोजित किया गया था।
- जीईडीए के सहयोग से 18 जुलाई, 2020 को गुजरात के लिए ईएनएस जागरूकता पर एक दिवसीय वेबिनार आयोजित किया गया था।
- आंध्र प्रदेश के लिए ईएनएस जागरूकता और प्रशिक्षण पर एक दिवसीय वेबिनार 18 अगस्त, 2020 को एसडीसी के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- मीडिया एंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत ईएनएस जागरूकता पर एक वेबिनार 28 मई, 2020 को एसडीसी के सहयोग से आयोजित किया गया था।

ऊर्जा दक्ष आवासीय भवन कार्यक्रम के तहत अन्य योजनाएं

- स्टार रेटिंग देने और ऊर्जा दक्ष भवनों की निगरानी, ईसीबीसी अनुपालक भवनों के निर्माण और एलडीए अधिकारियों के क्षमता निर्माण में सहयोग और समर्थन के लिए यूपीनेडा और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के बीच 2 दिसंबर, 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- जीआईजेड और एबी लाल आर्किटेक्ट्स के सहयोग से "भारत में ऊर्जा दक्ष आवासीय भवनों के लिए प्रतिकृति डिजाइनों की एक सूची विकसित करना" पर तीन वेबिनार,
- जीआईजेड और डेलॉइट के सहयोग से "भारतीय स्मार्ट होम मार्केट की प्रौद्योगिकी मानचित्रण और आधारभूत आकलन", 2020 पर वेबिनार।
- थर्मल कम्फर्ट अध्ययन पर पहली हितधारक परामर्श बैठक 20 अगस्त, 2020 को आयोजित की गई थी।



आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबल

आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबल” की शुरुआत 2019 में गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में माननीय विद्युत और नवीकरणीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा की गई थी।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक घर के ऊर्जा प्रदर्शन पर एक पारदर्शी उपकरण बनाना है जो भविष्य में घर की कीमतों पर निर्णय लेते समय धीरे-धीरे एक प्रभावी मॉडल को ध्यान में रखेगा। लेबलिंग कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य में घर की कीमतों को तय करते समय घर के ऊर्जा प्रदर्शन को तुलना का एक साधन बनाना है। इसका उद्देश्य आवास क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के लिए उपभोक्ता-संचालित बाजार परिवर्तन समाधान बनाने के लिए ऊर्जा दक्षता मानकों पर एक घर की दूसरे से तुलना करने के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम सभी के लिए 24*7 बिजली के साथ एक ऊर्जा अधिशेष भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक अन्य कदम है। प्रस्तावित लेबलिंग कार्यक्रम भारत में सभी प्रकार के आवासीय भवनों को कवर करेगा। सभी परिकल्पित उद्देश्यों को प्रस्तावित लेबलिंग तंत्र के माध्यम से किसी भी अचल संपत्ति लेनदेन/पट्टे पर आवश्यक जानकारी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

- जीआईजेड और पीडब्ल्यूसी के सहयोग से 7, 14 और 21 मई, 2020 को ऊर्जा दक्ष घरों के लिए स्टार लेबलिंग पर वेबिनार।
- जीआईजेड और पीडब्ल्यूसी के सहयोग से 21 मई, 2020 को वित्तीय संस्थानों के लिए आवासीय भवनों के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता की पहल पर एक इंटरैक्टिव वेबिनार।
- ऊर्जा दक्ष घरों के लिए कोल्ड क्लाइमेट स्टार लेबलिंग बैंड के विकास के लिए तकनीकी समिति की बैठक 10 फरवरी, 2021 को ऑनलाइन आयोजित की गई थी।

पीएटी योजना के तहत क्षेत्र

भवनों की पहचान भारत में सबसे अधिक ऊर्जा गहन क्षेत्र के रूप में की जाती है। भवन क्षेत्र से ऊर्जा बचत की अपार संभावनाएं हैं। ईसीबीसी केवल नए भवनों तक ही सीमित है और इसे केवल डिजाइन और निर्माण चरण में ही लागू किया जा सकता है। हालांकि, मौजूदा भवन भी बहुत ऊर्जा बचा सकते हैं।

ऊर्जा संरक्षण और मौजूदा भवनों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्यिक भवन क्षेत्र को पीएटी चक्र-IV और उसके बाद के चक्रों के अंतर्गत शामिल किया गया है;

1. होटलों के साथ शुरु करने के लिए, पीएटी चक्र-IV में, 37 होटलों को वाणिज्यिक भवन व्यवस्था के तहत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिनकी ऊर्जा खपत 1000 टीओई (तेल टन के समकक्ष) से अधिक थी।
2. जबकि पीएटी चक्र-V में और पीएटी थ्रेशोल्ड खपत के आगामी चक्रों को संशोधित कर 500 टीओई कर दिया गया है ताकि होटल को वाणिज्यिक भवन क्षेत्र के तहत डीसी के रूप में बनाया जा सके। पीएटी चक्र V में, 2022 तक 1360 टीओई की बचत क्षमता वाले 31 और होटलों को डीसी के रूप में जोड़ा गया।



3. इसी तरह, पीएटी चक्र VI में, 2023 तक 4154 टीओई की बचत के साथ 64 अन्य होटलों को नामित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किया गया था। अब, कुल मिलाकर 132 होटल डीसी के रूप में पीएटी योजना के तहत कवर किए गए हैं।
4. पीएटी योजना के तहत शामिल किए जाने वाले वाणिज्यिक भवन क्षेत्र के तहत हवाई अड्डों को एक नए उप-क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, हवाई अड्डे – वाणिज्यिक भवनों या प्रतिष्ठानों के तहत ऐसे हवाई अड्डों की इकाइयां जिनकी ऊर्जा खपत प्रति वर्ष 500 मीट्रिक टन तेल समकक्ष (एमटीओई) प्रति वर्ष और उससे अधिक है, को पीएटी योजना के तहत एक नामित उपभोक्ता माना जाएगा।

परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता


सीमित घरेलू पेट्रोलियम संसाधनों के कारण आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ रही है। भारत चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बाद दुनिया में सबसे बड़े पेट्रोलियम उपभोक्ता के रूप में चौथे स्थान पर है। अपने गतिशील आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण के कारण देश की ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% की वृद्धि हुई जो 200 एमएमटी से अधिक है, जिससे तेल आयात पर एक महत्वपूर्ण व्यय होता है।

भारत में जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मांग और तेजी से बढ़ते मोटर वाहन बेड़े को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 2022 तक आयात पर 10% की कमी को कम करने का लक्ष्य रखा है। बीईई उन वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानदंडों के विकास पर काम करता है जो ईंधन की बढ़ती मांग को कम कर सकते हैं। वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानकों को विकसित करने के अलावा, बीईई टायरों के लिए परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों व स्टार लेबलिंग कार्यक्रम के विकास पर काम कर रहा है।

ईंधन दक्षता कार्यक्रम:

परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

- 1) अप्रैल, 2015 में यात्री कारों के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (सीएएफई) मानदंड अधिसूचित किए गए और 2017-18 में मानदंडों का चरण-1 लागू किया गया। बीईई ने "यात्री कारों के लिए ईंधन दक्षता मानदंडों को कसने और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग तंत्र के निर्माण" के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया। समिति सीएएफई चरण-II मानदंडों के संशोधन पर काम कर रही है और आगामी चरणों के लिए मानदंड बाद में विकसित किए जाएंगे।
- 2) 12 टन से अधिक सकल वाहन भार वाले भारी वाहनों के लिए निरंतर गति ईंधन खपत मानदंड अगस्त 2017 में अधिसूचित किए गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सुरक्षित धुरा भार सीमा में संशोधन के कारण का. आ. 3215 (अ) दिनांक 21 सितंबर, 2020 के तहत इसमें संशोधन किया गया।
- 3) 3.5 टन और 12 टन के बीच सकल वजन वाले हल्के और मध्यम व्यापारिक वाहनों के लिए निरंतर गति ईंधन खपत मानदंड जुलाई, 2019 में अधिसूचित किए गए थे और मानदंडों का पहला चरण, 1 अप्रैल, 2020 से लागू किया जाना था।
- 4) हैवी-ड्यूटी फ्यूल इकोनॉमी (एचडीएफई) और लाइट एंड मीडियम ड्यूटी फ्यूल इकोनॉमी (एलएमडीएफई) मानदंड बीएस-IV अनुपालन वाले वाहनों के लिए पहले अधिसूचित किए गए थे। बीएस-VI अनुपालन वाले



वाहनों के लिए एक सुधार कारक निकाला जाना है जिसे बीएस-IV अनुपालन वाले वाहनों के लिए एचडीएफई और एलएमडीएफई मानदंड समीकरणों पर लागू किया जा सके।

- 5) ईडी, पीसीआरए की अध्यक्षता में बीईई द्वारा गठित एक तकनीकी समिति जिसमें सियाम, आईसीएटी, एआरएआई के सदस्य और प्रमुख वाहन निर्माताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति बीएस-VI अनुपालन वाले एचडीवी और एलएंडएमसीवी के लिए सुधार कारक या मानदंडों के नए सेट प्राप्त करने के प्रावधान पर विचार कर रही है।
- 6) समग्र रूप से वाहनों के लिए विकास ईंधन दक्षता मानकों के अलावा, टायरों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम भी विकसित किया गया है। चूंकि टायर बाजार के 2/3 से अधिक हिस्से को वाहन मालिकों द्वारा ही बदल दिया जाता है, इसलिए ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में डिमांड साइड मैनेजमेंट बनाना काफी उपयोगी है। योजना के स्वैच्छिक चरण को शुरू करने के प्रस्ताव को मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।
- 7) बीईई भारतीय परिदृश्य के अनुसार वाहनों की ईंधन दक्षता के आकलन के लिए कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन टूल के विकास पर काम कर रहा है। उपकरण स्वदेशी हो सकता है या अन्य देशों में उपयोग किया जा रहा कोई अन्य उपकरण हो सकता है और भारतीय विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है और इसे विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है।

यात्री कारों के लिए सीएएफई मानदंडों के अतिरिक्त बीईई दुपहिया वाहनों के लिए भी सीएएफई मानदंडों को विकसित करने की आशा कर रहा है। स्टार रेटिंग योजना के रूप में ट्रैक्टरों के लिए ईंधन दक्षता कार्यक्रम का प्रस्ताव स्वैच्छिक चरण के शुभारंभ की स्वीकृति के लिए विद्युत मंत्रालय को भेजा गया था। हालांकि, मंत्रालय ने बीईई को इसे संशोधित करने और किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों द्वारा ईंधन बचत के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा है। मंत्रालय के सुझाव के अनुरूप ट्रैक्टरों के लिए ईंधन दक्षता कार्यक्रम विकसित करने के लिए बीईई अन्य प्रावधानों पर विचार कर रहा है।

ई-गतिशीलता

ज्भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार अभी शुरूआती चरण में है। भारत में इलेक्ट्रिक गतिशीलता के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्रमुख सक्षम कारक माना जाता है क्योंकि यह 'रेंज की उत्सुकता' को दूर करता है जो बड़े पैमाने पर ईवी के आने के लिए बाधाओं में से एक है। ईवी को अधिक अपनाए जाने के साथकृसाथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें भी बढ़ेंगी।

भारत सरकार (जीओआई) ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। भारत सरकार के सहयोग से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का चलन शुरू हो गया है। हालांकि, सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (पीसीआई) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण, इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने की प्रमुख आवश्यकताओं ने देश में इस वाहन खंड के विकास को रोक दिया है।




इस दिशा में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में एक विश्वसनीय, किफायती और सुरक्षित सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कई पहल की हैं। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 14.12.2018 को इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसे 01.10.2019 को संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने फेम-2 चरण के तहत देश भर के 68 शहरों में 2,877 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी देने में भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) का समर्थन किया। वर्तमान में, विद्युत मंत्रालय 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की पहचान करने और उन्हें मंजूरी देने में डीएचआई का समर्थन कर रहा है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (पीसीआई) के लिए दिशानिर्देशों और मानकों के अनुसार, सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दो चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है, जिसकी शुरुआत 2011 की जनगणना के अनुसार 4.0 मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों और इन शहरों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राजमार्ग और एक्सप्रेसवे से होगी। इन शहरों से जुड़े ऐसे नौ शहरों और गलियारों की पहचान विद्युत मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों और मानकों में की थी। दिशानिर्देशों ने देश में पीसीआई के रोल के उद्देश्य के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया और परिभाषित किया कि राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) को राज्यों और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के साथ समन्वय में सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाएगा।

ईवी पीसीआई के लिए उक्त दिशानिर्देशों और मानकों में प्रस्तावित कार्यान्वयन ढांचे को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने पहले नौ शहरों अर्थात् दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता और इससे जुड़े पर्याप्त सार्वजनिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ईवी पीसीआई के लिए अपने दिशानिर्देशों और मानकों में बताए गए कॉरिडोर को शामिल करने को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया।

बीईई की ई-मोबिलिटी पहल के तहत प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

1. बैटरी स्वैपिंग, बैटरी चार्जिंग स्टेशनों को शामिल करने के लिए वर्ष 2020 में ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिशानिर्देशों और मानकों में संशोधन।
2. विद्युत मंत्रालय से उच्च ऊर्जा ट्रैक्शन बैटरी स्टार लेबलिंग कार्यक्रम का विकास और अनुमोदन।
3. 68 शहरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की तैनाती के प्रस्तावों का मूल्यांकन, देश में 2877 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की सिफारिश की गई।
4. फेम-2 के तहत डीएचआई द्वारा गठित पीआईएससी द्वारा पूर्ण और अनुमोदित शहरों और राजमार्गों / एक्सप्रेसवे पर तैनाती के लिए विभिन्न कॉन्फिगरेशन और रेटिंग के सार्वजनिक ईवी चार्जर्स की मूल्य बेंचमार्किंग।
5. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्लीन कुकिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनवरी, 2021 में "गो इलेक्ट्रिक कैंपेन" का विकास और शुरुआत।
6. देश में 16 राजमार्गों और 9 एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रस्तावों का मूल्यांकन पूरा हुआ।



1.5.3 मानक और लेबलिंग योजना

मानक और लेबलिंग (एसएंडएल) कार्यक्रम उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत और ऊर्जा खपत वाले विभिन्न उपकरणों की लागत बचत क्षमता के बारे में एक सूचित विकल्प प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। एसएंडएल योजना 28 उपकरणों के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम कवर करती है, जिसमें से 10 उपकरण अनिवार्य व्यवस्था के तहत हैं और शेष 18 उपकरण स्वैच्छिक व्यवस्था के तहत हैं।

मानक और लेबलिंग योजना के महत्वपूर्ण लाभ हैं:

- (i) एक संरचित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा दक्ष उपकरण खरीदते समय उपभोक्ताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव।
- (ii) अदक्ष उपकरणों से ऊर्जा दक्ष उपकरणों में बाजार परिवर्तन

निरंतर प्रयासों से, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मानक और लेबलिंग कार्यक्रम ने निम्नलिखित उपलब्धियाँ हासिल की हैं:

- (i) 11 जनवरी, 2021 को यूएचडी टीवी, एयर कंड्रेशर्स के लिए स्वैच्छिक ऊर्जा प्रदर्शन मानकों की जानकारी देना।
- (ii) रूम एयर कंडीशनर, एलईडी लैंप, ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप, स्टोरेज वॉटर हीटर, कलर टेलीविजन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए ऊर्जा खपत मानकों में विस्तार।
- (iii) स्टार रेटेड उपकरणों के जांच परीक्षण के लिए 22 एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का पैनल बनाना।
- (iv) बीईई ने जुलाई और अगस्त, 2020 में नीतिगत अनुभवों को साझा करने के लिए अन्य सरकारों – ब्राजील और चीन के साथ भारत की शीतलन नीति पर जलवायु वार्ता वेबिनार और एसी पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भाग लिया।
- (v) बीईई ने नवंबर, 2020 माह में एमओईएफसीसी द्वारा आयोजित पुनर्निवेश कार्यक्रम में भाग लिया।
- (vi) जांच परीक्षण और आवेदन संवीक्षा के लिए 2 आईएमई पैनल बनाना।

बीईई ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक कार्य किया है। जागरूकता गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) उपभोक्ताओं को बीईई स्टार रेटेड उपकरण खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए टीवी विज्ञापन और रेडियो जिगल।
- (ii) बीईई के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ऊर्जा दक्ष उपकरणों के समुचित उपयोग के संबंध में जागरूकता संबंधी जानकारी।



- (iii) खुदरा विक्रेताओं के बीच स्टार लेबल विवरणों पर ज्ञान का प्रसार करने के लिए खुदरा विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि वे ग्राहकों को खरीद के समय ऊर्जा दक्ष उपकरणों को प्राथमिकता देने के लिए समझाने में सक्षम हों। तीसरे चरण में भारत भर के 56 शहरों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया।

1.5.4 नगर मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) योजना

नगर पालिकाओं की ऊर्जा बचत क्षमता का दोहन करने के लिए, बीईई ने नगर पालिका देश में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में पानी पंपिंग, सीवेज पंपिंग, स्ट्रीट लाइटिंग और सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा दक्षता को संबोधित करने के लिए राष्ट्रव्यापी नगर डीएसएम (एमयूडीएसएम) कार्यक्रम शुरू किए। एमयूडीएसएम कार्यक्रम का उद्देश्य देश में जल पंपिंग, सीवेज पंपिंग, स्ट्रीट लाइटिंग और सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है।

नगर पालिका क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक है जहां ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन की अभी भी काफी संभावनाएं हैं। सार्वजनिक प्रकाश और सार्वजनिक जल कार्य भारत की शुद्ध बिजली खपत का लगभग 3.75% है जो लगभग 27.5 बिलियन यूनिट है और 2021–22 तक लगभग 51.23 बिलियन यूनिट तक बढ़ने की उम्मीद है। एक अध्ययन के अनुसार, मांग पक्ष प्रबंधन पहलों को अपनाने से नगर पालिकाओं में लगभग 23% की बचत की संभावना है।


नगर पालिका क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए की गई प्रमुख पहलें हैं:

1. नगरपालिका क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष उपायों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे एसईआरसी, यूडीडी, यूएलबी, सार्वजनिक जल निकायों आदि की क्षमता निर्माण के साथ-साथ देश भर में हितधारकों की भागीदारी और क्षमता निर्माण की पहल करना।
2. ऊर्जा अक्षमताओं को दूर करने के लिए और नगरपालिका पेयजल और सीवेज जल प्रणाली में ऊर्जा बचत क्षमता को मापने के लिए संबंधित नगर पालिकाओं के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है।

शहरी स्थानीय निकायों / नगर निगमों आदि के अधिकारियों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की झलक:



क. एमयूडीएसएम कार्यक्रम के तहत "मध्य प्रदेश के नगर निगम में ऊर्जा दक्षता के अवसर" पर सत्र



ख. संघ शासित प्रदेश—चंडीगढ़ के नगर निगम/शहरी स्थानीय निकायों आदि के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ)

सार्वजनिक—निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित ईएससीओ बिज़नेस मॉडल भारत में ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है और उद्योगों और प्रतिष्ठानों को ऊर्जा दक्ष बनाने में मदद कर सकता है। हाल के वर्षों में इमारतों, उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ईएससीओ मॉडल के माध्यम से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं।

ईएससीओ बिज़नेस मॉडल ऊर्जा दक्षता प्रतिबद्धताओं को लॉक करने के लिए एक उपकरण है, इसके चलते मौजूदा सुविधाओं में इसका संचालन विस्तृत हो जाता है। इमारतों, उद्योगों और प्रतिष्ठानों के खर्च का एक बड़ा हिस्सा संचालन और रखरखाव पर खर्च होता है। यहां ऊर्जा दक्षता में सुधार की गुंजाइश अहम है। लंबी अवधि के संचालन और/या रखरखाव अनुबंधों का उपयोग प्रतिबद्धताओं और संबंधित भुगतानों में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। जहां कहीं भी इसके मौजूदा सुविधाओं के खर्च से कम होने की उम्मीद है, वहां यह एक व्यवहारिक ईएससीओ मॉडल परियोजना तैयार करने में मदद करेगा। लागत की बचत को वापस रेट्रोफिटिंग लागतों में लगाया जा सकता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ईएससीओ के ज़रिए ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं —

- क) 2008 से ईएससीओ बीईई के पैनल में शामिल है। आज बीईई के साथ 127 ईएससीओ सूचीबद्ध हैं।
- ख) ईएससीओ बिज़नेस मॉडल की समझ बढ़ाने के लिए ईएससीओ और उद्योगों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, विभिन्न क्षेत्रों में ईएससीओ के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चाएं और प्रमुख हितधारकों के साथ नीतिगत विचार—विमर्श आयोजित करना।
- ग) ईएससीओ बिज़नेस मॉडल पर कॉन्सेप्ट नोट और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) और ऊर्जा बचत प्रदर्शन अनुबंध (ईएसपीसी) दस्तावेज के लिए एक मानक टेम्पलेट तैयार किया जा रहा है और इसे जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।




1.5.5 कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम) योजना

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, 70% से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का योगदान देता है और 60% से अधिक आबादी को रोजगार प्रदान करता है। एजीडीएसएम कार्यक्रम में उपभोक्ताओं (किसानों) के बिजली खपत पैटर्न में बदलाव लाने के उद्देश्य से कार्यप्रणाली और नीतियां शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिजली की अधिकतम मांग को कम करना अर्थात् कृषि क्षेत्र की कुल ऊर्जा खपत को कम करना है। भारत में एजीडीएसएम के तहत कार्यान्वित सभी परियोजनाओं ने ऊर्जा दक्ष पंप सेटों का उपयोग करने के लिए जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ बीईई स्टार-रेटेड ऊर्जा दक्ष पंप सेट के साथ मौजूदा बेकार हो रहे कृषि पंप सेटों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया है।

वित्त वर्ष 2019-20 से पहले, पूरे भारत में कुल 63,615 बीईई फाइव स्टार रेटेड 5 एचपी पंप स्थापित किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 10,784 अदक्ष 5 एचपी पंप थे जिनकी जगह 5 एचपी बीईई पांच सितारा रेटेड पंपों को लगाया गया था। पिछले कुछ वर्षों में वितरित किए जा रहे ऊर्जा दक्ष पंपों की संख्या के कारण, वित्त वर्ष 2019-20 में पूरे भारत में बचाई गई ऊर्जा (विद्युत) के संदर्भ में योजना का प्रभाव 0.18 बीयू है और CO₂ के उत्सर्जन में 0.148 मिलियन टन की कमी आई है।

कृषि क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जो प्रमुख पहल की गई हैं वे हैं :

1. बीईई देश की नोडल एजेंसी है। यह संस्था देश के किसानों के लिए ऊर्जा दक्ष पंप, ऊर्जा दक्ष ट्रैक्टर, टिलर आदि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की दिशा में ध्यान दिया जाता है। बीईई स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टेलीविजन और स्थानीय रेडियो चैनलों सहित), ग्रामीण सांस्कृतिक कार्यक्रमों, ग्रामीण सभाओं या अन्य पंचायत द्वारा शुरू किए गए सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि जैसे विभिन्न प्रकार के आउटरीच चैनलों के ज़रिए अपने संदेश पहुंचाने का काम कर रही है।
2. बीईई उन पंप तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिनकी बीईई स्टार रेटेड पंप सेट के साथ पुराने अदक्ष पंपों को बदलने में प्रमुख भूमिका है।
3. कृषि क्षेत्र में 'आईओटी और सेंसर आधारित जलवायु स्मार्ट कृषि पहल' को लागू करने के लिए जलवायु स्मार्ट टिकाऊ कृषि अभ्यास अपनाया जा रहा है। इस बिज़नेस मॉडल को प्रस्तुत करने और मुख्यधारा में लाने के लिए कई पायलट परियोजनाएं भी (जैसे उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि) शुरू की गई हैं।
4. विश्व बैंक समूह, ऊर्जा क्षेत्र प्रबंधन सहायता कार्यक्रम (ईएसएमएपी) के सहयोग से बीईई ने 'भारत में कोल्ड चेन एनर्जी एफिशिएंसी: पैकहाउस में ऊर्जा दक्षता अवसरों का विश्लेषण' शीर्षक से परियोजना शुरू की है। परियोजना ने भारत में पैक-हाउस में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता क्षमता का विश्लेषण किया। अध्ययन की रिपोर्ट में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, एमओईएफसीसी, नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और एपीडा जैसे हितधारकों की टिप्पणियों को शामिल किया गया है।



5. बीईई, एक ऊर्जा दक्ष पैकहाउस के लिए डिजाइन दिशा—निर्देश और संचालन व रखरखाव दिशा—निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है।

1.5.6 लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)

सेक्टर का परिचय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा है। एमएसएमई क्षेत्र का देश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और असमानता में कमी की दिशा में बड़ा योगदान होता है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एमएसएमई क्षेत्र सामाजिक—आर्थिक पहलुओं से जुड़ा होने की वजह से और भी अधिक महत्व रखता है। ये क्षेत्र लोगों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और दूसरों के मुकाबले कम पूंजी लागत पर रोजगार के अवसर पैदा करने में अहम योगदान देता है।

भारत में लगभग 64 मिलियन एमएसएमई इकाइयां हैं जो 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 28% का योगदान देती हैं। भारत में एमएसएमई क्षेत्र एक गहन ऊर्जा उपयोग वाला क्षेत्र है। सिरामिक, ईंट, कांच, कपड़ा, धातुकर्म उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है।

एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के साथ—साथ प्रौद्योगिकियों के नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता (ईई) प्रतिस्पर्धात्मक सुधार और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ज़रूरी है। ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों (ईईटी) को अपनाना और उद्योगों में ऊर्जा दक्षता के बेहतर तरीकों को शामिल किया जाना बहुत अहम है।

ऊर्जा दक्ष भारत बनाने और विकास की राह पर कदम बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि देश के एमएसएमई हरित और विनिर्माण के दक्ष तरीकों को अपनाए। सरकार के विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं और बीईई की कोशिशें एसएमई के बीच ऊर्जा संरक्षण/ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने का काम बखूबी कर रहे हैं। हालांकि इन सुनियोजित हस्तक्षेपों ने कई सकारात्मक प्रभाव डाले हैं। ज़्यादातर एसएमई स्वेच्छा से ऊर्जा दक्षता प्रयासों को अपनाकर एक बेहतर कल के लिए एक लंबा रास्ता तय करने हेतु तैयार हैं।

एमएसएमई की ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी सुधार पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

देश के एमएसएमई जगत की ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए 2007 से अब तक बीईई ने कई अहम कदम उठाए हैं। जिनके परिणामस्वरूप कई सफलताएं भी हासिल की हैं। विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र के लिए द्विपक्षीय भागीदारी के साथ संयुक्त गतिविधियां भी शामिल हैं। हालांकि, एमएसएमई को ईई सेवाएं देने के लिए इकोसिस्टम में अभी कई बदलाव होने बाकी हैं। उसी के अनुसार ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और हितधारकों को जागरूक करने के लिए उन्हें बेहतर तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। ब्यूरो ने वित्त वर्ष 2020—21 में कई पहल की थीं।




- एमएसएमई में ऊर्जा की खपत और मौजूदा स्थिति में खपत के प्रवाह के साथ-साथ ऊर्जा उपयोग के वर्गीकरण और उत्पादन आउटपुट के साथ इसके संबंध को समझने के लिए 5 और ऊर्जा गहन एसएमई क्षेत्रों (ग्लास और रीप्रैक्टरी, रसायन, ईट, फार्मा व डेयरी) में ऊर्जा और संसाधन की मैपिंग शुरू की गई थी। फाउंड्री, फोर्जिंग, स्टील री-रोलिंग और पेपर सेक्टर पर काम पहले से चालू है।
- थर्मल पावर प्लांट और आयरन एंड स्टील उद्योग के बाद भारत में ईट उद्योग कोयले का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है।
- ईट (एमएसएमई) के अकेले क्षेत्र में सालाना 45-50 मिलियन टन कोयले की खपत होती है, जो देश में कुल औद्योगिक ऊर्जा खपत का 5% से 15% है। ईटों के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और मिट्टी के ईट निर्माण उद्यमों के लिए ऊर्जा दक्ष उद्यम (ई3) नाम की एक प्रमाणन योजना को प्रस्तुत किया गया है। यह योजना मार्च, 2021 में माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा शुरू की गई थी।

यह योजना ईट क्षेत्र में बाजार प्रोत्साहन का प्रयोग कर ग्राहकों की मांग बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण में तेजी लाने का काम कर रही है। यह योजना भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाए जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत एक भाग के रूप में शुरू की गई थी।



ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा ई3 प्रमाणन योजना का शुभारंभ



- पूरे ईट क्षेत्र को कवर करने के उद्देश्य से ई3 योजना की पहल को आगे बढ़ाते हुए, उपरोक्त ई3 योजना के आधार पर राष्ट्रीय ईट मिशन नामक एक मिशन दस्तावेज का मसौदा तैयार किया गया है। यह मिशन दस्तावेज निम्नलिखित प्राथमिक उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है:
 - ईट निर्माण उद्यमों के लिए 'ऊर्जा दक्ष उद्यम (ई3)' प्रमाणन योजना और इसके कार्यान्वयन ढांचे के आधार पर एक बाजार परिवर्तन तंत्र स्थापित करना।
 - सार्वजनिक खरीद, बाजार जागरूकता आदि के माध्यम से भवन निर्माण में ई3 प्रमाणित उद्यमों द्वारा उत्पादित संसाधन दक्ष ईटों की मांग को बढ़ाना।
 - ई3 प्रमाणन को बढ़ाने के लिए ईट उद्योग के लिए एक संस्थागत और क्षमता समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- वित्तीय वर्ष 20–21 में कोविड-19 महामारी ने एमएसएमई क्षेत्र को परिचालन लागत पर कड़ी नजर रखने के लिए मजबूर किया है। एमएसएमई क्षेत्र के ऊर्जा दक्षता आउटलुक पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच के लिए जीआईजेड के सहयोग से एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण सफल रहा; और एमएसएमई की अपेक्षाओं के अनुरूप हस्तक्षेप के क्षेत्रों को निर्धारित किया।
- नौ (9) क्षेत्रों के चालीस (40) एसएमई समूहों में ऊर्जा और संसाधन मानचित्रण गतिविधियां शुरू की गईं। तकनीकी स्थिति, ईंधन के प्रकार, परिचालन प्रथाओं, ज्ञान धारणा आदि पर विस्तृत सर्वेक्षण के साथ एमएसएमई में तीन सौ (300) से अधिक विस्तृत ऊर्जा ऑडिट किए गए हैं।
- समीक्षा (लघु और मध्यम उद्यम ऊर्जा दक्षता ज्ञान साझाकरण) मंच की 18वीं और 19वीं बैठक क्रमशः 12 अक्टूबर, 2020 और 23 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। पिछली बैठक में चर्चा एमएसएमई के लिए ऊर्जा संरक्षण (ईसी) दिशानिर्देशों और इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यों पर केंद्रित थी। बैठक में बीईई, डीसी-एमएसएमई, एमएसएमई संघों के वरिष्ठ अधिकारियों और देश भर के विभिन्न ऊर्जा गहन एमएसएमई उप-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्यमियों ने भाग लिया।
- भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के आह्वान के साथ, सहवर्ती क्षमता और संस्थागत समर्थन को बढ़ावा देने वाला एक बहु-संस्थागत ढांचा विकसित किया गया और तकनीकी प्रगति और क्षमता निर्माण के साथ ईट (एमएसएमई) क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ साझा किया गया।

एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) समर्थित कार्यक्रम—

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत के कई ऊर्जा गहन समूहों में ईई प्रौद्योगिकियों को लागू कर रहा है, जिसमें यूएनआईडीओ और विश्व बैंक के माध्यम से वैश्विक पर्यावरण सुविधा के समर्थन से स्वच्छ, ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों और कार्यों को बढ़ावा देने व अपनाकर भारत में एसएमई क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने का सामान्य लक्ष्य है।



1. जीईएफ – यूएनआईडीओ – बीईई परियोजना (2011–2021)

“भारत में चयनित एमएसएमई समूहों में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने” की परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को शुरू करने और प्रक्रिया अनुप्रयोगों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए बाजार के माहौल को विकसित करना और बढ़ावा देना है।


यह परियोजना शुरू में पूरे भारत में पांच क्षेत्रों में 12 एमएसएमई समूहों में परिचालित थी, और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई तक पहुंचने के लिए 11 नए समूहों तक बढ़ाया गया है। समूह नीचे सूचीबद्ध हैं। 12 समूहों से सीखे गए ज्ञान और अनुभव का उपयोग नए पहचाने गए समूहों में ईई/आरई उपायों के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए किया जा रहा है ताकि परियोजना की शेष समय सीमा में सभी 23 समूहों में मिलकर काम किया जा सके।

क्षेत्र	समूह
पीतल	जामनगर
सिरेमिक्स	खुर्जा, थांगध, मोरबी और हिम्मतनगर
डेयरी	गुजरात, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब
फाउंड्री	बेलगाम, कोयंबटूर, इंदौर, अहमदाबाद और हावड़ा
हाथ के उपकरण	जालंधर और नागौरी
मिश्रित इंजीनियरिंग	इंदौर और सिक्किम

वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान इस कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- 250 केडब्ल्यूपी की संचयी क्षमता के साथ थांगध में 4 सिरेमिक संयंत्रों में सौर फोटोवोल्टिक रूफ-टॉप सिस्टम की स्थापन की सुविधा। क्लस्टर में कुल रूफ-टॉप पीवी इंस्टॉलेशन लगभग 1.75 एमडब्ल्यूपी तक पहुंच गया।
- ईई/आरई प्रौद्योगिकियों पर 6 प्रचार वीडियो और 15 ट्यूटोरियल वीडियो का विकास शुरू किया गया है।
- उन्नत गतिविधि के तहत ईई/आरई प्रौद्योगिकियों के सफल कार्यान्वयन के लिए केस स्टडी फ्लायर्स विकसित किए गए हैं।

परियोजना ने पहले से मौजूद 12 क्लस्टरों की अपनी गतिविधियों को 11 नए क्लस्टरों में भी बढ़ा दिया है। अब यह अधिक एमएसएमई को अपनी छत्रछाया में ला रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता पर अधिक तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।



उन्नयन चरण के तहत परियोजना द्वारा की गई गतिविधियां:

- कार्यान्वयन गतिविधियों के एक भाग के रूप में ठेकेदार अब सभी समूहों में एमएसएमई इकाइयों से 1081 ईओआई (रुचि की अभिव्यक्ति) की खरीद में समन्वय करने में सक्षम हैं।
- असाइनमेंट में भाग लेने के लिए एमएसएमई इकाइयों के बीच रुचि पैदा करने के लिए 24 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- 5 क्षेत्रों के लिए समूहों में संभावित 20 – 30 प्रमुख ऊर्जा बचत उपायों को शामिल करते हुए 25 क्लस्टर विशिष्ट ईई और आरई आधारित प्रौद्योगिकी संग्रह को अंतिम रूप दिया।
- ठेकेदारों द्वारा ईई/आरई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए अब तक विभिन्न समूहों में एमएसएमई इकाइयों को 636 कार्यान्वयन योजनाएं प्रस्तुत की गई थीं।
- 23 क्लस्टरों में एमएसएमई इकाइयों में ईई/आरई प्रौद्योगिकियों पर अब तक 257 कार्यान्वयन पूरे किए जा चुके हैं।

बेंचमार्किंग व डेटा एनालिटिकल टूल :

ऊर्जा यूज़ डेटाबेस व बेंचमार्किंग सिस्टम के लिए क्लस्टर लेवल/यूनिट लेवल क्लाउड बेस्ड डेटा एनालिटिक्स टूल तैयार किया जा रहा है। ये टूल एमएसएमई उद्यमियों को उद्योगों में ऊर्जा खपत के चौबीसों घंटे ट्रैक रखने का एक आसान तरीका उपलब्ध कराएगा। इससे यूनिट्स में एतिहातन उठाए गए कदमों को समय रहते उठाए जाने पर ऊर्जा के किसी भी नुकसान से निश्चित रूप से बचा जा सकेगा।

- प्रक्रियाओं को समझने और उपकरणों के लिए केपीआई (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स) तैयार करने हेतु क्लस्टर स्तर के सर्वे / दौरे किए गए थे
- 12 क्लस्टरों के लिए विभिन्न श्रेणियों में एक्सल आधारित केपीआई तैयार किया गया है
- केपीआई सॉफ्टवेयर टूल आधारित एक्सल तैयार किया जा रहा है
- एक्टिव डेटा के साथ टूल की जांच करने के लिए बेंचमार्क किए जाने वाली हर श्रेणी पर 10 एमएसएमई यूनिट्स की पहचान की गई है।

ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थिरता

परियोजना के तहत स्थापित ईएमसी के लिए लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस मॉडलों को तैयार कर क्लस्टरों में ईएमसी की स्थिरता खोजी जा रही है। परियोजना अवधि के बाद स्वतंत्र रूप से चलते रहने के लिए यह ईएमसी हेतु अपनाए जा सकने वाले स्थिर मॉडल्स उपलब्ध कराएगा।

- अब तक, 5 क्लस्टरों में प्रारंभिक परामर्श पूरे हो चुके हैं और बाकी 3 क्लस्टरों में ये काम अभी चालू है
- संभाव्यता रिपोर्ट के अंतिम रूप लेने पर ही राउंड टेबल परामर्श मीटिंग आयोजित की जाएगी। स्थिर मॉडल्स पर अंतिम रिपोर्ट में मिलने वाले बिंदुओं के आधार पर ईएमसी जमा कराई जाएगी



मार्च, 2021 तक परियोजना द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां

- 12 कलस्टरों के 345 उद्योगों में 603 ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा मानक लागू किए गए हैं
- प्रति वर्ष 10850 एमटीओई ऊर्जा की बचत की गई और 62868 टन CO₂ उत्सर्जन होने से रोका जा सका
- 58.58 करोड़ रुपए बचाए जा सके और 89.76 करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ

2. जीईएफ – वर्ल्ड बैंक – बीईई परियोजना (2011–2019)


25 से ज़्यादा एमएसएमई कलस्टरों में तय किए एमएसएमई कलस्टरों में ऊर्जा दक्षता निवेशों की मांग में बढ़ोतरी लाने और वाणिज्यिक वित्त तक पहुंच बनाने के लिए क्षमता निर्माण करने के उद्देश्यों वाली परियोजना को मई, 2019 तक सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया था। परियोजना की लागूकरण समापन रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि परियोजना ने एमएसएमई में ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने के प्रति भरोसा जगने के साथ-साथ प्रेरणा मिली है। साथ ही इसके उल्लिखित परिणामों को भी सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है।

हालांकि, इस क्षेत्र में ऊर्जा बचत के लिए अपार संभावनाएं हैं, ब्यूरो यहां से डिकार्बोनाइज़ेशन, इंडस्ट्री 4.0 के तहत आने वाली पहलों के अनुसार ऊर्जा दक्षता, आईएसओ 50001 और ऊर्जा दक्षता सम्बंधी दिशा निर्देशों को लागू करने के अलावा संपूर्ण औद्योगिक बदलाव चाह रहा है। इस संबंध में, बीईई ने एमएसएमई के अपेक्षित ज़रूरी सपोर्ट को शामिल करते हुए एक नीतिगत विज़न के साथ 2021–2026 योजना का प्रारूप तैयार किया है।

3. निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी नियोजन की सुविधा

पृष्ठभूमि:

- निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी नियोजन (FLCTD) की सुविधा (www.low-carbon-innovation.org) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) के सहयोग से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित एक परियोजना है और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त पोषित है।)
- परियोजना का मुख्य उद्देश्य नवोन्मेषी निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी के सत्यापन को सुगम बनाना है जिससे पैमाने को बढ़ाने में सहायता मिलती है। चयनित क्षेत्रों में नवीन स्वच्छ और निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों की नियोजन तैनाती और स्केलिंग और इस तरह जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी अंतराल को दूर करना।
- इस परियोजना के तहत प्रारंभिक चरण के नवाचारों की पहचान करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है जो प्रौद्योगिकी अंतर को पूरा करता है, और ऊर्जा बचत के साथ-साथ प्रतिकृति की क्षमता रखता है। यह वार्षिक "नवाचार चुनौतियों" एक खुली पुरस्कार प्रतियोगिता की एक श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, जिसमें 6 तकनीकी नवाचार समाधान (i) वेस्ट हीट रिकवरी, (ii) पम्प, पंपिंग सिस्टम और मोटर्स, (iii) स्पेस कंडीशनिंग, (iv) औद्योगिक संसाधन दक्षता, (v) औद्योगिक IoT और (vi) विद्युत ऊर्जा भंडारण। हैं।



- यह परियोजना विजेताओं को नवोन्मेष को मान्य करने और क्षेत्र की परिस्थितियों में इसकी प्रभावशीलता प्रदर्शित करने के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है – व्यावसायीकरण के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त।



2020-21 के दौरान की गई गतिविधियां

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफएलसीटीडी ने 6 अप्रैल 2020 को डब्ल्यूएचआर, स्पेस कंडीशनिंग और पंप वर्टिकल में तीसरी वार्षिक नवाचार चुनौती शुरू की। 17, 21 और 27 अप्रैल को 4 आउटरीच वेबिनार आयोजित किए गए, जिसमें उद्योगों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और नीति एजेंसियों और अनुसंधान संगठनों के 766 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा, परियोजना ने नवाचार चुनौती के व्यापक प्रचार के लिए AGNiI और स्टार्टअप इंडिया जैसे भारत सरकार के प्लेटफार्मों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया।
2. 22 मई को, एफएलसीटीडी ने उद्योग जगत के नेताओं और विशेषज्ञों के एक पैनल के साथ "कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए मुख्य धारा नवाचार" पर एक आधे दिन की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में 495 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
3. दूसरे एक्सेलेरेटर कोहोर्ट के लिए एफएलसीटीडी एक्सेलेरेटर कॉल-फॉर-एप्लिकेशन का शुभारंभ 5 जून को स्टार्टअप-इंडिया वेबसाइट पर किया गया। 24 अगस्त को 155 आवेदन प्राप्त होने के बाद एफएलसीटीडी एक्सेलेरेटर के दूसरे बैच को प्रोग्राम के लिए 25 स्टार्टअप्स और 20 मेंटर्स के साथ शॉर्टलिस्ट किया गया था।



4. तीसरी वार्षिक नवोन्मेष चुनौती 31 मई को बंद कर दी गई थी और इसमें रुचि के 177 भाव प्राप्त हुए, यानी वेस्ट हीट रिकवरी वर्टिकल में 69 प्रविष्टियां, स्पेस कंडीशनिंग में 64 और पंप्स एंड मोटर्स टेक्नोलॉजी वर्टिकल में 44 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। विशेषज्ञों द्वारा आवेदनों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग के बाद, 13 कंपनियों को विजेताओं के रूप में घोषित किया गया, जिन्हें परियोजना के तहत समर्थन दिया जाना है।
5. दूसरे बैच के एक्सेलेरेटर के लिए कॉल-फॉर-एप्लिकेशन की घोषणा जून के पहले सप्ताह में "स्टार्टअप इंडिया" के साथ संयुक्त रूप से की गई थी। स्टार्टअप इंडिया वेब-पोर्टल पर एक्सेलेरेटर को कॉल-फॉर-एप्लिकेशन 31 जुलाई 2020 को बंद कर दिया गया था और 155 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 28 का चयन किया गया था।
6. 18 और 19 जनवरी को 40 प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें एक्सीलेरेटर कार्यक्रम में भाग लेने वाले पहले समूह के प्रतिभागी भी शामिल थे।
7. तीन नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर नवाचार चुनौती ए) औद्योगिक IoT बी) औद्योगिक संसाधन दक्षता सी) विद्युत ऊर्जा भंडारण को एफएलसीटीडी वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2020 को 18 दिसंबर 2020 तक आवेदन जमा करने की समय सीमा के साथ शुरू किया गया था। कुल 6 वेबिनार और 2 कार्यशालाएं जागरूकता पैदा करने के लिए नवंबर और दिसंबर में आयोजित की गईं। इस नवोन्मेष चुनौती के लिए कुल 219 अभिरुचि के भाव प्राप्त हुए, जिसमें से विशेषज्ञ पैनल ने 20 विजेताओं का चयन किया।

1.5.7 डिस्कॉम का क्षमता निर्माण

2014 के दौरान बीईई ने 'डिमांड साइड मैनेजमेंट' प्रोग्राम शुरू किया था। डिस्कॉम का क्षमता निर्माण प्रोग्राम इसके तहत शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।


इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं – लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम संचालित करना, डीएसएम एक्शन प्लान तैयार करना और अपने-अपने क्षेत्रों में डीएसएम कार्यकलापों को लागू करना, ताकि बिजली की सबसे ज़्यादा मांग को कम किया जा सके। 2014-2017 की अवधि के बीच, 2017-2020 के दौरान 34 डिस्कॉम ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, 28 डिस्कॉम इस कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं।

बड़े कार्यकलाप जैसे लोड रिसर्च एक्टिविटी संचालित करना और उनके डीएसएम एक्शन प्लान को अंतिम रूप देना, टीओटी प्रोग्राम के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स का विकास, सर्किल स्तर के अधिकारियों का क्षमता निर्माण और डिस्कॉम को मैनपावर सहायता उपलब्ध कराना, बीईई द्वारा ज़ोन अनुसार तैनात प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं।

उपलब्धियां:

इस कार्यक्रम के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियां इस प्रकार से हैं:

- देश भर से 28 डिस्कॉम लाभार्थी डिस्कॉम के रूप में प्रतिभाग ले चुके हैं।
- डीएसएम कार्यकलापों के संचालन के लिए 27 डिस्कॉम्स द्वारा समर्पित डीएसएम सेल का गठन किया गया।



- 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डीएसएम विनियमों को अधिसूचित किया गया। शेष राज्य अपने लिए डीएसएम विनियमों को अधिसूचित करने की तैयारी कर रहे हैं।
- बीईई ने 5 परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं के साथ काम करना शुरू किया था और उनके साथ मिलकर निम्न काम पूरे किए गए।
 - ◆ 26 डिस्कॉम्स के लिए लोड रिसर्च स्टडी संचालित की गई और उनके डीएसएम एक्शन प्लान्स को अंतिम रूप दिया गया
 - ◆ प्रशिक्षक कार्यक्रमों के 28 प्रशिक्षण आयोजित हुए और डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर 920 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया
 - ◆ डिस्कॉम्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के सर्किल लेवल अधिकारियों के 88 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर 2921 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया
 - ◆ इस कार्यक्रम में डीएसएम कार्यकलापों को लागू कराने के लिए 60 डिस्कॉम्स को मैनपावर सहयोग उपलब्ध कराया गया
 - ◆ विभिन्न डीएसएम इंटरवेनशंस के लिए 69 डीएसएम परियोजना प्रस्तावों को तैयार कर लागू करने के लिए क्रमशः डिस्कॉम्स को जमा कर दिया गया है
 - ◆ ऐसा अनुमान है कि 13018 एमडब्ल्यू की बचत की जा सकती है और वर्ष में 26575 एमयू बचाए जा सकते हैं, इन लक्ष्यों को 43775 करोड़ रुपए का निवेश कर विभिन्न डीएसएम और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को संलग्न कर हासिल किया जा सकता है

क. डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर डिस्कॉम्स के लिए प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

डिस्कॉम्स के वरिष्ठ / मध्यम प्रबंधन स्तर के अधिकारियों को डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर मास्टर प्रशिक्षक तैयार करने एसडीए के साथ मिलकर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस आयोजन का लक्ष्य अपने अधिकार क्षेत्र में डीएसएम और ऊर्जा दक्षता कार्यकलापों के संचालन के लिए डिस्कॉम्स के अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना और सर्किल स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना था।

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार करने का उद्देश्य विषय पर मास्टर प्रशिक्षक तैयार करने के लिए मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता के लिए डिस्कॉम्स के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम में डीएसएम की मूलभूत बातें, ऊर्जा क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, ऊर्जा संरक्षण और डीएसएम विनियमनों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में लोड रिसर्च एक्टिवटी के साथ मांग पक्ष प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया भी समावेशित है जो डीएसएम की संभावनाएं, डीएसएम मानकों की किफ़ायतता, परियोजना का डिज़ाइन, डीएसएम फ़ाइनेंसिंग, लागूकरण फ़्रेमवर्क और मॉनिटरिंग, सत्यापन और रिपोर्टिंग में मदद मिलती है। कार्यक्रम डीएसएम पर ज्ञान साझा करने के लिए अनेकों राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मामलों के अध्ययनों को भी शामिल किया जा रहा है।




ख. डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर डिस्कॉम के सर्किल स्तर के अधिकारियों की क्षमता का निर्माण

सर्किल स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर डिस्कॉम कार्यक्रम के क्षमता निर्माण के तहत ज्ञान साझा करने वाले सत्र थे। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य प्रशिक्षकों को देश में ऊर्जा दक्षता की बदलती गतिशीलता से परिचित कराना था। कार्यक्रम को मुख्य रूप से डीएसएम की बुनियादी अवधारणाओं और इसके कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न वित्तीय विश्लेषण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।



ग. डिस्कॉम्स के लिए आयोजित भार शोध अध्ययन के आधार पर डीएसएम कार्य योजना तैयार करना
किए गए भार शोध अध्ययन के आधार पर डिस्कॉम के लिए डीएसएम एक्शन प्लान तैयार किए गए। इन डीएसएम कार्य योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम को प्रस्तुत किया गया है



यह उम्मीद की जाती है कि इन हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान मिलेगा और जलवायु परिवर्तन का सामना कर पाएँगे और निजी निवेशकों व उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्षता बाजार का समर्थन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्य योजना के हिस्से के रूप में सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

औद्योगिक उपभोक्ता

- चयनित औद्योगिक श्रेणियों में केंद्रित ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम का कार्यान्वयन
- कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम
- ऊर्जा दक्ष उपस्करों/उपकरणों को बढ़ावा देना

घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ता

- ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रचार
- उपभोक्ता जागरूकता अभियान

पहचान की गई फंडिंग तंत्र में सिडबी जैसे एसएमई बैंकिंग से अलग एआरआर, राज्य सरकार के अनुदान आदि के माध्यम से ईएससीओ मोड, बिल वित्तपोषण पर, वसूली लागत जैसे मॉडल शामिल हैं।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए राइस कुकर

राइस कुकर का उपयोग पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर पहाड़ी राज्यों में अत्यधिक किया जाता है। इस क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश राइस कुकर स्थानीय या चीन निर्मित हैं और इसलिए ऊर्जा अदक्ष हैं। इसके साथ ही देश के इस क्षेत्र में लाइटिंग, पंखे और एसी जैसी श्रेणियों में उपकरणों में सुधार की गुंजाइश है।



घ. डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर उपयोगिता के लिए बचत अनुमान




भार अनुसंधान अध्ययन के आधार पर, विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों में विद्युत ऊर्जा बचत के संभावित दायरे और विभिन्न डिस्कॉम में संभावित हस्तक्षेपों की पहचान की गई है। डिस्कॉम को उनके अधिकार क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए 51 डीएसएम प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

यह अनुमान है कि 13018 मेगावाट की बचत क्षमता है और लगभग 26575 एमयू की वार्षिक बचत इन 28 डिस्कॉम के पास है और निवेश की आवश्यकता लगभग 43,775 करोड़ रुपए है।

1.5.8 राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को मजबूत करना

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी अधिनियम), देश में ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो स्तरीय संगठन के निर्माण को अनिवार्य बनाता है। इसमें बीईई केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी और एसडीए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में नोडल एजेंसियों के रूप में काम करते हैं। ईसी अधिनियम की धारा 15(घ) में प्रावधान है कि राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने क्षेत्र के भीतर अधिनियम के प्रावधानों को समन्वय, विनियमित और लागू करने के लिए राज्य स्तर पर किसी भी एजेंसी को नामित कर सकता है। देश के 36 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने अब तक अपने-अपने क्षेत्र में एक एसडीए नामित किया है। अलग-अलग राज्यों में ये एजेंसियां अलग-अलग हैं, जिसमें अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी 44%, बिजली विभाग में 22%, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट में 17%, वितरण कंपनियों में 11% और स्टैंडअलोन एसडीए में 6% शामिल हैं।

एसडीए की संस्थागत, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के निर्माण पर जोर देने के अलावा राज्य स्तर पर ईई और ईसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने 'एसडीए को ऊर्जा के दक्ष उपयोग के समन्वय, विनियमन और लागू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए' योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना को 'राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (एसईसीएफ) में योगदान' को योजना का पूरक बनाया गया है। ईई और ईसी तथा भविष्य के प्रयासों को जारी रखने और प्रत्येक राज्य में पर्याप्त ऊर्जा बचत का अनुभव करने के लिए, 'राज्य स्तर पर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एसडीए को मजबूत करने' की योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जारी रखी गई थी।



क) राज्य में ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के समन्वय, विनियमन और लागू करने के लिए एसडीए को वित्तीय सहायता

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित उप-घटकों के तहत ईई और ईसी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए 30 एसडीए को 29.56 करोड़ रुपए का वितरण किया गया था।

- **स्टेट पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी डेमोन्स्ट्रेशन्स (स्पीड)** : इसके तहत स्ट्रीट लाइटिंग, पानी पंपिंग (पीने के पानी की आपूर्ति प्रणाली, कृषि जल पंपिंग सिस्टम आदि), बिजली के उपकरणों / उपकरणों की रेट्रोफिटिंग के क्षेत्रों में प्रदर्शन परियोजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। इमारतों, नगरपालिकाओं, सरकारी भवनों आदि में स्मार्ट मीटर लगाना, वेस्ट हीट रिकवरी, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग आदि। इन प्रदर्शन परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- व्यावहारिक प्रदर्शनों के ज़रिए ऊर्जा दक्ष उपकरणों / प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का प्रदर्शन
- राज्य सरकारों को विभिन्न विभागों / एजेंसियों के माध्यम से इन प्रदर्शन परियोजनाओं को दोहराने में सुविधा दिलाना

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 21 एसडीए द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग, पानी पंपिंग, इमारतों में बिजली के उपकरणों की रेट्रोफिटिंग और वेस्ट हीट रिकवरी की 30 प्रदर्शन परियोजनाओं को लागू किया गया। इसके अलावा 22 एसडीए ने 800 सरकारी स्कूलों में मौजूदा पारंपरिक उपकरणों को ऊर्जा दक्ष उपकरणों के साथ बदलने का काम किया है।

- **आदर्श ऊर्जा दक्ष ग्राम अभियान** : यह उप-घटक एसडीए द्वारा चलाया जाता है जिसमें 200–250 घरों (पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए छूट) वाले गांवों को मौजूदा अदक्ष उपकरणों / उपकरणों को बदलकर ऊर्जा दक्ष गांवों में परिवर्तित किया जाता है। स्टार लेबल वाले उपकरण जिनमें पानी के पंप, पंखे, इंडक्शन कुक स्टोव, डीजल जनरेटर, वॉटर हीटर, स्ट्रीट लाइट और घरेलू प्रकाश शामिल हो सकते हैं। जबकि प्रत्येक राज्य के दो से तीन गांवों को इस अभियान के तहत शामिल किए जाने की संभावना है, और अधिक गांवों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों / प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता का प्रदर्शन करने के लिए अन्य संसाधनों के माध्यम से इसी तरह के हस्तक्षेप के लिए विधायकों के दबाव से लाभान्वित होने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान इस प्रयास के तहत 21 एसडीए द्वारा 180 गांवों को मॉडल ऊर्जा दक्ष गांवों में परिवर्तित करने के लिए मौजूदा अदक्ष बिजली के उपकरणों को बीईई स्टार रेटेड उपकरणों के साथ घरेलू बल्ब, स्ट्रीट लाइट, पंखे, पानी के पंप, आदि सहित बदलने के लिए लिया गया था।

- **राज्य स्तर पर प्रवर्तन मशीनरी का संस्थानीकरण** : इस उप-घटक का मुख्य उद्देश्य ब्यूरो के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे पीएटी, ईसीबीसी, एसएंडएल, आदि के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रवर्तन तंत्र विकसित करना और एसडीए में नियुक्त निरीक्षण अधिकारी, एसईआरसी में न्यायनिर्णायक



अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी जो उक्त कार्यक्रमों को लागू करने से जुड़े हो सकते हैं सहित राज्य स्तर पर प्रवर्तन मशीनरी की क्षमता निर्माण करना है।

वित्त वर्ष 2020–21 के अंत तक, 22 एसडीए ने अधिसूचित निरीक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने निरीक्षण अधिकारियों को नियुक्त किया है।

- **एसडीए को जनशक्ति सहायता :** एसडीए के सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम का यह घटक एसडीए को अपने कार्यालयों में जनशक्ति को शामिल करने में सक्षम बनाता है जो उनके कार्यों को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में उनकी सहायता करते हैं।
- राज्य ऊर्जा दक्षता अनुसंधान और आउटरीच कार्यक्रम: इस उप-घटक के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं।
 - ऊर्जा दक्षता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं और शैक्षिक/तकनीकी/अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को मजबूत करना।
 - एसडीए द्वारा की गई आउटरीच गतिविधियों को बढ़ाने के लिए।

क्षेत्रीय/स्थानीय स्तर पर भौतिक रूप से/वर्चुअली कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, जिससे ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता पर जागरूकता आम जनता, सरकार के अधिकारियों, विभागों, स्कूली छात्रों और शिक्षकों आदि के बीच फैली है।


अंग्रेजी और स्थानीय बोलियों में विकसित की गई प्रचार सामग्री जैसे पैम्फलेट, बुकलेट, बैनर, ब्रोशर, पोस्टर आदि के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता पर व्यापक जागरूकता पैदा की गई है।

जागरूकता पैदा करने के कुछ अन्य तरीके रेडियो चैनलों पर प्रसारित होने वाले जिंगल, एफएम, टेलीविजन आदि पर विज्ञापन, रेलवे स्टेशनों जैसे बड़े पैमाने पर होर्डिंग आदि हैं।

- ऊर्जा व्यावसायिकों की कार्यशालाएं/क्षमता निर्माण: इस उप-घटक का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर सभी संबंधित हितधारकों के लिए ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए सूचना प्रसारित करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए एसडीए को सक्षम करना है।

2020–21 के दौरान एसडीए द्वारा ऐसी लगभग 130 कार्यशालाओं सह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

- एसडीए द्वारा ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण और सर्वेक्षण: योजना के इस घटक का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर एसडीए द्वारा किए गए विभिन्न ईई और ईसी गतिविधियों के दस्तावेजों के परिणामों को सक्षम करना है।
- बनाए गए इंटरनेट प्लेटफॉर्म और अन्य डेटाबेस का रखरखाव और अद्यतन: योजना के इस हिस्से का प्राथमिक उद्देश्य एसडीए को अपनी स्थापित वेबसाइट और उस पर उपलब्ध विभिन्न डेटाबेस की सामग्री को नियमित रूप से अपडेट करने में सक्षम बनाना है। एसडीए की वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त जानकारी विभिन्न हितधारकों और समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद और मूल्यवान है।



- छात्र जागरूकता/छात्र क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एससीबीपी): इस घटक के तहत एसडीए द्वारा की जा रही प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:
 - स्कूल/राज्य बोर्डों/आईटीआई/डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज पाठ्यक्रम के लिए ईसी पर अध्यायों का विकास और समावेश।
 - नए मॉड्यूल/अध्यायों पर स्कूल शिक्षकों/व्याख्याताओं का प्रशिक्षण।
 - ऊर्जा क्लबों के निर्माण पर स्कूलों और डिग्री कॉलेज स्तर, आईटीआई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज (पॉलीटेक्निक), इंजीनियरिंग कॉलेजों में वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं।

ख) राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष में योगदान

ईसी अधिनियम 2001 की धारा 16(1) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राज्य के भीतर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (एसईसीएफ) का गठन करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, ग्यारहवीं योजना के दौरान एमओपी द्वारा "एसईसीएफ में योगदान" शीर्षक वाली एक योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसे जारी रखा जा रहा है।

एसईसीएफ ईई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। एसईसीएफ से ईई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए, एसईसीएफ के तहत वितरित धन का बड़ा हिस्सा अलग से परिक्रामी निवेश कोष (आरआईएफ) के रूप में निर्धारित किया जाना है। इस आरआईएफ का उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों/एजेंसियों के भवनों, ईई स्ट्रीट लाइटिंग या कॉमन एरिया लाइटिंग परियोजनाओं, सार्वजनिक पेयजल पंपिंग स्टेशनों और कृषि क्षेत्रों में पानी पंप करना, विभिन्न समूहों में एमएसएमई औद्योगिक इकाइयों में ईई परियोजनाएं आदि सहित सार्वजनिक भवनों में ईई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।

एसईसीएफ के तहत योगदान उन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को दिया जाता है जिन्होंने अपना एसईसीएफ बनाया है और इसे लागू करने के लिए नियमों और विनियमों को अंतिम रूप दिया है। यह योजना बीईई द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में योगदान के लिए है, जिसमें किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम 4.0 करोड़ रुपये की सीमा है, जो प्रत्येक 2.0 करोड़ रुपये की दो किस्तों में प्रदान की जाती है। एसईसीएफ में योगदान के तहत दूसरी किस्त तभी जारी की जाती है जब राज्यों ने बीईई की पहली किस्त में एक समान योगदान प्रदान किया हो। पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा मिलान योगदान को 2.0 करोड़ रुपये के बजाय 25.0 लाख रुपये कर दिया गया है। अब तक, 32 राज्यों ने स्थापित किया है।

1.5.9 विविध

ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार, सभी नामित ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा करवाएं और ऊर्जा प्रबंधक को नामित या नियुक्त करें।



बीईई ने मई 2004 से नियमित रूप से ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा आयोजित की है और ऊर्जा प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, वित्त पोषण और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विशेषज्ञता के साथ पेशेवर रूप से योग्य ऊर्जा प्रबंधकों और लेखा परीक्षकों का एक संवर्ग बनाया है।

देश में अब कुल 17,256 ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा प्रबंधक हैं, जिनमें से 10,456 को 2004–2019 के दौरान आयोजित पिछली 20 परीक्षाओं में प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों के रूप में क्वालिफ़ाई किया है।

राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा सामान्य रूप से सितंबर के महीने में आयोजित की जाती है। 21वीं परीक्षा सितंबर 2020 में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण, वर्ष 2020 और 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षा वर्ष 2021 में आयोजित की जानी निर्धारित की गई। 21वीं परीक्षा के लिए लगभग 4881 पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं। महामारी की स्थिति उचित नहीं रही तो ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन पर भी विचार किया जा सकता है।

अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो ऊर्जा प्रबंधकों व ऊर्जा परीक्षकों के क्षमता निर्माण के चलते, राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के रास्ते विज्ञापन प्रारूप का ऊर्जा की गहनता के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक प्रभाव रहेगा।

i) प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों का प्रत्यायन


ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001, केंद्र सरकार को ऊर्जा गहन औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को 'नामित उपभोक्ता' के रूप में नामित करने की शक्ति प्रदान करता है। इन नामित उपभोक्ताओं को समय-समय पर मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा करवानी होती है। इसके लिए अधिनियम ऊर्जा लेखा परीक्षकों को मान्यता देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को भी बाध्य करता है।

प्रत्यायन सलाहकार समिति द्वारा प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों का मूल्यांकन और मान्यता के लिए सिफारिश की जाती है। जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक, बीईई और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कोयला मंत्रालय से नियुक्त किए गए सदस्यों द्वारा की जाती है। फिर ब्यूरो की प्रबंधन सलाहकार समिति सिफारिश किए गए इन नामों को द्वारा अनुमोदित करती है।

वर्तमान में देश में 272 मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक हैं।

ii) पीएटी के तहत मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक फर्मों का पैनल

सभी नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के लिए अनिवार्य है कि वे मान्यता प्राप्त पैनल ऊर्जा लेखा परीक्षक फर्मों से मापन और सत्यापन (एम एंड वी) का काम कराएँ। वर्तमान में कुल 74 पैनलबद्ध मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक फर्म प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत ऊर्जा खपत मानदंडों और मानकों के अनुपालन और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करने या खरीदने के संबंध में, मापन और सत्यापन (एमएंडवी) सहित सत्यापन और सत्यापन की जांच करने का काम कर रही हैं।



iii) ऊर्जा प्रबंधक प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए रिक्रेशर कोर्स

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार, एक ऊर्जा प्रबंधक के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा सालाना आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन परीक्षा के तीन पेपर (ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा लेखा परीक्षा के सामान्य पहलू; विद्युत उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता; थर्मल उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता) उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) योग्य ऊर्जा प्रबंधकों/ऊर्जा लेखा परीक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा प्रबंधकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया), 2010 के विनियमन 8 के तहत, ब्यूरो या अनुमोदित संस्थान या संगठन द्वारा आयोजित एक रिक्रेशर ट्रेनिंग कोर्स में भाग लेने के बाद, इस प्रमाण पत्र को हर पांच साल के बाद नवीनीकृत किया जाना है। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य इन ऊर्जा प्रबंधकों को ऊर्जा मानदंडों और मानकों को लागू करते हुए ऊर्जा प्रबंधन के लिए नवीनतम तकनीकों के बारे में अपडेट करना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।

बीईई ने दो चरणों में 90 कार्यशालाओं का आयोजन किया है और लगभग 2,356 ऊर्जा प्रबंधकों/ऊर्जा लेखा परीक्षकों ने कोर्स में भाग लिया है।

जागरूकता और आरूढरीच (2020-21)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने जनता के बीच ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक 'जागरूकता अभियान' शुरू किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक मीडिया अभियान चलाया गया था। ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने और व्यापक कवरेज के लिए इसे जनता के बीच फैलाने के लिए, बीईई ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और आउटडोर मीडिया में कई गतिविधियां शुरू की हैं, जो नीचे दी गई हैं:

1. प्रिंट मीडिया:

विजली के उपकरणों की स्टार रेटिंग के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए बीईई समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करता रहा है। यह लोगों को लेबल और उनके उपयोग के बारे में अधिक शिक्षित करने में मदद करता है। इसके अलावा, उद्योग, संस्थान, उपकरण, भवन, परिवहन आदि की श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) की घोषणा के लिए पूरे भारत में विज्ञापन भी जारी किए गए थे।

2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया:

रेडियो के कार्यक्रम:

लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, बीईई 19 भाषाओं में 15 मिनट के एपिसोड (6 प्रति सप्ताह) का एक प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम बचत के सितारे – दोस्त हमारे चला रहा है। वर्ष के दौरान, बीईई ने अपने रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो (एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, प्राइमरी चैनल और विविध भारती) में मार्च, 2021 तक सोमवार से शनिवार से शाम 7-8 बजे के बीच किया है।



Bachat Ke Sitare Dost Hamare
Radio Programme on Energy Conservation

Schedule – Primary Channels

STATIONS	TIMESLOT	STATIONS	TIMESLOT
Gowhat	09.00 PM	Ranchi	09.00 AM
Ahmedabad	11.30 AM	Bhopal	MON - 12.30 PM
Jammu	02.45 PM		TUE - 06.50 AM
Kohima	MON-FRI - 10.30 AM & SAT - 11.30 AM		WED - 08.50 AM
Gangtok	10.00 AM		THU - 12.30 PM
Srinagar	12.40 PM		FRI - 09.00 AM
Tura	07.30 PM	SAT - 12.30 PM	
Imphal	08.30 PM	Shimla	11.30 AM
Aizawl	07.15 PM	Bhopal	06.35 PM
Agartala	07.15 PM	Jaipur	09.25 AM
Patna	11.15 AM	Kapur	08.00 PM
		Port Blair	07.00 PM

● ● ● /beemedia@digital ● /bureauofenergyefficiency


प्रत्येक एपिसोड में ऊर्जा संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा खपत पर सुझावों से संबंधित जागरूकता शामिल थी। कार्यक्रम में सामान्य संदेशों को मनोरंजक तरीके से विधिवत एकीकृत किया गया।

3. आउटडोर मीडिया:

लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन की ब्रांडिंग:

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन को ब्रांडिंग और स्टेशन पर जागरूकता संदेश प्रदर्शित करने के लिए किराए पर लिया। महत्वपूर्ण स्थान पर होने के कारण इस स्टेशन में दीवारों पर ग्रैफिटी के माध्यम से प्रचार के विशेष अवसर प्रदान किए। इस क्षेत्र से गुजरने वाली आम जनता के लिए विभिन्न संदेश प्रदर्शित किए गए।





4. सोशल मीडिया:

बीईई अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से अपनी योजनाओं, ऊर्जा संरक्षण पर संदेशों और ऊर्जा संरक्षण के सुझावों के बारे में सक्रिय रूप से जानकारी प्रसारित कर रहा है। पिछले वर्ष में, बीईई के सभी सोशल हैंडल यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंकडइन और यूट्यूब चैनल पर 1,200 से अधिक संदेश पोस्ट किए गए थे।

विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों यानी ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) 2020 हाइब्रिड इवेंट का लाइव कवरेज किया गया। हाइब्रिड कार्यक्रम में 2,100 से अधिक प्रतिनिधियों, पुरस्कार विजेताओं और प्रतिभागियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा।





5. प्रदर्शनी:

वित्त वर्ष 2020-21 में, बीईई ने नवंबर, 2020 में वर्चुअल स्टॉल/बूथ के माध्यम से तीसरे ग्लोबल री-इनवेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो में भाग लिया। री-इनवेस्ट 2020 में नवीकरणीय और भविष्य के ऊर्जा विकल्प पर दो दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में लगे निर्माताओं, डेवलपर्स, निवेशकों और नवप्रवर्तकों की एक प्रदर्शनी शामिल थीं।



इस आयोजन ने विभिन्न देशों, राज्यों, व्यापारिक घरानों और संगठनों को अपनी कार्यनीतियों, उपलब्धियों और अपेक्षाओं को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया। इसने भारत में प्रमुख हितधारकों के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान की, जो आज दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा बाजारों में से एक के रूप में उभरा है।

इस कार्यक्रम में दुनिया भर के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों, वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 20 से अधिक पूर्ण और तकनीकी सत्रों के साथ, एक विशेष मुख्यमंत्री स्तरीय पूर्ण सत्र सहित 6 केंद्रित देश के सत्र शामिल थे। लगभग 80 अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं सहित 200 से अधिक वक्ताओं ने विभिन्न सत्रों में बात की। री-इनवेस्ट में 100 से अधिक प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के साथ एक प्रदर्शनी भी शामिल है।

6. विशिष्ट जागरूकता अभियान

‘गो इलेक्ट्रिक’ अभियान का शुभारंभ

जारी दिशानिर्देशों और मानकों के तहत विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित किया है। विद्युत मंत्रालय के निर्देशानुसार आम जनता को ई-मोबिलिटी तथा स्वच्छ और सुरक्षित कुकिंग के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी “गो-इलेक्ट्रिक” मीडिया अभियान शुरू किया गया।



इस संबंध में, "गो इलेक्ट्रिक" जागरूकता अभियान और एक साइडलाइन ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम प्रदर्शनी का उद्घाटन 19 फरवरी, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में श्री आर.के सिंह ऊर्जा और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री की गौरवमयी उपस्थिति में श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री द्वारा किया गया था।





ईट क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्ष उद्यम (ई3) प्रमाणन कार्यक्रम की शुरुआत करके विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र में 'अमृत महोत्सव' का शुभारंभ।

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर के सिंह ने मार्च, 2021 में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के तहत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला में "ईट निर्माण क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता उद्यम (ई3) प्रमाणन कार्यक्रम" का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर श्री आर. के. सिंह ने इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए ईट निर्माण उद्यमों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की सराहना की। उन्होंने उन्हें पारंपरिक से कुशल प्रौद्योगिकियों में स्थानांतरित करने और बेहतर थर्मल इन्सुलेशन के साथ कम घनत्व वाली ईटों की ओर उत्पाद शिफ्ट करने के लिए सहमत होने के लिए बधाई दी।




विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों यानी ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर ईट क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता उद्यम (ई3) प्रमाणन कार्यक्रम की शुरुआत करके बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में 'अमृत महोत्सव' का लाइव कवरेज किया और दर्शक इन प्लेटफार्मों के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े थे।

7. प्रकाशन :

ब्यूरो ने इस वर्ष कई दस्तावेज और रिपोर्ट प्रकाशित किए। संबंधित हितधारकों को प्रतियां वितरित की गईं और व्यापक प्रसार के लिए वेबसाइट पर भी अपलोड की गईं। वर्ष के दौरान प्रकाशित दस्तावेजों और रिपोर्टों की सूची नीचे दी गई है:

- बचत के सितारे 'गृहपत्रिका'
- प्रभाव आकलन रिपोर्ट 2018-19 (अंग्रेज़ी)
- प्रभाव आकलन रिपोर्ट 2018-19 (हिंदी)
- उन्नति रिपोर्ट
- एमएसएमई के लिए ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देश
- पीएटी चक्र-II के प्रारंभिक निष्कर्ष



8. अन्य जागरूकता गतिविधियां :

- मार्च-अप्रैल, 2020 में MyGov पोर्टल पर क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से बीईई द्वारा एक मैसकॉट डिजाइनिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।
- ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता पर संदेशों को प्रचारित करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया।
- निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण और मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल के लिए जागरूकता वीडियो बनाया और बीईई वेबसाइट, और बीईई के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया।

1.6 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता

1.6.1 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), भारत में ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार अनिवार्य है।



जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार रहा है। ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में बीईई, हर साल 14 दिसंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों से सम्मानित करके ऊर्जा खपत को कम करने में औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के प्रयासों को मान्यता देता है और प्रोत्साहित करता है।

यह पुरस्कार पहली बार 14 दिसंबर, 1991 को दिए गए थे, जिसे 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस' के रूप में घोषित किया गया था। तब से, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) सभी हितधारकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और साल दर साल भागीदारी स्तर में वृद्धि देखी गई है। ये पुरस्कार ईसी दिवस पर प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री और माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री आदि जैसे सर्वोच्च पदाधिकारियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।


2020 वर्ष के लिए, पुरस्कार समिति ने प्रथम पुरस्कार के लिए 16 इकाइयों, द्वितीय पुरस्कार के लिए 10 इकाइयों, योग्यता प्रमाणपत्र के लिए 25 इकाइयों और वर्ष के अति ऊर्जा दक्ष उपकरण के लिए 6 पुरस्कारों का चयन किया है।

11 जनवरी 2021 को श्री आर.के. सिंह, विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2020 मनाया गया था।



एनईसीए 2020 के लिए, 409 इकाइयों ने भाग लिया और सामूहिक रूप से 1503 करोड़ रुपये की वार्षिक मौद्रिक बचत हासिल की और 3007 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत की।

उद्योग, भवन, परिवहन, संस्थानों और ऊर्जा दक्ष उपकरण निर्माताओं के पुरस्कार विजेताओं की सूची इस प्रकार है:




राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार – 2020

क्र. सं.	क्षेत्र / श्रेणी	उप क्षेत्र	उपमंडल	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	योग्यता प्रमाण-पत्र
1.1	उद्योग	थर्मल पावर प्लांट	>100 मेगावाट (कोयला व गैस)	जीएमआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड –2x300 मेगावाट चंद्रपुर महाराष्ट्र	जेएसडब्लू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड, बाड़मेर (राजस्थान)	आईएल एंड एफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड, चेन्नई, (तमिलनाडु)
				नाभा पावर लिमिटेड, राजपुरा (पंजाब)		
			रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)			
			बज बज थर्मल पावर स्टेशन, 24 परगना, (पश्चिम बंगाल)			
			<100 मेगावाट (कोयला व गैस)	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड – अवरपुर सीमेंट वर्क्स, चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	—	—
1.2		डेयरी	—	हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, चित्तूर (आंध्र प्रदेश)	हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)	हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, बेंगलुरु (कर्नाटक)
1.3		एल्युमिनियम	बड़ा	वेदांता लिमिटेड स्मेल्टर प्लांट-1, झारसुगुडा (ओडिशा)	—	—
			छोटा	वेदांता लिमिटेड (लांजीगढ़), कालाहांडी (ओडिशा)	—	—



राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार – 2020						
क्र. सं.	क्षेत्र / श्रेणी	उप क्षेत्र	उपमंडल	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	योग्यता प्रमाण-पत्र
1.4		पेट्रोलियम रिफाइनरी		आईओसीएल – पारादीप रिफाइनरी, जगतसिंहपुर (ओडिशा)	—	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन – कोच्चि रिफाइनरी, एर्नाकुलम, कोशी (केरल)
1.5		ऑटोमोबाइल		टाटा मोटर्स लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट जमशेदपुर (झारखंड)	टाटा मोटर्स लिमिटेड, सीवीबीयू लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	टाटा मोटर्स लिमिटेड, पंतनगर प्लांट, उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर भारतीय प्राइवेट लिमिटेड, कोलार (कर्नाटक)
1.6		फर्टिलाइज़र	यूरिया आधारित फर्टिलाइज़र	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोओपरेटिव लिमिटेड, फूलपुर यूनिट-1 प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोओपरेटिव लिमिटेड, आंवला यूनिट-1 बरेली (उत्तर प्रदेश)	कृभको फर्टिलाइज़र लिमिटेड, शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोओपरेटिव लिमिटेड, आंवला यूनिट-II बरेली (उत्तर प्रदेश)
			कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोओपरेटिव लिमिटेड, पारादीप यूनिट, जगतसिंहपुर (ओडिशा)	—	—
1.7		सेकेंडरी स्टील	—	टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सरायकेला खरसावां जमशेदपुर, (झारखंड)	—	किलोसकर फेरेस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, कोप्पाल (कर्नाटक)




राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार – 2020

क्र. सं.	क्षेत्र / श्रेणी	उप क्षेत्र	उपमंडल	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	योग्यता प्रमाण-पत्र
1.8		रेलवे वर्कशॉप	—	डीजल लोको शेड, दक्षिण मध्य रेलवे, विजयवाड़ा डिविज़न, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	कांचरापाड़ा वर्कशॉप, पूर्वी रेलवे वर्कशॉप, उत्तर 24 परगना (पश्चिम बंगाल)	मेकेनिकल वर्कशॉप, उत्तर पूर्वी रेलवे, इज़्ज़तनगर, बरेली (उत्तर प्रदेश)
						मध्य रेलवे वर्कशॉप, मैसूर (कर्नाटक)
						मेकेनिकल वर्कशॉप, डिब्रुगढ़ उत्तर-पूर्वी प्रंतियर रेलवे, डिब्रुगढ़ (असम)
						मध्य वर्कशॉप, पोनमलई दक्षिणी रेलवे तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)
2	परिवहन	क्षेत्रीय रेलवे	—	पश्चिमी रेलवे, चर्चगेट, मुंबई (महाराष्ट्र)	पूर्वी रेलवे, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	उत्तर पूर्वी रेलवे, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद (तेलंगाना)
		राज्य सड़क परिवहन उपक्रम	—	—	—	पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र)



राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार – 2020

क्र. सं.	क्षेत्र / श्रेणी	उप क्षेत्र	उपमंडल	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	योग्यता प्रमाण-पत्र
3	संस्थान	नगरपालिका	—	चंडीगढ़ नगरपालिका, चंडीगढ़	—	उत्तर दिल्ली नगरपालिका कार्पोरेशन (एनडीएमसी) दिल्ली
		राज्य नामित एजेंसियां—एसडीए	—	ऊर्जा प्रबन्धन केंद्र—केरल	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा (हरेड़ा)	महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (एमईडीए)
					तेलंगाना राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए)
4	भवन	सरकारी कार्यालय	—	डीआरएम कार्यालय पश्चिम रेलवे भावनगर पारा, भावनगर (गुजरात)	मंडल रेलवे प्रबन्धक कार्यालय भवन, राजकोट, (गुजरात)	लेखाभवन (वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी), सिकंदराबाद (तेलंगाना)
					इलैक्ट्रिकल विभाग डीआरएम कार्यालय उत्तर पूर्वी रेलवे लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	
		कॉर्पोरेट कार्यालय	—	यूएन हाउस, द्वारका, नई दिल्ली	कंडोर गुड़गाँव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गाँव (हरियाणा)	एलियांज टेक्नोलोजी एसई एलियांज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, त्रिवेन्द्रम (केरल)
						डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेज़ (प्रा.) लिमिटेड, विकफील्ड आईटी—सीआईटीआई इन्फोपार्क, पुणे (महाराष्ट्र)



क्र. सं.	श्रेणी	क्षेत्र	वर्ष का अति ऊर्जा दक्ष उपकरण	निर्माण यूनिट का पता
1	वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उपकरण	एसी-स्थायी गति	वोल्टास (मॉडल नंबर 4011315)	वोल्टास लिमिटेड, उधम सिंह नगर (उत्तराखंड)
2		एसी-वेरिएबल स्पीड	वोल्टास (मॉडल नंबर 4502530)	वोल्टास लिमिटेड, उधम सिंह नगर (उत्तराखंड)
3		स्टोरेज टाइप वॉटर हीटर्स	अरिस्टन (राकोल्ड ईएसडब्ल्यूएच-25V)	अरिस्टन थर्मो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र)
4		एलईडी बल्ब	सिग्निफ़ाई इनोवेशन (9290011984)	सिग्निफ़ाई इनोवेशन इंडिया लिमिटेड, गुरुग्राम (हरियाणा)
5		पंप्स	सीआरआई (CRI4R&5@07)	सी.आर.आई. पंप्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर (तमिलनाडु)
6		छत के पंखे	वरसा ड्राइव (सुपर क्यू)	वरसा ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर (तमिलनाडु)

1.6.2 स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता

विद्युत मंत्रालय की ओर से बीईई 11 पीएसयू और 36 एसडीए की मदद से ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वर्ष 2020 में, स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता को कोविड 19 के कारण स्थगित कर दिया गया था।



2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- 2.1 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम
- 2.2 अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम



2.1 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

क. सक्रिय भागीदारी वाले देश

1. भारत-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम

– भारत जर्मन एनर्जी फोरम (आईजीईएफ)

भारत-जर्मन ऊर्जा फोरम (आईजीईएफ) की स्थापना अप्रैल, 2006 में जर्मनी के संघीय गणराज्य और भारत गणराज्य की सरकार के बीच ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश और सहयोगी अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत-जर्मन सहयोग को तेज करने के लिए की गई थी। जबकि आईजीईएफ भारत और जर्मनी के बीच एक उच्च-स्तरीय नीति संवाद है, आईजीईएफ सहायता कार्यालय को भारत-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन) की संरचना में शामिल किया गया है।

भारत-जर्मन ऊर्जा फोरम के तहत 4 उप-समूह हैं। उप-समूह 1 जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों में दक्षता वृद्धि है, उप-समूह 2 नवीकरणीय ऊर्जा है, उप-समूह 3 मांग पक्ष ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन वृद्धि रणनीतियां हैं और उप-समूह 4 हरित ऊर्जा कॉरिडोर हैं। उप-समूह 3 में, भारतीय विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और जर्मन संघीय आर्थिक मामलों और विद्युत मंत्रालय (बीएमडब्ल्यूआई), पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, भवन और परमाणु सुरक्षा के लिए संघीय मंत्रालय (बीएमयूबी) के साथ मिलकर अपने-अपने देशों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक वातावरण स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। यह दोनों देशों में सरकार और निजी क्षेत्र में निर्णय लेने वालों के बीच रचनात्मक संवाद की सुविधा के द्वारा प्राप्त किया जाता है।

1 नवंबर, 2019 को हुई पिछली बैठक के साथ आठ आईजीईएफ बैठकें आयोजित की गई हैं। 17 जून, 2020 को आयोजित उप-समूह 3 की बैठक के लिए, भारतीय पक्ष की सह-अध्यक्षता श्री अभय बाकरे – महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने की थी। जबकि जर्मन पक्ष की सह-अध्यक्षता जर्मनी सरकार के आर्थिक मामलों और ऊर्जा संघीय मंत्रालय (बीएमडब्ल्यूआई) के द्विपक्षीय सहयोग विभाग के प्रमुख डॉ. फाल्कन-ग्रॉसर ने की थी। बैठक में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), जर्मनी के दूतावास, केएफडब्ल्यू और जीआईजेड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत गणराज्य की सरकार और संघीय आर्थिक सहयोग व विकास मंत्रालय (बीएमजेड), जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार के बीच ऊर्जा क्षेत्र पर सेक्टर संवाद वर्चुअली 03 नवंबर, 2020 को आयोजित किया गया था। भारत की ओर से चर्चाओं का नेतृत्व श्री विवेक कुमार देवांगन, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय ने किया और जर्मन की ओर से चर्चाओं का नेतृत्व श्री फिलिप निल, प्रभाग प्रमुख, भारत; दक्षिण एशिया बीएमजेड ने किया।



चित्र : उप-समूह 3 की बैठक 17 जून, 2020 को हुई


भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों (पीएफआई) द्वारा सहायक पद्धति के साथ जर्मनी में ईएससीओ द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों पर जानकारी के आदान-प्रदान पर कार्यक्रम जनवरी, 2020 में आयोजित किया गया था। श्री गीस्लर, जर्मन ऊर्जा एजेंसी (बर्लिनर एनर्जीएजेंटूर) के प्रबंध निदेशक और ऊर्जा दक्षता पर सलाहकार जर्मन की ओर से विद्युत मंत्रालय ने कार्यक्रम में भाग लिया।

— भारत जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन)

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग 1995 से चल रहा है, जब भारत-जर्मन ऊर्जा दक्षता परियोजना, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलोर के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन केंद्र, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा मई, 1995 में शुरू की गई थी। परियोजना सितंबर 2000 में पूरी हुई थी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अधिनियमन और 1 मार्च, 2002 से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना के साथ, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग परियोजना "भारत-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम" (आईजीईएन) के तहत जारी रहा। जिसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करना था।

निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों पर जीआईजेड टीए समर्थन दिसंबर, 2020 को समाप्त हो गया:

- पीएटी चक्र-1 के सफल समापन में जर्मन पक्ष के समर्थन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और नए क्षेत्रों को शामिल करने के साथ-साथ पीएटी के मौजूदा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को बढ़ाकर कवरेज के विस्तार के माध्यम से पीएटी के बाद के चक्रों को लेकर साझेदारी जारी रखी गई है।



- आवासीय भवनों के क्षेत्र में, बीईई और जीआईजेड ने नए बहुमंजिला आवासीय भवनों में लिए ऊर्जा दक्षता भवन बिल्डिंग कोड तैयार करने, नए बड़े आवासीय भवनों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मानकों के विकास और नया बहुमंजिला आवासीय भवन में ऊर्जा दक्षता मानकों को अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रावधानों को शामिल करने के लिए एक साथ काम किया। एक ऑनलाइन टूल – इको-निवास को बीईई और जीआईजेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था ताकि जनता को अपने घरों में ऊर्जा दक्षता तत्वों जैसे भवन निर्माण सामग्री, इसकी डिजाइन सुविधाओं और उपकरणों को शामिल करने में मार्गदर्शन किया जा सके।
- जीआईजेड के माध्यम से वार्षिक राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार आयोजित करने में बीईई को सहायता प्रदान करना है।

उद्योग में ऊर्जा दक्षता और डाटा

भारत और जर्मन सरकार ने 2019 में अपनी सरकार से सरकार की वार्ता में, स्टील, पल्प और कागज या किसी अन्य समान उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 4 मिलियन यूरो तक की तकनीकी सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रतिबद्धता के साथ, बीएमजेड जर्मनी द्वारा 3 साल की नियोजित अवधि के साथ एक नई परियोजना “उद्योग में ऊर्जा दक्षता और डाटा” शुरू की गई है। यह परियोजना राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न तकनीकी और नीति स्तर के पहलुओं के माध्यम से माध्यमिक इस्पात और कागज क्षेत्रों को मजबूत करने पर केंद्रित है। परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

- i. गैर-पीएटी उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए चयनित एसडीए का क्षमता निर्माण
- ii. प्रमुख ऊर्जा दक्षता प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी तक पहुंच के साथ गैर-पीएटी माध्यमिक इस्पात और पल्प व कागज उद्योग प्रदान करना
- iii. एसडीए और गैर-पीएटी माध्यमिक इस्पात और पल्प व कागज उद्योग समूहों के बीच पीयर-टू-पीयर सीखने का संस्थानीकरण
- iv. नीति निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों और व्यापार संघों के बीच माध्यमिक इस्पात और पल्प व कागज क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संवाद।

2. भारत-जापान ऊर्जा वार्ता

दिसंबर, 2006 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के परिणामस्वरूप, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष और अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के मंत्री की सह-अध्यक्षता में भारत-जापान ऊर्जा संवाद शुरू किया गया था।



की गई गतिविधियां :

• ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देश और ऊर्जा प्रबंधन नियमावली का विकास

ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देशों और ऊर्जा प्रबंधन मैनुअल जिनका उपयोग ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), के अधिकारियों की भागीदारी वाले जापान के उद्योगों, ऊर्जा संरक्षण केंद्र, जापान (ईसीसीजे), ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) और विभिन्न उद्योग उप-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित उपभोक्ताओं (डीसी) द्वारा किया जा रहा है, के बारे में चर्चा करने के लिए 17 नवंबर, 2016 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में एक बैठक आयोजित की गई थी। जापान में उद्योगों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देशों और ऊर्जा प्रबंधन नियमावली के लाभों पर प्रकाश डाला गया। ये दिशानिर्देश और नियमावली भारतीय उद्योगों को ऊर्जा दक्षता हासिल करने में मदद करेगी।

इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन और ऊर्जा प्रबंधन नियमावली के विकास के लिए, विभिन्न पीएटी क्षेत्रों के 9 मॉडल कारखानों का चयन किया गया था। 27 मई, 2020 और 30 जून, 2020 को आयोजित 2020 के लिए ईसी दिशानिर्देशों और ईएम मैनुअल के लिए गतिविधियों और समयरेखा पर चर्चा करने के लिए ईसीसीजे के साथ वर्चुअल बैठक हुई।

वर्तमान कोविड स्थिति के अनुसार, ईसीसीजे और बीईई वेब मीटिंग और वेबिनार के माध्यम से ईएम नियमावली का प्रसार करने के लिए सहमत हुए। इस प्रकार, गतिविधियों को योजना क, ख और ग में विभाजित किया गया था :

योजना ए : ईसी दिशानिर्देशों और ईएम नियमावली का प्रसार

योजना क सभी पीएटी क्षेत्रों के अधिक नामित उपभोक्ताओं के लिए ईसी दिशानिर्देश और ईएम नियमावली का प्रसार करना था। अब तक, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों के लिए 3 जोनल वेबिनार क्रमशः 30 जुलाई, 2020, 27 अक्टूबर, 2020 और 15 फरवरी, 2021 को आयोजित किए गए, जिसमें प्रत्येक वेबिनार में लगभग 100-150 प्रतिभागी शामिल थे।


योजना ख : मॉडल कारखानों द्वारा ईएम नियमावली में सुधार

प्लान ख के लिए 5 अगस्त, 2020 और 21 अक्टूबर, 2020 को ईएम मैनुअल में सुधार के लिए मॉडल कारखानों के लिए दो वेबिनार आयोजित किए गए।

योजना ग : ईसी दिशानिर्देश अनुपालन के लिए सत्यापन प्रणाली का विकास

ईसी दिशानिर्देशों के लिए सत्यापन प्रणाली के विकास के लिए, 28 सितंबर, 2020 को बीईई और एसडीए के अधिकारियों के साथ वेबिनार आयोजित किया गया था। बीईई के एसडीए अधिकारियों और क्षेत्र विशेषज्ञों ने वेबिनार के दौरान ईसीजी सत्यापन प्रणाली की अपनी समझ और सीख को साझा किया।

वित्त वर्ष 2020 के लिए गतिविधियों के अपडेट और स्थिति के लिए, 9 सितंबर, 2020 और 22 दिसंबर, 2020 को बीईई और ईसीसीजे के साथ दो बैठकें आयोजित की गईं।



वित्त वर्ष 2020 के लिए रैप अप बैटक 9 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी। वित्त वर्ष 2020 की उपलब्धियों पर चर्चा की गई और 2021-22 के लिए आगे के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई।

3. भारत-अमेरिका सहयोग

भारत-अमेरिका ऊर्जा वार्ता मई, 2005 में शुरू की गई थी और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- आपसी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए,
- बढ़े हुए ऊर्जा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना,
- स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती को सुगम बनाना।

अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यालय (ईईआरई) और भारत के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) विद्युत और ऊर्जा दक्षता कार्य समूह के तत्वावधान में सहयोग करते हैं। सहयोग का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा दक्ष नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करना था जो राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाने में मदद कर सकते हैं। कार्य समूह (विद्युत और ऊर्जा दक्षता) में पहचानी गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए

वर्तमान प्रगति :

यूएस ऊर्जा विभाग (डीओई), और बीईई आईएसओ 50001, अपशिष्ट ताप वसूली, उद्योग डीप-डीकार्बोनाइजेशन और हाइड्रोजन के उपयोग के अनुसार एक व्यापक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को आगे बढ़ाकर ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा बचत को बढ़ाने के लिए सहयोग क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं।

बीईई और यूएस ऊर्जा विभाग (डीओई) के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, आईएसओ 50001 के अनुसार एक व्यापक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को आगे बढ़ाकर औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा बचत बढ़ाने के लिए सहयोग के लिए क्षेत्र को अंतिम रूप दिया गया है।

4. भारत – ब्रिटेन

नवंबर, 2015 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

यह समझौता-ज्ञापन ब्रिटेन द्वारा शुरू की गई सम्बंधित परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ढांचा प्रदान करता है, जिसमें परस्पर सहमति के रूप में अन्य सहायता भी शामिल है। समझौता-ज्ञापन समय-समय पर परियोजना से सम्बंधित समझौतों व विकास को भी प्रोत्साहित करता है।

थीम 1: बिजली वितरण क्षेत्र

थीम 2: ऊर्जा दक्षता में 2 उप-विषय शामिल हैं:



- औद्योगिक ऊर्जा दक्षता; तथा
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

5. इंडो-स्विट्जरलैंड

इंडो-स्विट्स बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट (बीईईपी) विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार और स्विट्स परिसंघ के विदेश मामलों के संघीय विभाग (एफडीएफए) के बीच एक द्विपक्षीय सहयोग है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) एमओपी की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी है जबकि स्विट्स एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (एसडीसी) एफडीएफए की ओर से एजेंसी है।

भारत सरकार द्वारा कैबिनेट की मंजूरी के परिणामस्वरूप, भारत में नए भवनों में ऊर्जा की खपत को कम करने के समग्र उद्देश्य के साथ एक पांच वर्षीय संयुक्त परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 8 नवंबर, 2011 को दोनों सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और यह 7 नवंबर 2016 तक वैध था। 2011-2016 के दौरान परियोजना के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप दोनों सरकारें समझौता-ज्ञापन को 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमत हुईं। इसलिए, बीईईपी (8 नवंबर, 2016 – 7 नवंबर, 2021) के अनुवर्ती चरण के लिए समझौता ज्ञापन के विस्तार पर नवंबर, 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। अनुवर्ती चरण के लिए समझौता ज्ञापन का बीईईपी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 28 नवंबर, 2016 को दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान किया गया था जिसमें श्री पीयूष गोयल, तत्कालीन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, खान, भारत सरकार उपस्थित थे। यह परियोजना कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित गतिविधियों को पूरा करने के लिए दिसंबर, 2022 तक विस्तार की मांग करने की प्रक्रिया में है।

द्विपक्षीय के तहत पूर्ण की गई गतिविधियां (वित्त वर्ष 2020-21):

- इको-निवास संहिता का कार्यान्वयन : बीईईपी आवासीय भवनों या इको-निवास संहिता (ईएनएस) के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के कार्यान्वयन के साथ बीईई को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। बीईईपी ने राजस्थान और गुजरात में ईएनएस अनुरूप निर्माण सामग्री पर सफलतापूर्वक बाजार सर्वेक्षण किया। आवरण प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए मानक समाधान सेट भी राष्ट्रीय स्तर पर और विशिष्ट स्तर पर राजस्थान व गुजरात के लिए विकसित किए गए हैं।

ईएनएस पर तीन भागीदार राज्यों में बीईईपी द्वारा आयोजित वेबिनार में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। बीईईपी ने आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन (एपीएसईसीएम) और आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (एपीएसएचसीएल) के सहयोग से एक ईएनएस प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी संकल्पना की है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य आंध्र प्रदेश सरकार के ग्राम वार्ड और ग्राम सचिवालय के 13,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना है, जो पेडलैडारिकी इलू योजना के कार्यान्वयन में शामिल हैं। पेडलैडारिकी इलू योजना के तहत, आंध्र प्रदेश सरकार गरीबों के लिए 28.3 लाख घर बनाने की योजना बना रही है। प्रशिक्षण



कार्यक्रम का पायलट चरण वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बीईईपी द्वारा भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआईआई), हैदराबाद के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

- बड़े निजी और सार्वजनिक डेवलपर्स को तकनीकी सहायता : बीईईपी, महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स लिमिटेड (एमएलडीएल) को पुणे, मुंबई और बंगलुरु में स्थित 6 आवासीय भवन परियोजनाओं के जलवायु उत्तरदायी भवन डिजाइन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें लगभग 6000 आवास इकाइयां शामिल हैं। बीईईपी ने राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसी) के लिए 1 वाणिज्यिक भवन परियोजना के लिए इसीबीसी अनुपालन के लिए और राजस्थान पुलिस आवास और निर्माण निगम लिमिटेड के लिए 1 आवासीय भवन परियोजना के लिए ईएनएस अनुपालन के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान की।
- उपकरण और प्रौद्योगिकियां : बीईईपी ने कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स (सीएफडी) के माध्यम से इमारतों में प्राकृतिक वेंटिलेशन क्षमता का विश्लेषण करने के लिए एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर “वायु प्रवाह” विकसित किया है। बीईईपी ने एक्सटरनल मूवेबल शेडिंग सिस्टम (ईएमएसवाईएस) पर डिजाइनों के निर्माण के लिए एक मैनुअल भी विकसित किया है, जिसका उपयोग भारतीय बाजार में उपलब्ध खिड़कियों की शेडिंग करने के लिए किया जाता है। परियोजना ने ईएमएसवाईएस उत्पादों के उपयोग के माध्यम से कमरे के तापमान में कमी और एयर कंडीशनिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली में बचत को मापने के लिए एक अध्ययन भी किया। अध्ययन गुरुग्राम स्थित एक अपार्टमेंट ब्लॉक में आयोजित किया गया था। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के 7 भारतीय शहरों में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों में खिड़की के खुलने का सर्वेक्षण किया गया। खिड़की के उद्घाटन के इस लक्षण वर्णन अध्ययन से आवासीय भवनों के लिए मानकीकृत ईएम सिस्टम उत्पादों के विकास और पहचान में मदद मिलेगी।
- वास्तुकला और इंजीनियरिंग छात्र शिक्षा और प्रशिक्षण : बीईईपी एकीकृत ऊर्जा दक्ष भवन डिजाइन में स्नातक और स्नातकोत्तर वास्तुकला और इंजीनियरिंग छात्रों को प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बीईईपी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने प्रमुख बीईईपी छात्र शिविर (मूल रूप से एक 1 सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम) के तीसरे संस्करण को 2 सप्ताह के ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें वास्तुकला और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के छात्र और युवा पेशेवर दोनों शामिल थे। बीईईपी ने आईआईटी भिलाई के सहयोग से एक पुस्तक “बिल्डिंग हीट ट्रांसफर: अंडरस्टैंडिंग थ्रू न्यूमेरिकल उदाहरण” को भी विकसित किया है जिसमें इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ताप हस्तांतरण के निर्माण पर 20 संख्यात्मक समस्याएं शामिल हैं। श्री श्री विश्वविद्यालय, कटक के छठे सेमेस्टर बी. आर्क के छात्रों के लिए ‘ऊर्जा दक्ष भवन डिजाइन के लिए सिमुलेशन’ पर एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम भी विकसित और वितरित किया गया था।



- ऊर्जा दक्ष भवनों पर मीडिया की भागीदारी : बीईईपी भवनों में ऊर्जा दक्षता के मुद्दे पर मीडिया जुड़ाव बढ़ाने में बीईई का समर्थन कर रहा है। बीईईपी ने पत्रकारों के लिए विषय पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित करने के लिए सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) के साथ भागीदारी की है। 2020–21 के दौरान, चयनित पत्रकारों को प्रदान की गई 12 फेलोशिप के परिणाम के रूप में प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रकाशनों के प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में 40 से अधिक समाचार प्रकाशित/प्रसारित किए गए।
- नीरमन पुरस्कार : ईसीबीसी और ईएनएस का अनुपालन करने वाले अनुकरणीय वाणिज्यिक और आवासीय भवनों को पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के उद्देश्य से, बीईईपी नीरमन पुरस्कारों की अवधारणा और कार्यान्वयन में बीईई की सहायता कर रहा है। बीईई और एक तकनीकी समिति के परामर्श से पुरस्कार की अवधारणा और कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिया गया। पुरस्कारों का पहला सेट वित्त वर्ष 2021–22 में दिया जाना है।

6. भारत–फ्रांस


20 फरवरी, 2006 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय और फ्रांसीसी पर्यावरण एवं ऊर्जा प्रबंधन एजेंसी (एडीईएमई) के बीच सहयोग की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। बीईई और एडीईएमई के बीच समझौता ज्ञापन 17 अप्रैल, 2009 को 2 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था।

भारत–फ्रांस सहयोग की उपलब्धियां :—

- ऊर्जा दक्षता पर जागरूकता पैदा करने के लिए दो राज्य नामित एजेंसियों हरेडा और पेडा में ऊर्जा सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- एडीईएमई की सहायता से डीएसएम इंटरनेट पोर्टल सफलतापूर्वक बनाया और चालू किया गया है।
- एमएसएमई ऊर्जा खपत की बेंचमार्किंग और मानचित्रण : बीईई से एकत्र किए गए डाटा का विश्लेषण विभिन्न एसएमई समूहों के लिए किया गया था, जिसके बाद अंतरिम रिपोर्ट परिचालित की गई थी।

ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग को पुनर्जीवित करने के लिए, और बाद में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, बीईई और एडीईएमई के बीच 17 अक्टूबर, 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बीईई और एडीईएमई के बीच सहयोग की संभावनाएं निम्नलिखित हैं:

- इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट (चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट चार्जर, स्मार्ट ग्रिड इंटरैक्शन इत्यादि) पर विशेष ध्यान देने के साथ टिकाऊ गतिशीलता का विकास;
- ऊर्जा दक्षता संकेतकों के लिए अग्रणी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता से संबंधित डेटा के संग्रह, उपयोग और विश्लेषण के लिए उपकरणों का विकास;



- आईएनडीसी के लिए वैश्विक उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए CO₂ उत्सर्जन और जीएचजी डेटा के संग्रह, उपयोग और विश्लेषण के लिए उपकरणों का विकास।

बीईई और एडीईएमई अधिकारियों के बीच कई दौर की चर्चा के बाद, भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन पर बीईई और एडीईएमई के बीच सहयोग के लिए संदर्भ की शर्तों का मसौदा विकसित किया गया।

7. भारत – रूस

ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2020 में मास्को में बीईई और रूसी ऊर्जा एजेंसी (आरईए) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने ऊर्जा लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता उत्सवों में भागीदारी में रुचि का उल्लेख किया।

8. भारत और यूरोपीय संघ

ऊर्जा क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच सहयोग भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल द्वारा निर्देशित है। ऊर्जा पैनल का नेतृत्व भारत की ओर से विदेश मंत्रालय करता है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए पैनल की पिछली बैठक 26/10/2016 को हुई थी।

पैनल मोटे तौर पर एक कार्य योजना 2016-18 के माध्यम से उल्लिखित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ। उद्योग में ऊर्जा दक्षता, भंडारण, बैटरी प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर आदान-प्रदान, ताप विद्युत संयंत्रों के लचीलेपन को बढ़ाने और अंत में आरई की परियोजनाओं में निवेश के वित्तपोषण का समर्थन करने के अलावा स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को जोड़ने का भी निर्णय लिया गया। कार्य योजना को संयुक्त कार्य समूहों के माध्यम से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव था :

- ऊर्जा सुरक्षा पर जेडब्ल्यूजी (सह-अध्यक्ष : डीजी ईएनईआर और एमईए/एमओपीएनजी)।
- नवीकरणीय ऊर्जा पर जेडब्ल्यूजी (सह-अध्यक्ष : डीजी ईएनईआर और एमएनआरई)।
- ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड और बिजली बाजार पर जेडब्ल्यूजी (सह-अध्यक्ष: डीजी ईएनईआर और एमओपी)।
- स्वच्छ कोयले पर जेडब्ल्यूजी (सह-अध्यक्ष: डीजी ईएनईआर और एमओपी + एमओसी)।

यूरोपीय संघ के साथ "ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड और बिजली बाजार" पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 15.03.2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

यूरोपीय संघ के साथ "ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड और बिजली बाजार" पर संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक वर्चुअली 04.12.2020 को आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता अपर सचिव (आंतरिक सहयोग), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और इयू पक्ष से यूनिट इंटरनेशनल रिलेशंस (ईएनईआर) के प्रमुख ने की।




2.2 अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम

1. स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय (सीईएम)

2010 में निर्मित, स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय (सीईएम) एक वैश्विक मंच है जहां प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और विकसित देश सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में संक्रमण को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाते हैं।

- मार्च, 2021 तक, सीईएम में 27 सदस्य देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और पोलैंड और पुर्तगाल सहित 2 पर्यवेक्षक देश।
- 18 व्यापक रेंज वाली सीईएम कार्य-धाराएं (पहल और अभियान) वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को चलाने में मदद करती हैं। ये साल भर चलने वाली गतिविधियाँ हैं जिनका नेतृत्व एक या एक से अधिक सीईएम सदस्य देशों के भीतर एक या एक से अधिक विभागों के समन्वय से करते हैं।
- मार्च, 2021 तक, भारत सीईएम की निम्नलिखित पहलों और अभियानों का हिस्सा है
 - ❖ 21वीं सदी की पावर पार्टनरशिप (21सीपीपी) पहल: सह-प्रमुख
 - ❖ इंटरनेशनल स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क (आईएसजीएएन) पहल : सह-प्रमुख
 - ❖ सुपर-दक्ष उपकरण और उपकरण परिनियोजन (एसईएडी) पहल : सह-प्रमुख
 - ❖ बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव: सह-प्रमुख
 - ❖ पावर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी कैंपेन (पीएसएम) कैंपेन: सह-प्रमुख
 - ❖ इलेक्ट्रिक वाहन पहल (ईवीआई)
 - ❖ कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज इनिशिएटिव (सीसीयूएस)
 - ❖ हाइड्रोजन पहल (एच2आई)
 - ❖ स्वच्छ ऊर्जा समाधान केंद्र पहल
 - ❖ स्वच्छ ऊर्जा शिक्षा और अधिकारिता पहल
 - ❖ सीईएम निवेश और वित्त पहल
 - ❖ दीर्घकालिक ऊर्जा परिदृश्य (एलटीईएस) पहल
 - ❖ ईवी30@30 अभियान



- दुनिया के कई बेहतरीन तकनीकी विशेषज्ञ संगठन (जैसे आईआरईएनए, आईईए, यूएनईपी, यूएनआईडीओ, एनआरईएल, एलबीएनएल, आदि) सीईएम के काम को समर्थन देने के लिए अपनी तकनीकी सहायता और सलाह देते हैं।
- 11वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय की तैयारी बैठक और मिशन इनोवेशन गैदरिंग 1 से 5 फरवरी, 2020 के बीच रियाद, सऊदी अरब में आयोजित की गई थी। श्री अभय बाकरे, महानिदेशक, बीईई, ने 11वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय की तैयारी बैठक और मिशन इनोवेशन गैदरिंग में भाग लिया।



11वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय की बैठक वर्चुअल गैदरिंग रियाद, सऊदी अरब में 22 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई।

सऊदी अरब साम्राज्य द्वारा आयोजित 11वां स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय (सीईएम11) तेजी से, स्थायी सुधार के समर्थन में स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका और अगले दशक की स्वच्छ ऊर्जा को आकार देने में सीईएम समुदाय की भूमिका पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया था।

सीईएम11 का विषय "रिकवरी को सपोर्ट करना, भविष्य को आकार देना" था। यह अनौपचारिक मंत्र था "बात नहीं काम करो" सीईएम11 के मार्गदर्शक सिद्धांत सकारात्मक और समावेशी आयोजन थे जो हमारे समुदाय को मजबूत और प्रदर्शित करते थे।



पहली बार जी20 ऊर्जा मंत्रिस्तरीय के साथ सह-स्थित, सीईएम11 कार्यक्रम में 16 उच्च-स्तरीय पूर्व-कार्यक्रम शामिल थे और इसका समापन इसके मंत्रिस्तरीय पूर्ण के साथ हुआ। सीईएम11 पहली बार सभी दर्शकों के लिए पूर्ण-आभासी, संपूर्ण-लाइवकास्ट था।

सीईएम12 को चिली सरकार द्वारा "हम दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर ले जाने के लिए मिलकर काम करते हैं" विषय के तहत आयोजित किया गया। यह स्वच्छ ऊर्जा नीतियों और उनके तकनीकी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 25 सीईएम सदस्य देशों और यूरोपीय आयोग के साथ-साथ व्यापारिक नेताओं और विशेषज्ञों के आभासी पर्यावरण मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों को एक साथ लाएगा।


3. ब्रिक्स

ब्रिक्स फोरम में 5 सदस्य देश अर्थात् ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। 2006 में, चार देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की सामान्य बहस के हाशिये पर विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। इस सफल बातचीत से यह निर्णय लिया गया कि वार्षिक शिखर सम्मेलनों में राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर बातचीत की जानी थी। 2009 में येकातेरिनबर्ग में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन में, ब्रिक्स के सदस्यों के बीच संवाद की गहराई और दायरा – जो 2011 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ ब्रिक्स बन गया – और बढ़ाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में उभर रहे देशों की पहचान करने वाला ब्रिक्स एक नई और आशाजनक राजनीतिक-राजनयिक इकाई बन गया, जो वित्तीय बाजारों के लिए तैयार की गई मूल अवधारणा से कहीं अधिक है।

भारत ब्रिक्स फोरम का सक्रिय सदस्य रहा है और ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा किए गए अपने एजेंडे और संवाद में इसे बहुत विशेष दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में, ब्रिक्स की अध्यक्षता अप्रैल, 2015 से रूस के पास है और इसे 2021 में भारत में पारित किया जाएगा।

अप्रैल, 2015 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद रूस ने ऊर्जा, दक्षता और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस संबंध में, सदस्य देशों के एक प्रतिनिधि ने 26 मई, 2015 को मेरिडा, मैक्सिको में ऊर्जा दक्षता पर ब्रिक्स उच्च स्तरीय बैठक में मुलाकात की जिसमें अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में बढ़ती अनुचित प्रतिस्पर्धा और पूंजी और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी व्यापार की मुक्त आवाजाही पर कृत्रिम प्रतिबंधों के जवाब में अपने कार्यों का समन्वय करने पर विचार किया गया। बैठक में, रूसी पक्ष ने ब्रिक्स सदस्य देशों के विचार के लिए ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता संवर्धन में समझौता ज्ञापन (एमओयू) की कॉपी बांटी।

20 नवंबर, 2015 को रूस में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत, ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता पर एक कार्य समूह की स्थापना की गई थी। "ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता" पर पहली कार्यकारी समूह की बैठक 5 जुलाई, 2016 को विजाग में आयोजित की गई थी। ऊर्जा मंत्रियों की दूसरी बैठक 7 जून, 2017 को बीजिंग चीन में आयोजित की गई थी।



तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए एक पे-कर्सर के रूप में, ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता पर तीसरे कार्य समूह की बैठक 17 और 18 मई, 2018 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। बैठक का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता कार्य समूह की कार्रवाइयों और विचार-विमर्श के परिणाम के प्रति उच्च स्तरीय (मंत्रिस्तरीय) चर्चा और समर्थन करना था। सदस्य देशों के मंत्रियों द्वारा उच्च स्तरीय जुड़ाव ने ऊर्जा दक्षता के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के क्षेत्र में संयुक्त सहयोग और ज्ञान साझा करने को आगे बढ़ाया।

पहले आयोजित ऊर्जा मंत्रियों की पहली और दूसरी बैठक के क्रम में, तीसरी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा 28-29 जून, 2018 के दौरान जोहान्सबर्ग शहर के गौतेंग प्रांत में की गई थी।

इसके अलावा, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की चौथी बैठक के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 8 नवंबर, 2019 को ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विद्युत मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार और प्रभारी (ईसी) ने किया और उनके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के निदेशक भी थे। बैठक में ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के लिए विज्ञप्ति और ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग मंच (ईआरसीपी) के संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देना था।

इसके बाद ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग (ईआरसीपी) संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को आगे बढ़ाने के लिए रूस की अध्यक्षता में 20 से 21 फरवरी, 2020 को मास्को, रूस में ब्रिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) आयोजित की गई थी, जिसे अंतिम ब्रिक्स ऊर्जा के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। 11 नवंबर, 2019 को ब्राजील के ब्रासीलिया में मंत्रियों की बैठक हुई।

वरिष्ठ ऊर्जा अधिकारियों की दूसरी बैठक और ऊर्जा दक्षता कार्य समूह की चौथी बैठक 27-28 जुलाई, 2020 को रूसी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में टेलीकांफ्रेंस प्रारूप में आयोजित की गई थी। सचिव, बीईई और निदेशक, बीईई ने बीईई की बैठकों में भाग लिया। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के ऊर्जा क्षेत्र पर एक रिपोर्ट और ब्रिक्स प्रौद्योगिकी रिपोर्ट को अपनाया गया।



चित्र: 5वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक, 13–14 अक्टूबर 2020, मास्को


5वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक 13–14 अक्टूबर, 2020 को वीसी के माध्यम से रूसी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

भारत ने वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स की क्रमावर्तन अध्यक्षता ग्रहण की। 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तेरहवां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। यह तीसरी बार होगा जब भारत 2012 और 2016 के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स देश वैश्विक कच्चे तेल का 22% उत्पादन करते हैं और कुल वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग एक चौथाई उपभोग करते हैं।

4. जी20 (गुप-20)

जी20, या 20 का समूह, आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक सहयोग के लिए मुख्य अंतरराष्ट्रीय मंच है: यह प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है और सार्वजनिक नीतियों को उत्पन्न करने का प्रयास करता है जो उन्हें हल करते हैं। यह यूरोपीय संघ और 19 देशों से बना है: जर्मनी, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। साथ में, जी20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80%, विश्व जनसंख्या का 60% और वैश्विक निर्यात का 75% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1 दिसंबर, 2019 से 30 नवंबर, 2020 तक किंगडम ऑफ सऊदी अरब (केएसए) जी20 की अध्यक्षता के दौरान, ऊर्जा स्थिरता कार्य समूह पर जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठक वर्चुअली 27–28 सितंबर, 2020 तक रियाद, केएसए में आयोजित की गई थी। माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार के नेतृत्व में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। यह बैठक जी-20 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों के बीच शीर्ष स्तर की वार्ता को शामिल करने के लिए सऊदी अरब के प्रेसीडेंसी के तहत आयोजित की गई थी। जी20 सऊदी प्रेसीडेंसी ने नए युग के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की पहचान की, सस्ती ऊर्जा के लिए सार्वभौमिक



पहुंच, अधिक सुरक्षित ऊर्जा बाजार और बाजार स्थिरता के लिए संस्थागत ढांचे को विचार-विमर्श के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना। प्रेसीडेंसी ने एक सीसीई गाइड जारी किया जिसमें सर्कुलर कार्बन अर्थव्यवस्था की अवधारणा को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था और 4 रुपये के रिड्यूस, रीयूज, रीसायकल और रिमूव के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को विस्तृत किया गया था। इसी के अनुरूप, सीसीई कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों के विकास को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायता के लिए सीसीई एक्सेलेरेटर भी जारी किया गया था।



जी-20 ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक (वर्चुअल), रियाद, सऊदी अरब साम्राज्य, 27-28 सितंबर, 2020

2021 में, जी20 के इतिहास में पहली बार, इटली जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इटली ने 1 दिसंबर, 2020 से 30 नवंबर, 2021 के लिए जी20 की क्रमावर्तन अध्यक्षता ग्रहण की। जी20 इतालवी प्रेसीडेंसी का दृष्टिकोण "3 पीएस" के आसपास टिका है: लोग, ग्रह और समृद्धि, एक ही समय में, रेखांकित करते हुए, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ऊर्जा और जलवायु क्षेत्रों के बीच रणनीतिक गठजोड़ दोनों कार्य समूह, आम बैठकों और समानांतर धाराओं दोनों के लिए अनुमति देते हैं। जी20 ईटीडब्ल्यूजी-सीएसडब्ल्यूजी की पहली बैठक वर्चुअली 22-23 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी। जी20 प्रेसीडेंसी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करती है और तदनुसार इतालवी राष्ट्रपति पद ने पहली मुलाकात से पहले निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को परिचालित किया है :

- शुद्ध-शून्य उत्सर्जन वाले भविष्य के लिए टिकाऊ, लचीला और स्मार्ट शहरों द्वारा निभाई गई भूमिका को बढ़ावा देना



- नवीन ऊर्जा तकनीकी समाधानों द्वारा पेश किए गए अवसरों का लाभ उठाते हुए एक स्थायी और हरित सुधार की दिशा में आगे बढ़ना
- हरित संक्रमण और ऊर्जा समावेशिता की ओर वैश्विक पूंजी प्रवाह के संरेखण में तेजी लाने के लिए कोविड-19 संकट से आए अवसरों का उपयोग करना

5. आईईए (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी)

आईईए 2009 और 2011 की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की भागीदारी और नवंबर, 2013 आईईए मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान दोनों अवसरों पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा एक संयुक्त बयान के समर्थन के परिणामस्वरूप भारत और आईईए के बीच सहयोग तेज और व्यापक हुआ है।

मार्च 2017 में, सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ गहन परामर्श की एक श्रृंखला के बाद, भारत एक संघ देश के रूप में आईईए में शामिल हो गया। यह वैश्विक ऊर्जा प्रशासन के लिए एक मील का पत्थर कदम था और आईईए को वास्तव में वैश्विक ऊर्जा संगठन बनने और प्रमुख ऊर्जा खिलाड़ियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम था। तब से, भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने आईईए समितियों, बैठकों और कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आईईए ने भारतीय ऊर्जा समुदायों और नीति-निर्माताओं के साथ अपने निष्कर्षों को साझा करने के लिए नई दिल्ली में प्रमुख प्रकाशनों को लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने जनवरी 2020 में भारत की ऊर्जा नीतियों की पहली गहन समीक्षा जारी की।


अब तक की गतिविधियां:

भारत में, आईईए 2014 से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में भागीदार रहा है। आईईए ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं। भारत में आईईए का ऊर्जा दक्षता कार्य व्यापक रहा है और इसमें रोडमैप के अनुसंधान और विकास, कार्यशालाओं का आयोजन, और पेशेवरों की क्षमता निर्माण शामिल है।

‘उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऊर्जा दक्षता’ सहयोग कार्यक्रम के तहत, आईईए और बीईई ने निम्नलिखित पर परियोजनाएं शुरू की हैं:

- भारत में आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता पर मुख्यधारा के लिए रोडमैप
- भारत में कपड़ा क्षेत्र के एमएसएमई खंड में ऊर्जा दक्षता क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक नीति पैकेज विकसित करना
- भारत में एक ऊर्जा दक्ष आर्थिक सुधार पर एक रिपोर्ट विकसित की

आईईए और बीईई भारत द्वारा हासिल की गई ऊर्जा दक्षता में महत्वपूर्ण प्रगति को उजागर करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत द्वारा विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ऊर्जा दक्षता पर



आईईए 2019 वैश्विक सम्मेलन में विद्युत मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार ने भारतीय ऊर्जा दक्षता सफलताओं पर एक प्रस्तुति दी।

ऊर्जा दक्षता पर बीईई और आईईए के बीच मजबूत संबंधों के लिए, बीईई के महानिदेशक ने 2020 और 2021 में आईईए द्वारा आयोजित ऊर्जा दक्षता पर ऊर्जा दक्षता और कार्य दल की बैठक पर वैश्विक सम्मेलनों में भाग लिया।

सीईएम की एसईएडी पहल के लिए सह-नेतृत्व के रूप में भारत भी पहल के तहत शामिल ऊर्जा दक्षता उपकरणों के लिए सीढ़ी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आईईए के साथ जुड़ रहा है। यूके के भागीदारों के साथ आईईए भी उत्पाद ऊर्जा दक्षता पर यूके की सीओपी-26 पहल को मजबूत करने के लिए बीईई के साथ काम कर रहा है।

9 फरवरी, 2021 को, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट बढ़ती आबादी के लिए विश्वसनीय, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए आगे के अवसरों और चुनौतियों को खोजती है।

6. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। यह परिवर्तन की वकालत करता है और देशों को ज्ञान, अनुभव और संसाधनों से जोड़ता है ताकि लोगों को अपने लिए बेहतर जीवन बनाने में मदद मिल सके। यह विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान सहायता प्रदान करता है, जिसमें सबसे कम विकसित देशों को सहायता पर जोर दिया जाता है। यह देशों के बीच तकनीकी और निवेश सहयोग को बढ़ावा देता है।


वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) की स्थापना 1992 के रियो अर्थ समिट की पूर्व संध्या पर हमारे ग्रह की सबसे अधिक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए की गई थी। जीईएफ 183 देशों को अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में एकजुट करता है ताकि राष्ट्रीय सतत विकास पहल का समर्थन करते हुए वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान किया जा सके। एक स्वतंत्र रूप से संचालित वित्तीय संगठन, जीईएफ जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, ओजोन परत, लगातार कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी), पारा, टिकाऊ वन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ शहरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है।

बीईई के साथ समन्वय में यूएनडीपी ने कार्य कार्यक्रम समावेशन के लिए मंजूरी और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) सचिवालय के लिए परियोजना के लिए तैयारी अनुदान अनुमोदन प्राप्त किया है, जिसका शीर्षक जीईएफ-7 के तहत विचार के लिए परियोजना पहचान प्रपत्र (पीआईएफ) के लिए "भारत में इमारतों में टिकाऊ थर्मल आराम के लिए सुपर-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी" है।



3. ब्यूरो का लेखा

- 3.1 पूंजीगत संरचना
- 3.2 वित्तीय परिणाम का सारांश
- 3.3 ब्यूरो की कार्यशैली में सुधार या सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय
- 3.4 लेखा का वार्षिक विवरण



3.1 पूंजीगत संरचना

विद्युत मंत्रालय से प्राप्त ₹50 करोड़ की समय समग्र निधि का उपयोग ईसी अधिनियम, 2001 की धारा 20 के तहत केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण कोष की स्थापना के लिए किया गया है। ₹50 करोड़ की इस समग्र निधि को गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन सहित सुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, गैर-संचयी प्रतिदेय कर योग्य एनटीपीसी बॉन्ड के रूप में ₹10 लाख प्रत्येक (श्रृंखला XVII) 1 मई, 2003 से 20 वर्षों तक के लिए साथ में ब्याज के रूप में ₹4.24 करोड़ (लगभग) प्रति वर्ष का भुगतान निर्धारित करते हुए एनटीपीसी के साथ निवेश किया गया है।

ब्याज का उपयोग बीईई के आवर्ती और अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और वर्ष के दौरान सरकार की ओर से कोई नया धन नहीं डाला गया। उपरोक्त के अलावा बीईई समग्र निधि के संवर्धन के लिए विद्युत मंत्रालय से ₹45.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में ₹45.00 करोड़ की इस निधि का निवेश कर ब्याज के रूप में ₹2.69 करोड़ की राशि अर्जित की गई है। इसके अतिरिक्त 31.03.2021 को बीईई की समग्र निधि की कुल राशि ₹95.00 करोड़ है।

3.2 वित्तीय परिणामों का सार

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, ब्यूरो ने मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के साथ निवेश किए गए ₹50 करोड़ के समग्र निधि पर ब्याज के रूप में ₹424.00 लाख और राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ निवेश किए गए ₹45.00 करोड़ की अतिरिक्त समग्र निधि पर ब्याज के रूप में ₹269.25 लाख कमाए थे। इसके अलावा, ब्यूरो ने ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए 21 राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के लिए उम्मीदवारों से लिए गए शुल्क से ₹261.45 लाख भी कमाए।

स्थापना, प्रशासनिक व्यय, अनावर्ती और परियोजना व्यय पर बीईई का व्यय क्रमशः ₹988.20 लाख, ₹114.91 लाख, ₹62.15 लाख और ₹0.22 लाख था। इसके साथ-साथ ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों की 21 राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के लिए ₹56.48 लाख का व्यय भी किया गया था। व्यय अधिक आय के ₹292.84 लाख के अधिशेष को समग्र निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

3.3 ब्यूरो की कामकाज में सुधार या मज़बूती लाने के लिए उठाए कदम

01 उप. महानिदेशक 17.12.2020 से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, 01 पी एस को 27.11.2020 से सीनियर पीएस के रूप में पदोन्नत किया गया, 01 लेखाकार को 22.06.2020 से वित्त और लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया और 01 आशुलिपिक को पीएस के रूप में 03.02.2021 से पदोन्नत किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान अनुबंध के आधार पर 01 सलाहकार (वित्त) और 01 सलाहकार (एमओपी) की नियुक्ति की गई।


3.4 खातों का वार्षिक विवरण

खातों का वार्षिक विवरण अर्थात् तुलन-पत्र, आय एवं व्यय विवरण और प्राप्ति एवं भुगतान के खातों का विवरणों को यहां दिए गए संलग्नकों के अनुसार विधिवत लेखा परीक्षित किया गया है।



31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25(2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत उस तिथि तक समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता/प्राप्तियां और भुगतान खाते का 31 मार्च 2021 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नई दिल्ली की संलग्न तुलन पत्र का लेखा परीक्षण किया था। ये वित्तीय विवरण बीईई के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (बी.ए.ए.) की टिप्पणियां शामिल हैं। वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन कानून, नियमों और विनियमों (उचितता और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।
3. हमने भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखा परीक्षण में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षण हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं:
 - i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - ii. इस रिपोर्ट में ली गई बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते / प्राप्तियां और भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25 (1) के तहत बीईई द्वारा अपनाया गया है।
 - iii. हमारी राय में, बीईई द्वारा धारा 25(1) के तहत आवश्यक खातों की उचित पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव किया गया है, जहां तक ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
 - iv. इसके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:



क. खाते पर टिप्पणी

1. तुलन-पत्र

अनुसूची 1बी अन्य – पीआरजीएफईई और वीसीएफईई फंड: ₹17,232.76 लाख

अनुसूची 1बी में ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई) शामिल है और ऊर्जा दक्षता के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफईई)। 31.03.2021 तक, पीआरजीएफईई फंड ₹12,110.97 लाख था जबकि वीसीएफईई फंड ₹5,121.79 लाख था।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने योजनाओं को जल्दी बंद करने और उस पर ब्याज सहित एमओपी को निधि वापस करने का निर्णय (मार्च 2021) लिया। तदनुसार, दोनों निधियों को चालू देयताओं के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था। हालांकि, बीईई ने अनुसूची –1 बैंड में उपरोक्त निधियों को दिखाया है, इस तथ्य के संबंध में अपने लेखों पर नोट्स में भी कोई खुलासा नहीं किया है कि इन योजनाओं को शॉर्ट-क्लोज कर दिया गया है और इन फंडों को एमओपी को वापस किया जाना है।

इसके परिणामस्वरूप 'अन्य – पीआरजीएफईई और वीसीएफईई फंड' (अनुसूची-1बी) और 'वर्तमान देनदारियों' (अनुसूची-7) को ₹17,232.76 लाख की राशि से कम बताया गया है, इसके अलावा खातों पर टिप्पणियों में उस हद तक कमी है।

1.2 निर्धारित निधि (अनुसूची-3): ₹8,563.64 लाख

1.2.1 बीईई ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में एस एंड एल योजना के तहत ₹97.35 लाख की राशि बुक की है जो एस एंड एल योजना से संबंधित नहीं है। इसका हिसाब इस प्रकार होना चाहिए था:

- पूर्व अवधि व्यय के रूप में ₹32.45 लाख की राशि, क्योंकि यह नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि से संबंधित है
- ₹64.90 लाख चालू वर्ष के खर्च के रूप में, क्योंकि यह अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक की अवधि से संबंधित है और
- फरवरी और मार्च 2021 के लिए बकाया राशि के संबंध में देयता के रूप में ₹12.98 लाख।

इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि' (अनुसूची –3) को ₹97.35 लाख की राशि, अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (पूर्व अवधि) को ₹32.45 लाख, 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (अनुसूची –21) से कम करके दिखाया गया है।) ₹77.88 लाख और 'वर्तमान देयताएं और प्रावधान' (अनुसूची-7) ₹12.98 लाख तक। इसके अलावा, ₹110.33 लाख की राशि से 'व्यय से अधिक आय' का अधिक विवरण है।

1.2.2 पोसोको के साथ बीईई को ईएससीटर्स के व्यापार की सुविधा के लिए एमओपी द्वारा अधिकृत किया गया है जो निर्दिष्ट लक्ष्यों से परे ऊर्जा बचत प्राप्त करने पर पात्र उपभोक्ताओं को जारी किए जाते हैं। आवश्यक बुनियादी ढाँचा अर्थात्। सॉफ्टवेयर, पोर्टल आदि का रखरखाव बीईई/पोसोको द्वारा किया जा रहा है और जारी किए गए प्रति ईएससी प्रमाणपत्रों पर ₹5 का शुल्क लगाया/एकत्र किया जाता है



और ईएससीटर्स के व्यापार के लिए आवश्यक एकमुश्त पंजीकरण शुल्क के साथ बीईई और पोसोको के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है।

बीईई एनएमईईई में ईएससीटर्स के लिए पोर्टल आदि के निर्माण/रखरखाव पर खर्च की बुकिंग कर रहा है, जबकि एनएमईईई के तहत 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि' के तहत इसे बुक करने के बजाय आय को 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' के तहत अलग से बुक किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' को अधिक बताया गया है और ₹67 लाख की राशि से 'निर्धारित / बंदोबस्ती निधि' को कम बताया गया है

1.3 निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश (अनु.9): ₹64,298.48 लाख

बीईई (खातों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का फॉर्म) नियम 2007 (विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2007 को जारी अधिसूचना) के अनुसार, 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि के लिए बैंक शेष' के रूप में धारित राशि को अनुसूची 11— चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि में अलग से प्रकट किया जाना चाहिए।

हालांकि, बीईई ने 'निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश' (अनुसूची-9) के तहत एनएमईईई, पीआरएफजीईई, वीसीएफईई और एस एंड एल शुल्क के संवर्धित कॉर्पस फंड के खाते में ₹59,298.48 लाख (एनटीपीसी बांडों के संबंध में ₹5,000 लाख को छोड़कर) की राशि शामिल की है जो एफडीआर/बचत और स्वीप खाते के तहत रखे जाते हैं। इसे उपर्युक्त नियमों के अनुसार अनुसूची-11 में निर्धारित निधियों के प्रति धारित 'अनुसूचित बैंक के साथ बैंक खाते' के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप 'निर्धारित निधियों से निवेश' (अनुसूची-9) को ₹59,298.48 लाख से अधिक बताया गया है और "वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि" के तहत निर्धारित निधियों के लिए अनुसूचित बैंकों के पास धारित बैंक शेष को कम बताया गया है। (अनुसूची-11) उतनी ही राशि से।


वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए अलग-अलग ऑडिट रिपोर्ट में भी इस मुद्दे को उठाया गया था और बीईई ने इस पर सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, बीईई द्वारा वर्ष 2020-21 के अपने वार्षिक खातों में कोई सुधार नहीं किया गया है।

ख. सहायता अनुदान

₹178.49 करोड़ के सहायता अनुदान में से (पिछले वर्ष से ₹117.49 करोड़ अव्ययित सहित), बीईई ने वर्ष के दौरान ₹100.72 करोड़ की राशि का उपयोग किया और 31 मार्च 2021 को ₹77.77 करोड़ की शेष राशि का उपयोग नहीं किया।

ग. प्रबंधन पत्र

कमियां जिन्हें अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से अध्यक्ष, बीईई के ध्यान में लाया जाएगा।



- v. पिछले पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के अधीन, हम बताते हैं कि बैलेंस शीट और आय व व्यय खाता/प्राप्तियां और भुगतान खाते इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खातों की किताबों के साथ समझौते में हैं।
- vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं और इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित मामलों के अधीन हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण:
- क) जहां तक यह 31 मार्च 2021 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मामलों की स्थिति के बैलेंस शीट से संबंधित है; तथा
- ख) अब तक यह आय और व्यय खाते से संबंधित है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय का।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 नवंबर, 2021


हस्ता./—
(कीर्ति तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा),
नई दिल्ली



अनुबंध-1

1	आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। वेतन और लेखा कार्यालय (एमओपी) द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जा रही है; हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं की गई है। इसके अलावा, विभिन्न पुराने अवलोकन लंबे समय से निपटान के लिए लंबित हैं।
2	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को निम्नलिखित के लिए सुदृढ़ करने की आवश्यकता है : <ul style="list-style-type: none"> राज्य नामित एजेंसियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और स्टॉक रजिस्टर के बीच समाधान 'मरम्मत और रखरखाव', 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के तहत अचल संपत्तियों की बुकिंग 'प्रावधानों' के तहत वर्ष के अंत तक बकाया विभिन्न खर्चों का लेखा जोखा
3	अचल संपत्तियों के सत्यापन की प्रणाली	भौतिक सत्यापन जून / जुलाई 2021 में किया गया था
4	सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	हालांकि, परिसम्पत्तियों के सत्यापन के दौरान देखी गई उपलब्धता या कमी/अधिकता आदि के संबंध में कोई प्रमाण पत्र दर्ज नहीं पाया गया। इसके अलावा, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और संपत्ति/स्टॉक रजिस्टर के बीच मिलान रिकॉर्ड में नहीं पाया गया था।
5	उन पर लागू सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता।	हां
6	लेखापरीक्षण के दौरान देखी गई वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण जोखिम	डीएसएआर में शामिल अवलोकन के अनुसार।
7	वर्ष के दौरान चोरी, दुर्विनियोजन, धोखाधड़ी और गबन आदि के कारण नकद या सरकारी संपत्ति की हानि का विवरण	प्रबंधन ने प्रमाणित किया कि वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया/रिपोर्ट किया गया।

महानिदेशक लेखा-परीक्षा (ऊर्जा)



वित्तीय विवरणों के प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र

(राशि-₹ में)

कॉर्पस निधि और देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ऊर्जा संरक्षण निधि	1A	5,60,54,89,087	4,87,50,13,023
अन्य – पीआरजीएफईई व वीसीएफईई निधि	1B	1,72,32,76,254	1,52,94,25,206
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	85,63,63,726	1,22,12,66,584
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	17,01,46,736	18,20,99,872
कुल		8,35,52,75,803	7,80,78,04,685
परिसंपत्तियां			
स्थायी सम्पत्तियां	8	1,66,97,399	1,39,49,716
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	6,42,98,47,600	5,47,45,13,528
निवेशक – अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक)	11	1,90,87,30,804	2,31,93,41,441
कुल		8,35,52,75,803	7,80,78,04,685
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	25		

दिनांक: 5 जुलाई, 2021

स्थान: नई दिल्ली

राकेश कुमार गुप्ता
वित्त एवं लेखा अधिकारी

राकेश कुमार राय
सचिव

अभय बाकरे
महानिदेशक



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि-₹ में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/राजसहायता	13	-	-
शुल्क/अंशदान	14	2,61,84,423	4,30,32,476
निवेश से आय (निधियों से अंतरित निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर आय)	15	6,93,25,134	6,98,21,773
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज (निवल)	17	5,07,18,241	6,04,54,146
अन्य आय	18	9,58,447	10,26,583
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य में प्रगति	19	-	-
कुल (क)		14,71,86,245	17,43,34,978
व्यय			
स्थापना व्यय	20	9,88,19,705	7,80,16,334
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	82,24,822	2,21,61,367
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (पूर्व अवधि)	21	32,66,403	4,28,720
अन्य व्यय (परियोजना व्यय)	21	56,70,419	4,05,23,745
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास	8	18,91,683	13,65,098
नियत परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	8	29,325	4,09,846
कुल (ख)		11,79,02,357	14,29,05,110
व्यय की तुलना में आय की अधिकता के कारण बकाया (क-ख)		2,92,83,888	3,14,29,868
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण		-	-
सामान्य रिजर्व से/के लिए स्थानांतरण		-	-
कॉर्पोस फंड में अग्रणीत अधिशेष/(घाटे) के कारण बकाया		2,92,83,888	3,14,29,868
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक, देयताएं और लेखा टिप्पणियां	25		

दिनांक: 5 जुलाई, 2021

स्थान: नई दिल्ली

राकेश कुमार गुप्ता
वित्त एवं लेखा अधिकारी

राकेश कुमार राय
सचिव

अभय बाकरे
महानिदेशक

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन) इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	विवरण	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पिछला वर्ष	भुगतान	विवरण	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पिछला वर्ष
I. आदि शेष	a) हाथ में नकदी	2,430.00	-				7,73,66,381.00
	b) बैंक शेष (अनुसूची-11)	12,54,37,744.00	18,04,54,679.00				2,25,74,132.00
	i. बचत खाते - बीईई	76,65,70,803.00	69,95,38,897.00				4,28,720.00
	ii. जमा खाते						
	iii. बचत खाते - योजना स्कीम	1,18,29,61,713.00	40,46,32,334.00				1,49,74,41,555.00
II. प्राप्त अनुदान (अनुसूची-3)	भारत सरकार से (संलग्न योजना 2017-20)						
	बीईई						
	i. ऊर्जा संरक्षण सदन कोड (ईसोबीसी)	10,00,00,000.00	24,99,67,000.00				62,92,68,553.00
	ii. राज्य नामित एजेंसियों का सुदृढीकरण (एसडीए)	30,00,00,000.00	45,00,00,000.00				2,20,95,906.00
	iii. राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (एसईसीएफ)	6,00,00,000.00	6,00,00,000.00				33,60,57,163.00
	iv. नामित उपभोक्ता और लघु मध्यम उद्यम (एसएमई)	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00				15,00,00,000.00
	v. कृषि मांग पत्र प्रबंधन (एजी डीएसएम)	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00				52,42,724.00
	vi. नगरपालिका मांग पत्र प्रबंधन (एमयू डीएसएम)	-	4,16,00,000.00				
	vii. डिस्कॉम का क्षमता निर्माण	-	10,00,00,000.00				
ईएपी	I. बीईई-ग्रीडिएव-डब्ल्यूडी-एसएसएमई परियोजना						
	ईसी						
	i. ऊर्जा संरक्षण जागरूकता	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00				
	ii. राष्ट्रीय विस्तारित ऊर्जा दक्षता मिशन	-	4,16,00,000.00				
	अन्य (अनुसूची-3)	-	10,00,00,000.00				
	i. मानक और लेबलिंग (एस एंड एल)	6,76,25,017.00	39,74,29,532.00				
III. निवेश पर आय/अन्य प्राप्तियां	a) i. बंदोबस्ती निधि (कार्पस-बीईई) (अनुसूची-16)						
	ii. बंदोबस्ती निधि (कार्पस-एनएमईई) (अनुसूची-15)						
	iii. पीआरएफआई (अनुसूची-1)						
	iv. बीसीएफआई (अनुसूची-1)						
	v. ई-प्रमाणपत्र शुल्क (अनुसूची-1)	14,46,66,579.00	1,05,974.00				
b) निष्ठादि निधियां							
	i. ऊर्जा संरक्षण सदन कोड (ईसोबीसी)	46,80,281.00	10,96,724.00				
	ii. राज्य नामित एजेंसियों का सुदृढीकरण (एसडीए)	25,91,127.00	27,87,135.00				
	iii. राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (एसईसीएफ)	14,29,056.00	2,23,775.00				
	iv. लघु मध्यम उद्यम (एसएमई)	24,02,402.00	10,52,062.00				
	v. कृषि मांग पत्र प्रबंधन (एजी डीएसएम)	24,037.00	3,68,442.00				
	vi. नगरपालिका मांग पत्र प्रबंधन (एमयू डीएसएम)	86,001.00	4,03,749.00				
	vii. डिस्कॉम का क्षमता निर्माण	30,28,447.00	2,70,355.00				
	अन्य (अन्य प्राप्तियां) (अनुसूची-11)						
	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद						
	अन्य अग्रिम (संपत्ति) (अनुसूची-11)						
	संपदा के सहायक निदेशक						
	आईटीडीसी लिमिटेड, अशोक होटल						
	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद						
	अन्य प्राय: (संपत्ति) (अनुसूची-11)						
	भारतीय उद्योग परिषद						
		2,91,15,05,637.00	3,78,30,62,896.00			2,25,86,59,934.00	3,16,62,03,193.00



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन) इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां बी/एफ	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान बी/एफ	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ईपी							
I. बीईई-ओईएफ-डब्ल्यू-एसएसएफ परिवोजना							
ईपी							
i. ऊर्जा संरक्षण उपकरणों का	1,28,966.00	2,49,781.00	2,49,781.00	प्रतिभूति जमा और प्रदर्शन सुखा (अनुसूची - 7)	2,50,000.00	2,50,000.00	2,50,000.00
ii. विकसित ऊर्जा खला पर राष्ट्रीय मिशन	1,31,15,599.00	51,61,449.00	51,61,449.00	भारतीय उद्योग परिवेश	1,00,000.00	1,00,000.00	1,97,655.00
	2,76,98,735.00	4,09,43,300.00	4,09,43,300.00	डर्भास एंड कंपनी	5,000.00	5,000.00	-
				डॉ. विनोद कुमार शर्मा	2,40,000.00	2,40,000.00	-
IV. व्याज प्राप्ति				रत्नम कंसल्टिंग सेवा	75,000.00	75,000.00	-
क) बैंक जमा पर (अनुसूची - 11 व 17)	5,91,51,599.00	5,06,90,123.00	5,06,90,123.00	आईसीएफ कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.	-	-	1,00,300.00
ख) बैंक जमा पर (मानक व लेवलिग) (अनुसूची - 1 व 11)	22,19,04,822.00	17,78,92,177.00	17,78,92,177.00	के.के. चड्ढा	-	-	1,20,000.00
ग) बचत खाता (अनुसूची - 17)	1,51,690.00	1,65,174.00	1,65,174.00	के.पी. पेंस	-	-	-
				मंगल प्रैक्टिस	13,000.00	13,000.00	-
V. अन्य आय				एनसीजे एनजी इजीनियर्स	97,299.00	97,299.00	-
विविध आय (प्रोसेसिंग शुल्क और आउटसोर्सिंग शुल्क) (अनुसूची - 18)	10,26,769.00	10,26,533.00	10,26,533.00	नरिंदर कुमार एंड सॉल्यूशंस	3,00,000.00	3,00,000.00	-
परिष्कार निधि-2019/2020/21वीं परिष्कार (अनुसूची - 7 और 14)	-	-	-	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	3,56,480.00	3,56,480.00	-
परिष्कार निधि-2020/21वीं परिष्कार (अनुसूची - 7 और 14)	2,61,45,423.00	4,29,07,476.00	4,29,07,476.00	प्राइवेटलाइव्स क्यूर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीडब्ल्यूसी)	1,80,000.00	1,80,000.00	6,66,000.00
आइसीपीडीसीएल - पीआरजीएफईई (अनुसूची - 1)	3,28,24,310.00	-	-	एसएसएलसी एंड एसएसएलसी	1,84,055.00	1,84,055.00	76,600.00
ऊर्जा लेखा परीक्षक प्रत्यागमन शुल्क (अनुसूची - 14)	39,000.00	1,25,000.00	1,25,000.00	एससीएस उद्यम	5,00,000.00	5,00,000.00	84,000.00
VI. कोई अन्य स्वीडेड				डिप्टी टेनोलाजीस लिमिटेड	-	-	-
मान लेवलिग शुल्क - ईपीसी (अनुसूची - 1)	2,00,000.00	9,00,000.00	9,00,000.00	मानक और लेवलिग	19,25,000.00	19,25,000.00	4,50,000.00
बोली प्रोसेसिंग, आवेदन शुल्क और अन्य - पीआरजीएफईई (अनुसूची - 1)	2,66,022.00	-	-	स्टीम एनर्जी सर्विस	1,63,100.00	1,63,100.00	9,61,600.00
ई-गवर्नान्स परिवारण पर टैडिओएस रिफंड	3,53,066.00	-	-	ए.एन.ए. सर्विस	2,54,300.00	2,54,300.00	1,92,000.00
स्वाधीन संविदाओं की किराये	-	74,670.00	74,670.00	विनायक सिंघान	-	-	-
मानक व लेवलिग (संशोधन/संशोधन शुल्क) (अनुसूची - 1 व 9)	60,72,03,219.00	55,55,94,450.00	55,55,94,450.00	विशाल टैकनी सर्विस	4,50,000.00	4,50,000.00	-
आइसीपीडीसीएल - पीआरजीएफईई (अनुसूची - 9)	7,66,17,918.00	68,46,42,215.00	68,46,42,215.00			50,93,234.00	
एसएसएलसी के कारण वापस लिए गए ऋण							
विना भुगतान किए गए ऋण (अनुसूची - 7)	-	5,000.00	5,000.00	ईएफडी सिंडिकेट (अनुसूची - 7)	50,000.00	50,000.00	-
अन्य ऋण	-	50,000.00	50,000.00	एफिटी एनपीसी प्राइवेट लिमिटेड	10,000.00	10,000.00	-
काजल कुमार राउड प्रसाद लोधी	15,000.00	-	-	अनन्दा एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	-	-	29,860.00
एम.ए. देवदत्तानी	-	6,000.00	6,000.00	चैतन इंडीयनर्स	3,50,000.00	3,50,000.00	-
पीएल (बीडीसी आदि)	4,99,401.00	-	-	भारतीय उद्योग परिवेश	5,00,000.00	5,00,000.00	50,000.00
पीयूष मिश्रा	-	6,000.00	6,000.00	जेनोवेट टी.च. तोरमासु इंडिया	-	-	-
प्रवीण पंजाबी	-	10,000.00	10,000.00	डैंगु एजेंसी नेटवर्क मार्केटिंग सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	5,00,000.00	5,00,000.00	11,00,000.00
प्रियोष कुमार सिंह	-	5,000.00	5,000.00	एनएसएलएल डिजाइन सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	5,50,000.00	5,50,000.00	-
राणा मोहन सिंह प्राइवेट लिमिटेड	2,57,004.00	18,936.00	18,936.00	फेडरेशन ऑफ इंडियन वॉर्स ऑफ कॉमर्स व इंटरप्री (एफआईसीआई)	-	-	50,000.00
एसडीए-जम्मू व कश्मीर	-	40,49,760.00	40,49,760.00	गोपाल कंसल्टेंसी	-	-	-
वालिदा एंड कंपनी	-	50,000.00	50,000.00	रत्नम कंसल्टिंग सर्विस	50,000.00	50,000.00	-
				आईसीएफ कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4,40,000.00	4,40,000.00	-
				आईटीसीआई इंटेल	50,000.00	50,000.00	50,000.00
				इंफोटेक कन्सल्टिंग सर्विस	-	-	-
				इन्फोटेक एडवर्टाइजिंग सर्विस	-	-	-
				इन्फोटेक एडवर्टाइजिंग	-	-	-
				जगदाम सोल्यूशंस	10,000.00	10,000.00	50,000.00
				केपीएनजी एडवर्टाइजिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	2,00,000.00	2,00,000.00	3,00,000.00
				लॉयड ईंजियरिंग इंडिया लिमिटेड	-	-	1,00,000.00
				महादेव वन सेवाएथ एंड सर्वोपयोग विकास केंद्र	-	-	50,000.00
				एनसीजे एनजी इजीनियर्स	50,000.00	50,000.00	1,00,000.00
				एनआईटीसीओएन	1,00,000.00	1,00,000.00	-
				एनएसएफई टेकनोलॉजी डेवलपमेंट	25,000.00	25,000.00	-
				मुंगल प्रैक्टिस कंपनी	6,00,000.00	6,00,000.00	1,00,000.00
				राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	1,00,000.00	1,00,000.00	-
				एनआईटीसीओएन	1,00,000.00	1,00,000.00	-
				एनआईटीसीओएन	10,000.00	10,000.00	-
				निर्माण एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	-	-	1,00,000.00
				ओपरेटिव एनजी सोल्यूशंस	-	-	1,00,000.00
				पावर टेक कंसल्टेंसी	-	-	50,000.00
				किरी एनर्जी व कार्बन एडवर्टाइजिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	50,000.00	50,000.00	50,000.00
				सएस-4 बिजनेस	-	-	-
				टेक एडवर्टाइजिंग व मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	-	-	50,000.00
				बी/एफ		38,45,000.00	
						2,26,75,98,168.00	
						3,17,14,30,208.00	

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन) इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	विवरण	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पिछला वर्ष	भुगतान	विवरण	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पिछला वर्ष
बी / एफ		3,98,07,00,650.00	5,22,47,53,765.00	बी / एफ		2,26,75,98,168.00	3,17,14,30,208.00
प्रतिमिति जमा और प्रदर्शन बुद्धि (अनुसूची - 7) (बी / एफ)				ईएसबी रिफंड (अनुसूची - 7) (बी / एफ)			
कार्यालयी एनर्जी सॉल्यूशंस	53,673.00			द एनर्जी रिसर्व इंस्टीट्यूट (टीईआरआई)	6,00,000.00		
एनर्जी एवरकेडिशनर	-		32,400.00	टीएलसी इंडिया	-		50,000.00
लॉगड इंसुरेन्स इंडिया लिमिटेड	56,160.00			रुन सूर्य साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड	50,000.00		
एनर्जीजे एनर्जी इंजीनियर्स	-		3,00,000.00	वालिवा एंड कंपनी	-		50,000.00
नरिंदर कुमार व संस	-		1,18,140.00	विश्वमेकर्स	-	6,50,000.00	50,000.00
नाम्नारी ईसीओ एनर्जीज	1,07,638.00			अन्य भुगतान			
नेशनल कार्बन फॉर सोमेट एंड बिल्डिंग मोटरियल्स	42,000.00			बिना भुगतान किया गए बैंक (अनुसूची - 7)			
राष्ट्रीय उलादकला परिषद	1,00,000.00		1,15,000.00	पीएलसी (बीओपी आदि)			
एनआईएम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	80,000.00			राणा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	18,936.00		96,610.00
एनआईटीसीओएन	53,100.00			एएसडीए-जम्मू व कश्मीर	40,49,780.00		
एनआईटीआरए	2,45,000.00			अन्य बाय-डेबिटर्स (अन्य) (अनुसूची-7)			
ऑनरेटिव सेव ऊर्जा	1,79,522.00			सुप्लायरों की देय			18,88,566.00
कीट निर्देशन सलाहकार	2,550.00						
पीजीएस एनर्जी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	1,10,683.00						
प्रदर्शनमूवमेंट्स क्वॉर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीडब्ल्यूसी)	3,59,055.00		1,84,055.00				
आरबी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	76,346.00						
एस.एस. ट्रेडर्स	-		2,000.00				
स्टींग एनर्जी सर्विसेस	-		1,63,100.00				
द एनर्जी रिसर्व इंस्टीट्यूट (टीईआरआई)	12,49,600.00		12,02,650.00				
रुन सूर्य साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड	-		2,54,300.00				
विशाल ठेकसी सर्विसेस	3,00,000.00						
विद्युतकर्मचारी नोबल युनिवर्सिटी	-	30,15,307.00					
बीके एनवायर्समेंटल	-						
प्रतिमिति जमा (द्विगुण)							
मानक और लेवॉलिंग (एस व एल) (अनुसूची - 7)		86,25,000.00	1,31,50,000.00				
इकोवर्क राशि जमा (अनुसूची - 7)							
एक्टिव एनर्जी ओपेसी प्राइवेट लिमिटेड	-		50,000.00				
अलकॉन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	-		10,000.00				
अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान (एआईआईएलएससी)	-		1,00,000.00				
एआरएस एनर्जी ऑडिटर्स	50,000.00		1,28,900.00				
अटर्निय एनर्जी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	-		50,000.00				
ऑडिटोटेक इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	-		1,58,350.00				
केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	-		3,50,000.00				
भारतीय उद्योग परिषद	25,000.00						
दिल्ली टेस्ट हाउस सोनीपत	50,000.00						
डेवॉइड टोन तोहमगु इंडिया	25,000.00						
अर्धुंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	-		7,50,000.00				
अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी	50,000.00						
एनवायर्समेंटल डिजाइन समाधान प्राइवेट लिमिटेड	-		2,00,000.00				
एनेम नोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (इजीएसपीएल)	-		5,00,000.00				
ईएलए ग्रीन	-		1,00,000.00				
इकोटेक रिसर्व एंड डेवलपमेंट एकोसिस्टम (इंटरबी)	25,000.00		14,000.00				
फेडरेशन ऑफ इंडियन वॉटर ऑफ कॉमर्स व इंटरस्ट्री (एनआईसीसीआई)	-		5,50,000.00				
जीईईडी	-		1,00,000.00				
नोबल कैनपुस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	-		50,000.00				
आईसीएफ कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	-		2,00,000.00				
आई-डीबीआई इंटैक	-		50,000.00				
इन्विकटा एडवर्टाइजिंग	-	2,25,000.00	10,000.00				
		3,99,25,65,957.00	5,24,58,83,650.00			2,27,23,16,864.00	3,17,35,65,384.00



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	विवरण	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पिछला वर्ष	भुगतान	विवरण	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पिछला वर्ष
बी / एफ	बी / एफ	3,99,25,65,957.00	5,24,58,83,650.00	बी / एफ	-	2,27,23,16,864.00	3,17,35,65,384.00
वरोहर राशि जमा (अनुसूची-7)	वित्तिय प्राइवेट लिमिटेड	25,000.00	-	VII, अंतिम शेष (अनुसूची - 11)	-	-	2,430.00
केल राज्य उत्पादकता परिषद	-	-	94,500.00	क) ऋण में नकदी	-	-	12,54,37,744.00
फिरोज कुमार इलेक्ट्रिक - मैकेनिकल इंजीनियरिंग	-	-	10,000.00	ख) ऋण शेष	6,08,65,091.00	6,08,65,091.00	76,65,70,803.00
कोपोपकी एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	-	-	2,00,000.00	i) बचत खाते - बीआई	85,42,54,524.00	85,42,54,524.00	1,18,29,61,713.00
लॉन्ड इंजुलेसन इंडिया लिमिटेड	1,00,000.00	-	-	ii) जमा खाते	80,58,02,106.00	80,58,02,106.00	-
एमसीजे एनजी ईजीनिगर्स	-	-	50,000.00	iii) बचत खाते - एसीम योजना	-	1,72,09,21,721.00	-
मिटकॉन कंसल्टंसी सर्विसेस	-	-	1,00,000.00				
एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट	-	-	1,00,000.00				
मेगनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकंडरी स्टील टेक्नोलॉजी	-	-	1,00,000.00				
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	-	-	6,50,000.00				
सीमेंट और ग्रेना निर्माण समिती के लिए राष्ट्रीय परिषद	50,000.00	-	-				
मेगनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकंडरी स्टील टेक्नोलॉजी	-	-	1,00,000.00				
नॉर्थ इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (एनआईटीएसआरएन)	-	-	1,00,000.00				
नॉर्थ इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (एनआईटीएसआरएन)	1,50,000.00	-	-				
प्राइवटाइजेशन कंसल्टंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी)	5,000.00	-	-				
शेल्सट प्रेस सर्विसेस	50,000.00	-	-				
स्टीम एनजी सर्विसेस	-	-	7,50,000.00				
द एनजी रिसेच इंस्टीट्यूट (आईआरआई)	-	-	-				
द मेगनल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-				
टीएलसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	25,000.00	-	-				
टीएलसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,00,000.00	-	-				
टीएलसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	50,000.00	5,55,000.00	1,00,000.00				
यूआरएस सर्विसेस	-	-	-				
बीके एनवार्मेंटल	-	-	-				
अन्य प्राय (समाप्ति) (अनुसूची - 11)	-	-	-				
अमय बाकरे	-	-	11,537.00				
अशोक कुमार	-	-	11,572.00				
हेमेश कुमार	1,17,628.00	-	-				
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर	-	-	11,400.00				
मिनिंद बी. देवरे	-	-	6,926.00				
एनटीपीसी लिमिटेड	-	-	1,16,164.00				
कुल		3,99,32,38,885.00	5,24,85,38,074.00	कुल		3,99,32,38,885.00	5,24,85,38,074.00

दिनांक: 5 जुलाई, 2021
स्थान: नई दिल्ली

राकेश कुमार गुप्ता
वित्त एवं लेखा अधिकारी

राकेश कुमार राय
साथि

अमय बाकरे
महानिदेशक



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1

(राशि ₹ में)

अनुसूची 1 – ऊर्जा संरक्षण निधि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. ऊर्जा संरक्षण कोष				
1. समग्र निधि				
आगे लाया गया प्रारंभिक शेष				
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि (बीईई)	50,00,00,000		50,00,00,000	
समग्र निधि के लिए योगदान (समग्र निधि का विस्तार – एनएमईईई)	45,00,00,000		31,49,11,500	
	95,00,00,000		81,49,11,500	
जोड़ें: वर्ष के दौरान समग्र निधि में योगदान (समग्र निधि का विस्तार – एनएमईईई)	-	95,00,00,000	13,50,88,500	95,00,00,000
2. मानक और लेबलिंग शुल्क (एस एंड एल)				
आगे लाया गया प्रारंभिक शेष	3,15,21,11,652		2,78,56,36,722	
घटाएँ: वर्ष के दौरान योजना को अंतरित निधि	6,76,25,017		39,74,41,650	
जोड़ें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त	60,72,03,219		55,56,06,568	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	16,10,60,918	3,85,27,50,772	20,83,10,012	3,15,21,11,652
3. भवन लेबलिंग शुल्क				
प्रारंभिक शेष आगे लाया गया	54,00,000		45,00,000	
जोड़ें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त	2,00,000	56,00,000	9,00,000	54,00,000
4. ई-प्रमाणपत्र व्यापार शुल्क				
आगे लाया गया प्रारंभिक शेष	63,46,932		62,40,958	
जोड़ें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त	3,53,056	66,99,988	1,05,974	63,46,932
5. व्यय से अधिक आय का प्रारंभिक शेष				
जोड़ें: आय और व्यय खाते से आंतरित शुद्ध आय की शेष राशि	76,11,54,439		72,97,24,571	
	2,92,83,888	79,04,38,327	3,14,29,868	76,11,54,439
कुल – 1क		5,60,54,89,087		4,87,50,13,023
ख. अन्य – पीआरजीएफईई – वीसीएफईई				
1. पीआरजीएफईई				
आगे लाया गया प्रारंभिक शेष	1,04,15,80,981		41,23,12,428	
घटाएँ: वर्ष के दौरान व्यय	4,39,352		17,09,305	
जोड़ें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त	7,68,85,940		58,91,42,082	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज (आरईसीपीडीसीएल से प्राप्त ब्याज शामिल है)	9,30,69,409	1,21,10,96,978	4,18,35,776	1,04,15,80,981
2. वीसीएफईई				
आगे लाया गया प्रारंभिक शेष	48,78,44,225		46,57,48,319	
घटाएँ: वर्ष के दौरान व्यय	-		3,49,849	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	2,43,35,051	51,21,79,276	2,24,45,755	48,78,44,225
कुल – 1ख		1,72,32,76,254		1,52,94,25,206

अनुसूची 2


अनुसूची 2 – ऊर्जा संरक्षण निधि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. पूंजीगत रिजर्व: [अनुदान-प्रकार (यूएसएआईडी), – (बीईई)]				
पिछले खाते के अनुसार	-		7,778	
घटा: वर्ष के दौरान संपत्ति की बिक्री	-		50	
घटा: वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-		7,728	
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
3. विशेष रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
4. सामान्य रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
कुल		-		-

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 3 अनुसूची 3 - निर्धारित निधियाँ (अन्य)	यूएनडीपी-जीईएफ-बीईई		मानक और लेबलिंग कार्यक्रम		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. नकद में अनुदान						
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	3,15,70,030	6,34,61,934	-	-	3,15,70,030	6,34,61,934
ख) निधियों में जमा	-	-	6,76,25,017	39,74,29,532	6,76,25,017	39,74,29,532
i. दान/ अनुदान	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों के किए गए निवेश से आय/ बचत ब्याज	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य जमा/ दर अंतर	-	-	-	-	-	-
कुल (क+ख)	3,15,70,030	6,34,61,934	6,76,25,017	39,74,29,532	9,91,95,047	46,08,91,466
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/ व्यय						
i. पूंजीगत व्यय						
- अचल परिसंपत्तियाँ	-	1,03,890	80,000	-	80,000	1,03,890
- जांच परीक्षण उपकरण (हाथ में स्टॉक)	-	-	32,53,404	35,29,904	32,53,404	35,29,904
कुल	-	1,03,890	33,33,404	35,29,904	33,33,404	36,33,794
ii. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	65,51,164	95,33,007	62,65,302	1,11,54,891	1,28,16,466	2,06,87,898
- अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यहास)	66,068	2,22,55,007	5,80,26,311	38,27,44,737	5,80,92,379	40,49,99,744
- रिफंड/ अंतरित की गई राशि	-	-	-	-	-	-
कुल	66,17,232	3,17,88,014	6,42,91,613	39,38,99,628	7,09,08,845	42,56,87,642
कुल (ग)	66,17,232	3,18,91,904	6,76,25,017	39,74,29,532	7,42,42,249	42,93,21,436
आय एवं व्यय लेखा में अंतरित राशि						
वर्ष के अंत में नितल शेष (क)	2,49,52,798	3,15,70,030	-	-	2,49,52,798	3,15,70,030
ख. नकद में अनुदान						
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	1,19,663	60,917	1,16,98,181	88,25,547	1,18,17,844	88,86,464
ख) निधियों में जमा	-	1,03,890	1,20,000	-	1,20,000	1,03,890
i. अन्य वृद्धि/ संपत्ति/ निधि अंतरित	-	-	32,53,404	35,29,904	32,53,404	35,29,904
ii. जांच परीक्षण उपकरण (हाथ में स्टॉक)	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क + ख)	1,19,663	1,64,807	1,50,71,585	1,23,55,451	1,51,91,248	1,25,20,258
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/ व्यय						
i. पूंजीगत व्यय						
- अचल परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
- संपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-	77,986	-	77,986	-
कुल	-	-	77,986	-	77,986	-
ii. आरक्षित व्यय						
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यहास)	38,743	45,144	4,74,810	6,57,270	5,13,553	7,02,414
कुल	38,743	45,144	4,74,810	6,57,270	5,13,553	7,02,414
कुल (ग)	38,743	45,144	5,27,966	6,57,270	5,91,539	7,02,414
वर्ष के अंत में नितल शेष (ख)	80,920	1,19,663	1,45,18,789	1,16,98,181	1,45,99,709	1,18,17,844
कुल योग (क + ख)	2,50,33,718	3,16,89,693	1,45,18,789	1,16,98,181	3,95,52,507	4,33,87,874
				अनुसूची-3	81,68,11,219	1,17,78,710
				अन्य	3,95,52,507	4,33,87,874
				कुल	85,63,63,726	1,22,12,66,584





वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 4

(राशि ₹ में)

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार		-		-
3. वित्तीय संस्थान				
क) सावधि ऋण	-		-	
ख) अर्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
4. बैंक:				
क) सावधि ऋण	-		-	
– अर्जित और देय ब्याज	-		-	
ख) अन्य ऋण	-		-	
– अर्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		-		-
6. डिबेंचर और बॉन्ड		-		-
7. अन्य		-		-
कुल		-		-



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 और 6

(राशि ₹ में)

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक:		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्डे	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर प्राप्त स्वीकृति	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 7

(राशि ₹ में)


अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएं और प्रावधान	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देयताएं				
विविध लेनदार				
विविध लेनदार (अन्य)		45,49,667		1,20,21,504
धरोहर जमा राशि		66,24,220		1,03,39,220
प्रतिभूति जमा		1,81,27,867		1,66,86,314
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग)				
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (एयरकंडिशनिंग)	1,33,50,000		1,29,00,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (लाइटिंग)	26,50,000		26,50,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (रेफ्रीजरेशन)	1,01,00,000		94,50,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (ट्रान्सफॉर्मर)	2,36,75,500		2,32,25,500	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (बलास्ट)	2,25,000		2,25,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (छत का पंखा)	96,00,000		89,75,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (चिल्लर)	7,50,000		6,25,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (कम्प्यूटर)	14,25,000		14,25,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (सीटीवी)	1,00,75,000		93,00,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (डीप फ्रीज़र)	2,00,000		-	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (डीजी सेट)	3,75,000		3,75,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (गैस-चूल्हा)	20,05,000		20,30,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (गीज़र)	2,25,000		2,25,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (इंवर्टर-एसी)	1,08,000		1,08,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (इंवर्टर)	1,00,000		1,00,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (एलईडी लैम्प)	66,25,000		59,50,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (एलपीजी गैस)	4,50,000		4,50,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (माइक्रोवेव ओवन)	9,00,000		6,00,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (मोनोसट पम्प)	2,25,000		2,25,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (मोटर्स)	11,75,000		11,75,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (कार्यालय स्वचालन उत्पाद)	1,00,000		1,00,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (ओपन वैल सबमर्सिबल पम्प सेट)	8,50,000		6,50,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (पम्प)	1,39,25,000		1,39,25,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (सबमर्सिबल पम्प सेट)	19,00,000		15,75,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (टीएफएल)	1,00,000		-	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (वॉशिंग मशीन)	30,50,000		19,75,000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (वॉटर हीटर)	2,08,50,000	12,50,13,500	2,00,75,000	11,83,13,500
कर्तव्यों व करों		5,31,032		62,36,330
अन्य चालू देयताएँ		1,53,00,450		1,85,03,004
कुल (क)		17,01,46,736		18,20,99,872
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए		-		-
2. ग्रेज्युटी		-		-
3. अधिवर्षिता/पेंशन (प्रतिनियुक्ति के लिए अवकाश वेतन/पेंशन अंशदान)		-		-
4. संचित अवकाश नकदीकरण		-		-
5. व्यापार वारंटी/दावे		-		-
कुल (ख)		-		-
कुल (क + ख)		17,01,46,736		18,20,99,872



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

क्र. सं.	अनुसूची 8 – अवल परिसंपत्तियां विवरण	मूल्य हास की दर	सकल ब्लॉक			मूल्य हास ब्लॉक			निवल ब्लॉक				
			01/04/20 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	बिक्री	समायोजन	31/03/21 तक	01/04/20 तक	वर्ष के लिए	बिक्री	समायोजन	31/03/21 तक	31/03/21 तक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो													
(क)	मूर्त परिसंपत्तियां												
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	फर्नीचर तथा फिक्सचर	10%	1,43,30,119	24,60,199	-	1,67,90,318	91,75,558	8,65,817	-	1,00,41,375	67,48,943	51,54,561	
4	कार्यालय उपकरण	15%	96,33,877	16,07,052	7,06,274	1,05,34,655	74,16,906	6,28,533	30,338	74,18,152	31,16,503	22,16,971	
5	वाहन	15%	28,07,424	-	-	28,07,424	21,98,635	81,823	-	22,80,458	5,26,966	6,08,789	
6	कम्प्यूटर	40%	1,86,32,330	3,75,157	-	1,90,07,487	1,80,00,576	3,33,308	-	1,83,33,884	6,73,603	6,31,754	
(ख)	अमूर्त परिसंपत्तियां												
1	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	2,72,53,363	-	-	2,72,53,363	2,72,19,222	12,540	-	2,72,31,762	21,601	34,141	
	कुल		7,26,57,113	44,42,408	7,06,274	7,63,93,247	6,40,10,897	19,22,021	5,96,949	6,53,05,631	1,10,87,616	86,46,216	
वस्तु अनुदान के तहत परिसंपत्तियां													
(क)	मूर्त परिसंपत्तियां												
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	फर्नीचर तथा फिक्सचर	10%	7,22,097	20,761	-	7,42,858	2,07,187	52,529	-	2,59,716	4,83,142	5,14,910	
4	कार्यालय उपकरण	15%	1,00,74,845	1,53,180	2,43,263	99,84,762	67,60,788	4,23,085	21,641	69,96,955	29,87,807	33,14,057	
5	वाहन	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	कम्प्यूटर	40%	85,96,914	15,99,557	-	1,01,96,471	76,90,973	7,09,232	-	84,00,205	17,96,266	9,05,941	
(ख)	अमूर्त परिसंपत्तियां												
1	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	1,08,23,178	-	-	1,08,23,178	1,02,54,586	2,26,024	-	1,04,80,610	3,42,568	5,68,592	
	कुल		3,02,17,034	17,73,498	2,43,263	3,17,47,269	2,49,13,534	14,10,870	1,65,277	2,61,37,486	56,09,783	53,03,500	
	कुल योग		10,28,74,147	62,15,906	9,49,537	10,81,40,516	8,89,24,431	33,32,891	7,62,226	9,14,43,117	1,66,97,399	1,39,49,716	
	पिछला वर्ष		11,16,29,936	16,90,990	1,04,46,779	10,28,74,147	9,60,33,419	28,36,221	99,45,209	8,89,24,431	1,39,49,716	1,55,96,517	



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 9 और 10

(राशि ₹ में)

अनुसूची 9 – निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों से निवेश		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. कॉर्पस फंड			
i. एनटीपीसी के बॉन्ड्स (20 वर्ष)	50,00,00,000		50,00,00,000
ii. बैंक ऑफ बड़ौदा – एमडीआर (कॉर्पस फंड की वृद्धि – एनएमईईई)	45,00,00,000	95,00,00,000	45,00,00,000
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य			
बैंक ऑफ बड़ौदा – पीआरजीएफईई	1,21,10,96,978		1,04,15,80,981
बैंक ऑफ बड़ौदा – वीसीएफईई	51,21,79,276		48,78,44,225
बैंक ऑफ बड़ौदा – एस एण्ड एल शुल्क	3,75,65,71,346	5,47,98,47,600	2,99,50,88,322
कुल		6,42,98,47,600	5,47,45,13,528

(राशि ₹ में)

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड		-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य		-	-
कुल		-	-



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11

(राशि ₹ में)

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:				
i. हाथ में नकद	-	-	2,430	2,430
ii. बैंक खाते				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ:				
– अनुसूचित बैंकों के साथ एफडीआर (बैंक ऑफ बड़ौदा)	85,42,54,524		76,65,70,803	
– बचत खातों पर				
बीईई (बैंक ऑफ बड़ौदा बचत व स्वीप खाता – बीईई)	1,53,88,666		9,46,98,186	
बीईई (बैंक ऑफ बड़ौदा बचत व स्वीप खाता – स्कीम योजना)	80,58,02,106		1,18,29,61,713	
बीईई (बैंक ऑफ बड़ौदा बचत – परीक्षा)	4,51,88,579		3,05,05,627	
बीईई (आईओबी, चेन्नई)	2,32,541		2,02,205	
बीईई (आईओबी, दिल्ली)	55,305	1,72,09,21,721	31,726	2,07,49,70,260
iii. हाथ में डाक टिकट		12,566		12,566
iv. जाँच परीक्षण उपकरण (एस एंड एल परियोजना)		1,27,57,708		95,04,304
कुल (11क)		1,73,36,91,995		2,08,44,89,560



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11

(राशि ₹ में)

अनुसूची 11 — वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां:				
I. अन्य अग्रिम				
सहायक सम्पदा निदेशालय	4,18,200		-	
केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलोर	6,76,872		6,76,872	
कंफर्मटी भारत इंटरनेशनल	10,00,000		10,00,000	
सीएसओआई	-		50,000	
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, चेन्नई	94,36,436		-	
द अशोक - आईटीडीसी	33,26,270		-	
एसजीएस	10,00,000	1,58,57,778	10,00,000	27,26,872
II. स्टाफ अग्रिम				
हेमंटर कुमार	-		1,17,628	
ओमपाल	-		1,200	
राशीष चौहान	27,420		-	
श्याम सुंदर गोयल	200	27,620	2,500	1,21,328
III. अन्य जमा (प्रतिभूति जमा)				
बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (ट्रेवल एजेंट)	2,00,000		2,00,000	
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस - सदस्यता प्रतिभूति जमा)	10,000		10,000	
इंडिया हैबिटेड सेंटर (सदस्यता प्रतिभूति जमा)	1,50,000		1,50,000	
एमटीएनएल के साथ जमा (पीआरआई संबंध)	21,000		21,000	
पेट्रोल-पम्प के साथ जमा (लक्ष्मी सुपर सर्विसेज)	10,000		10,000	
एनडीएमसी के साथ जमा (गो-इलेक्ट्रिक लॉन्च इवेंट)	1,09,600		-	
प्रतिभूति जमा (रिलायंस जियो - जॉंगल की संख्या 6)	6,000	5,06,600	6,000	3,97,000
IV. अर्जित आय				
निवेश/स्थायी जमा रसीदों पर				
i. बीईई	4,55,52,036		5,33,85,417	
ii. एनएमईईई	1,63,26,205		2,06,54,886	
iii. एस एंड एल	9,60,95,746	15,79,73,987	15,69,39,650	23,09,79,953
V. अन्य प्राप्तियां				
बीईई				
भारतीय उद्योग परिसंघ	55,000		-	
मिलिद बी देवरे	10,500		10,500	
पीओएसओसीओ	1,00,540		1,00,540	
सीनियर पोस्ट मास्टर	354		354	
तुव सूद	6,000	1,72,394	6,000	1,17,394
मानक व लबेलिंग (एस व एल)				
बैंक ऑफ बड़ौदा (बिल डेस्क)				
फ्यूचर रिटेल लिमिटेड	500		500	
जॉनसन इलेक्ट्रिकल आप्लइसेंस	1,000		1,000	
ला. गज्जर मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड	59,470		59,470	
ओस्वेल पंप्स प्राइवेट लिमिटेड	2,000		2,000	
राजेश्वरी इंजीन्यरिंग वर्क्स	18,200		18,200	
विडियोकोण इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2,000		2,000	
मौसम निर्माता	510	83,680	510	83,680
VI. पूर्व प्रदत्त व्यय				
पूर्व प्रदत्त (एयरकंडिशनर)	2,57,894		3,79,154	
पूर्व प्रदत्त (कम्प्यूटर)	1,40,225		13,861	
पूर्व प्रदत्त (रखरखाव - एक्वागार्ड प्योर)	-		1,166	
पूर्व प्रदत्त (वेब होस्टिंग शुल्क)	6,745		19,241	
पूर्व प्रदत्त (स्टाफ कार बीमा)	10,883		11,589	
पूर्व प्रदत्त (सदस्यता - स्वामी न्यूज)	1,003	4,16,750	643	4,25,654
कुल (11ख)		17,50,38,809		23,48,51,881
कुल (11क + 11ख)		1,90,87,30,804		2,31,93,41,441



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां


अनुसूची 12 और 13

(राशि ₹ में)

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रोसेसिंग शुल्क	-	-
ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ड.) अन्य	-	-
कुल	-	-

(राशि ₹ में)

अनुसूची 13 – अनुदान/राजसहायता	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(अपरिवर्तनीय अनुदान और प्राप्त राजसहायता)		
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकारें	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
कुल	-	-



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 14 और 15

(राशि ₹ में)

अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क (राष्ट्र स्तरीय प्रमाणन परीक्षा-2019/20वीं परीक्षा)	-	4,29,07,476
वार्षिक शुल्क (राष्ट्र स्तरीय प्रमाणन परीक्षा-2020/21वीं परीक्षा)	2,61,45,423	-
3. ऊर्जा लेखा परीक्षक प्रत्यायन शुल्क	39,000	1,25,000
कुल	2,61,84,423	4,30,32,476

(राशि ₹ में)

अनुसूची 15 – निवेश से आय	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश पर आय				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बांड (एनटीपीसी – कॉर्पस फंड)	4,24,00,000	4,24,00,001	-	-
ग) एफडीआर (विजय बैंक – कॉर्पस फंड)	2,69,25,134	2,74,21,772	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य -	-	-	-	-
कुल	6,93,25,134	6,98,21,773	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि में अंतरित	-	-		



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 16 और 17

(राशि ₹ में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) रॉयल्टी से आय	-	-
ख) प्रकाशनों से आय	-	-
कुल	-	-

(राशि ₹ में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
ब्याज आय – बैंक ऑफ बड़ौदा	4,86,13,624	5,86,02,657
ब्याज आय – बैंक ऑफ बड़ौदा (परीक्षा-खाता)	18,84,605	16,86,315
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, चेन्नई	6,707	2,777
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, दिल्ली	35,328	15,791
प्राप्त ब्याज – बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली	1,03,686	1,24,101
प्राप्त ब्याज – बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली (परीक्षा)	5,969	22,505
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) डाकघर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	68,322	-
3. ऋण पर :		
क) कर्मचारी / स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	.	.
5. ग्रेच्युटी फंड पर ब्याज	.	.
कुल	5,07,18,241	6,04,54,146



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18, 19 और 20

(राशि ₹ में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदान से या निःशुल्क अर्जित परिसंपत्तियां	-	50
2. विविध रसीदें	9,58,447	10,26,533
3. अन्य (बट्टे खाते में डाला गया विविध शेष)	-	-
कुल	9,58,447	10,26,583

(राशि ₹ में)

अनुसूची 19 – तैयार वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि/कमी और चल रहा कार्य	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) बंद स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– कार्य प्रगति पर	-	-
ख) घटा: प्रारंभिक स्टॉक	-	-
– तैयार माल	-	-
– कार्य प्रगति पर	-	-
निवल वृद्धि/कमी (क-ख)	-	-

(राशि ₹ में)

अनुसूची 20 – स्थापना खर्च	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
क) वेतन और मजदूरी	7,95,49,883	7,93,79,649	5,89,39,459	5,81,93,419
ख) भत्ते और बोनस	33,36,805	33,36,805	29,48,172	30,76,300
ग) ईपीएफ शुल्क	90,88,391	99,65,582	87,97,084	87,19,459
घ) अन्य (अवकाश वेतन)	3,59,478	3,59,478	3,54,397	3,54,397
कृ) अन्य (पेंशन योगदान)	8,96,115	8,96,115	7,80,189	7,80,189
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ पर व्यय (उपदान)	14,53,049	14,53,049	37,28,541	37,28,541
छ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ पर व्यय (अवकाश नकदीकरण)	18,53,162	18,53,162	7,22,585	7,22,585
ज) कर्मचारी कल्याण व्यय	22,82,822	22,81,708	17,45,907	17,91,491
कुल	9,88,19,705	9,95,25,548	7,80,16,334	7,73,66,381



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 21

(राशि ₹ में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
क) मरम्मत और रखरखाव	10,85,271	11,45,080	1,16,77,351	1,20,45,114
ख) वाहन चलाना और रखरखाव	9,68,805	12,15,527	10,88,375	8,03,458
ग) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	5,67,065	5,84,703	4,82,993	4,96,581
घ) छपाई और स्टेशनरी	7,28,328	7,32,028	14,35,526	14,44,046
ङ) यात्रा और वाहन खर्च	1,47,975	5,72,068	33,44,224	29,90,130
च) कार्यशाला, संगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय	2,23,364	2,18,806	9,26,196	9,75,454
छ) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	6,86,400	6,06,000	2,90,880	-
ज) कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	8,09,358	8,17,578	11,05,520	15,04,590
झ) विज्ञापन और प्रचार	2,16,053	1,51,830	55,045	55,045
ञ) आईपीईईसी में अंशदान	-	-	-	-
ट) आईईए (सीईएम) में अंशदान	20,08,853	-	6,18,849	2,30,449
ठ) कार्यालय रखरखाव	7,83,244	7,67,474	11,36,320	20,29,177
ड) बैंक प्रभार	106	106	88	88
कुल (क)	82,24,822	68,11,200	2,21,61,367	2,25,74,132

(राशि ₹ में)

अनुसूची 21 – पूर्व अवधि व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
क) लेखा-परीक्षा शुल्क	18,77,860	18,77,860	-	-
ख) आईईए (सीईएम) में योगदान	39,73,794	19,64,942	-	-
ग) कार्यालय रखरखाव	4,98,967	4,98,967	3,61,990	3,61,990
घ) छपाई और स्टेशनरी	46,640	46,640	-	-
क) मरम्मत और रखरखाव	1,27,060	1,27,060	4,000	4,000
च) कर्मचारी कल्याण	66,140	66,140	8,970	8,970
छ) सदस्यता व्यय	-	-	30,525	30,525
ज) टेलीफोन व्यय	58,785	58,785	23,235	23,235
प) यात्रा व्यय	3,25,153	3,25,153	-	-
झ) वाहन चलाना और रखरखाव	25,826	25,826	-	-
कुल	70,00,225	49,91,373	4,28,720	4,28,720
घटाएं : पिछले वर्ष में दावा किया गया व्यय अब सही किया गया और स्थायी सम्पत्तियों में अंतरित किया गया	37,33,822	-	-	-
कुल ख	32,66,403	49,91,373	4,28,720	4,28,720
कुल ग = (क + ख)	1,14,91,225	1,18,02,573	2,25,90,087	2,30,02,852



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
<u>परियोजना व्यय – (बीईई)</u>				
राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन परीक्षा	56,48,019	67,64,859	4,03,67,435	3,14,68,225
ऊर्जा लेखा परीक्षक प्रत्यायन	22,400	22,400	1,56,310	1,56,310
	56,70,419	67,87,259	4,05,23,745	3,16,24,535
<u>अनुदान-सहायता परियोजनाएं (विद्युत मंत्रालय)</u>				
<u>बीईई</u>				
ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)	-	17,14,98,878	-	9,39,02,536
राज्य नामित एजेंसियां (एसडीए)	-	30,43,87,852	-	43,95,18,312
राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (एसईसीएफ)	-	8,00,00,000	-	4,00,00,000
कृषि और नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एजी.डीएसएम)	-	5,03,84,735	-	5,19,46,602
नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयू.डीएसएम)	-	15,229	-	4,03,24,624
लघु मध्यम उद्यम (एसएमई)	-	1,41,76,678	-	1,47,95,545
डिस्कॉम का क्षमता निर्माण	-	9,86,34,511	-	4,70,46,965
<u>ईसी</u>				
ऊर्जा संरक्षण जागरूकता (जागरूकता अभियान)	-	12,46,06,231	-	11,31,34,137
राष्ट्रीय विस्तारित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)	-	17,38,62,085	-	17,65,57,698
सुपर दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)	-	-	-	10,73,281
<u>ईएपी</u>				
बीईई-जीईएफ-डब्ल्यूबी-परियोजना	-	6,55,920	-	2,40,98,786
	-	1,01,82,22,119	-	1,04,23,98,486
<u>परियोजना व्यय – (अन्य)</u>				
यूएनडीपी परियोजना	-	65,72,287	-	2,96,74,730
मानक और लेबलिंग (एस एंड एल)	-	6,63,14,709	-	39,37,43,804
	-	7,28,86,996	-	42,34,18,534
कुल (घ)	56,70,419	1,09,78,96,374	4,05,23,745	1,49,74,41,555
कुल ङ = (ग+घ)	1,71,61,644	1,10,96,98,947	6,31,13,832	1,52,04,44,407



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां


अनुसूची 22 और 23

(राशि ₹ में)

अनुसूची 22 – अनुदान, राजसहायता आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थानों/संगठनों को दी जाने वाली राजसहायता	-	-
कुल	-	-

(राशि ₹ में)

अनुसूची 23 – ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) नियत ऋण पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग) अन्य	-	-
कुल	-	-



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का
भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1) लेखांकन सम्मेलन

क. वित्तीय विवरण पहले लगाई गई लागत सम्मेलन के तहत और लेखांकन की बढ़ती पद्धति पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

ख. स्थायी कर्मचारियों को वेतन और भत्तों के खर्च के मामले में नकद आधार पर बुक किया जाता है।

2) माल

माल का मूल्य लागतों पर तय किया जाता है।

3) निवेश

निवेशों को लागत अनुसार आकलित किया जाता है।

4) स्थायी सम्पत्तियां

क. स्थायी सम्पत्तियाँ अधिग्रहण की लागत पर बताई गई हैं, जिसमें आने वाला भाड़ा, शुल्क और कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं।

ख. गैर-मौद्रिक अनुदान (समग्र निधि के अलावा) के माध्यम से प्राप्त स्थायी सम्पत्तियों को पूंजीगत आरक्षित से संबंधित आकलन द्वारा बताए गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

ग. मदों में अनुदान का प्रतिनिधित्व करने वाली स्थायी सम्पत्तियों पर वर्ष के दौरान दी गई ऐसी सम्पत्तियां मूल्यहास की राशि से कम हो जाती हैं और मदों में अनुदान के द्वारा बनाए गए पूंजीगत आरक्षित में इसी तरह की कमी की जाती है।

5) मूल्यहास

क. स्थायी सम्पत्तियों पर मूल्यहास की गणना आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दर के अनुसार अनुपयोगी वस्तुओं को छोड़कर लिखित मूल्य पर की जाती है।

ख. वर्ष के दौरान स्थायी सम्पत्तियों में वृद्धि/कटौती के संबंध में, मूल्यहास को यथानुपात आधार पर निम्न माना जाता है :-


180 दिनों तक अर्जित/उपयोग के लिए रखी गई सम्पत्ति = छह महीने के लिए मूल्यहास

180 दिनों से अधिक के लिए अर्जित/उपयोग के लिए रखी गई सम्पत्ति = पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास

ग. ₹5,000/- या उससे कम की लागत वाली सम्पत्ति पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाती है।



- घ. मूल्यहास में स्थायी सम्पत्तियों को अलग किया जाता है और स्थायी सपत्तियों के मदों में अनुदान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ङ अनुपयोगी सम्पत्तियों पर मूल्यहास नहीं दिया गया है।
- 6) अनुदान और राजस्व के लिए लेखांकन**
- मानक और लेबलिंग योजना के तहत प्राप्त लेबलिंग शुल्क सहित अनुदान और राजस्व का लेखा-जोखा ब्याज आय को छोड़कर प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।
- 7) सरकार और अन्य अनुदान / सब्सिडी**
- क. परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए पूंजीगत लागत को प्रकृति के योगदान में सरकारी अनुदान को पूंजी आरक्षित के रूप में माना गया है।
- ख. स्थायी सम्पत्तियों के रूप में प्राप्त मदों में अनुदान ऐसी सम्पत्तियों पर दिए गए हैं जो मूल्यहास के पूंजीगत आरक्षित के तहत दिखाया गया है।
- ग. सरकार और अन्य अनुदान / सब्सिडी का हिसाब वसूली के आधार पर किया जाता है और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान के तहत आय के रूप में दिखाया जाता है।
- घ. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों के प्रति विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए व्यय को अनुदान जारी करके वर्ष के लिए हिसाब में लिया जाता है।
- 8) विदेशी मुद्रा लेनदेन**
- क. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्ग के लेन-देन का हिसाब लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।
- ख. चालू परिसम्पत्तियां, विदेशी मुद्रा ऋण और चालू देनदारियां वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को संबंधित परियोजनाओं के तहत लागत में समायोजित किया जाता है।
- 9) लीज**
- लीज रेंटल लीज शर्तों के संदर्भ में खर्च किए जाते हैं।
- 10) सेवानिवृत्ति लाभ**
- क. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों की मृत्यु/रिटायरमेंट पर देय उपदान की देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है।
- ख. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण लाभ की देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की अवकाश नकदीकरण लाभ पॉलिसी को लिया है।
- ग. "ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें) नियम, 2017" नाम के नियम के अनुसार, सभी रिटायर्ड कर्मचारी मेडिकल खर्च (इनडोर और आउटडोर) की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं।



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का
भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 – लेखों पर टिप्पणियां

1) आकस्मिक देयताएं

शून्य

2) वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और लाभ

प्रबंधन की राय में, चालू सम्पत्तियां, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य लेन-देन के सामान्य क्रम में वसूली के आधार पर होता है, जो कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

3) कराधान

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 49, आय पर कर से छूट देती है – "आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या आय पर कर से संबंधित किसी अन्य अधिनियम में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, लाभ या वृद्धि –

(क) ब्द ब्यूरो

(ख) मौजूदा ऊर्जा प्रबंधन केंद्र इसके गठन की तारीख से ब्यूरो की स्थापना की तारीख तक,

अपनी आय, लाभ या प्राप्त लाभ के संबंध में किसी भी आयकर या किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे"।

इसके अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के तहत ब्यूरो की कर योग्य कोई आय नहीं है, और इसलिए आयकर के किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

4) विदेशी मुद्रा लेनदेन

ब्यूरो ने परियोजनाओं हेतु विदेशी यात्रा व्यय के लिए विदेशी मुद्रा खर्च किया है।


5) सेवानिवृत्ति लाभ

ब्यूरो ने भारतीय जीवन बीमा निगम को ग्रेच्युटी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम हेतु ₹14,53,049/- और



बीईई और एनएमईईई के नियमित कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण लाभों के लिए ₹18,53,162/- के खर्चे दर्ज किए हैं। बीईई एलआईसी (एक सरकारी निकाय) के माध्यम से अपने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी/छुट्टी नकदीकरण रखता है, एलआईसी बीईई और एनएमईईई के कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन करता है। एलआईसी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार, 31.3.2021 को ग्रेच्युटी फंड और समूह अवकाश नकदीकरण योजना का बीमांकिक मूल्यांकन इस प्रकार है।

- i. ग्रेच्युटी निधि – ₹1,46,99,684 /- (पिछले वर्ष – ₹1,29,12,150 /-)
 - ii. सामूहिक अवकाश नकदीकरण योजनाएं – ₹1,19,95,412 /-(पिछले वर्ष – ₹1,02,25,670 /-)
- 6) ब्यूरो ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की अप्रयुक्त निधियों के संबंध में बैंक के साथ स्वीप खातों पर ब्याज आय अर्जित की है। जबकि, मासिक औसत शेष के आधार पर अप्रयुक्त निधि पर गणना की गई ब्याज आय को प्राप्त ब्याज आय में से संबंधित योजनाओं में जमा किया गया है और इसे विद्युत मंत्रालय को वापस किया जा रहा है।
 - 7) ब्यूरो ने पीआरजीएफईई के तहत निर्धारित निधि (अनुसूची-1) के तहत ₹1,21,10,96,978/- (गत वर्ष – ₹1,04,15,80,981/-) (वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित) दिखाया है। वीसीएफईई के तहत शेष राशि ₹51,21,79,276/- है (गत वर्ष – ₹48,78,44,225/-) इसमें वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज शामिल है। इसे बैंक ऑफ बड़ौदा में अलग-अलग खातों में जमा किया गया है और इसे (अनुसूची-9) में दिखाया गया है।
 - 8) वर्ष के दौरान ₹76,82,64,137/- (अनुसूची-1) की राशि ब्याज सहित (गत वर्ष – ₹76,39,16,580/-) ब्यूरो द्वारा ईसी अधिनियम की धारा 14 के खंड (क), (ख) और (घ) के तहत मानक व लेबलिंग कार्यक्रम लागू कर प्राप्त किया गया है। ब्यूरो ने समरूपता बनाए रखने के लिए रसीद के आधार पर मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एस व एल) के तहत लेबलिंग शुल्क पर विचार किया।
 - 9) वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 12वीं योजना के लिए प्रस्तावित मानक व लेबलिंग कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। ईएफसी बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि योजना से संबंधित सभी व्यय योजना में उत्पन्न आय अर्थात् "ऊर्जा संरक्षण निधि" से वहन किया जाएगा। इसके अनुसार, वर्ष के दौरान योजना के व्यय को पूरा करने के लिए ₹6,76,25,017/- (गत वर्ष – ₹39,74,41,650/-) की राशि को ऊर्जा संरक्षण निधि" (अनुसूची-1) से अनुसूची-3 में स्थानान्तरित किया गया था।
 - 10) वर्ष 2017-18 के दौरान, पीएटी साइकिल-1 के तहत, ई-प्रमाणपत्र (ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र) व्यापार की योजना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना संख्या L-1/97/2016 दिनांक 27.05.2016 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। योजना के तहत, बीईई योजना के प्रशासक के रूप में कार्य करता है और पोसोको की भूमिका



रजिस्ट्री के समान है। पोसोको पात्र संस्थाओं से सभी व्यय और शुल्क इकट्ठा करेगा और उन्हीं के लिए सभी खातों की पुस्तकों का मँटेन करेगा। पोसोको रजिस्ट्री और प्रशासक के बीच 50:50 के अनुपात में शुल्क और व्यय को साझा करेगा।

- 11) मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एस व एल) के तहत ₹1,27,57,708 /— (गत वर्ष ₹95,04,304 /—) के चैक परीक्षण उपकरणों को चालू सम्पत्ति के रूप में दिखाया गया है, जो तीसरे पक्ष (टेस्ट लैब्स) के पास अलग-गलग स्थानों पर रखे हुए है। ये मालसूची मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत हैं न कि व्यापार उद्देश्य के लिए। 31.03.2021 को चैक परीक्षण उपकरणों का विवरण इस प्रकार है :-

i.	एयर कंडिशनर	—	₹	44,30,777 /—
ii.	छत के पंखे	—	₹	19,420 /—
iii.	इंडक्शन कुकटॉप	—	₹	38,138 /—
iv.	इंडक्शन मोटर्स	—	₹	3,58,682 /—
v.	पम्प्स सैट	—	₹	11,34,274 /—
vi.	रेफ्रिजरेटर	—	₹	34,72,811 /—
vii.	टेलीविजन	—	₹	26,26,620 /—
viii.	ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैम्प	—	₹	2,05,867 /—
ix.	वॉशिंग मशीन	—	₹	1,97,344 /—
x.	वॉटर हीटर	—	₹	8,73,775 /—
कुल		—	₹	1,27,57,708 /—

- 12) गैर-उपयोगी मदों पर ₹9,60,601 /— की राशि डब्ल्यू.डी.वी (गत वर्ष — ₹95,993 /— डब्ल्यू.डी.वी) पर कोई मूल्यहास आरोपित नहीं किया है, जो स्थायी सम्पत्तियों में शामिल है।
- 13) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त ₹37,33,822 /— की स्थायी सम्पत्ति अनजाने में 'स्थायी सम्पत्ति' के बजाय 'मरम्मत और रखरखाव' खाता शीर्ष के तहत बुक किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए इस संशोधन में संबंधित शीर्षों में सम्पत्तियाँ बुक की गई हैं और इसके साथ मूल्यहास प्रभारित किया गया है।



- 14) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) संयुक्त रूप से सिडबी के साथ एक जीईएफ द्वारा फंड की गई परियोजना (एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता का फाइनेंसिंग) निष्पादित कर रहा है। कार्यान्वयन एजेंसी विश्व बैंक की परियोजना है। यह परियोजना सितंबर, 2010 में शुरू हुई थी और परियोजना पूरी होने की तारीख 30 दिसम्बर, 2014 थी। विश्व बैंक द्वारा दिसंबर, 2014 में परियोजना का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन की योजना के तहत, परियोजना को और 2 वर्षों के लिए अर्थात् 30 दिसंबर, 2016 तक बढ़ा दिया गया था।

नवम्बर 2016 में, परियोजना को 4 मई, 2019 तक समय विस्तार के साथ 5.19 मिलियन अमरीकी डालर का अतिरिक्त जीईएफ अनुदान दिया गया है। अतिरिक्त फंड के तहत बीईई के लिए बजट का आवंटन 1.42 मिलियन अमरीकी डालर है।


बीईई द्वारा 31 मार्च 2021 तक 13.34 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खर्च की गई 0.09 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

- 15) बोली प्रक्रिया शुल्क और आरटीआई शुल्क आदि ₹9,58,447 /- (गत वर्ष - ₹10,26,533 /- आरटीआई शुल्क सहित) अनुसूची-18 - अन्य आय के तहत "विविध सेवाओं के लिए शुल्क" के रूप में दिखाया गया है।
- 16) ईसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (एन), (ओ) और (पी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-धारा (2) के खंड (डी), (ई) और (एफ) की धारा 58 और धारा 8 के तहत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, 2004 से ऊर्जा प्रबंधकों और लेखा परीक्षकों की पहचान करने के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। एकत्र किया गया परीक्षा शुल्क और उस पर होने वाला व्यय इस प्रकार है:

01.04.2020 को शेष राशि	-	₹	31,23,74,615/-
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	-	₹	2,61,45,423/-
घटा: वर्ष के दौरान व्यय	-	₹	49,04,494/-
31.03.2020 तक शेष राशि	-	₹	33,36,15,544/-


इसके अतिरिक्त शेष राशि को अनुसूची -1 के तहत "व्यय से अधिक आय" में शामिल किया गया है।

- 17) बीईई और एनएमईईई के नियमित कर्मचारियों के खातों में मार्च, 2021 माह के वेतन व भत्तों का प्रावधान नहीं किया गया है, जो अगले वर्ष देय है।



सरकार द्वारा जनवरी से मार्च, 2021 के महीने का डीए बकाया रोक दिया गया है।

- 18) पिछले वर्ष के तदनुरूपी आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध / पुनः व्यवस्थित किया गया है।
- 19) अनुसूची 1 से 25 संलग्न हैं और 31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र का एक अभिन्न हिस्सा बनाते हैं और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते क्रमबद्ध हैं।



4. प्रशासन

- 4.1 शिकायत निवारण
- 4.2 सूचना का अधिकार अधिनियम
- 4.3 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण
- 4.4 अल्पसंख्यकों का कल्याण
- 4.5 राजभाषा का कार्यान्वयन
- 4.6 सतर्कता
- 4.7 दिव्यांगजनों का कल्याण



4.1 शिकायत निवारण

लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत (डीएआरपीजी) विभाग के सहयोग से एनआईसी द्वारा विकसित एनआईसीएनईटी पर एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएम) के माध्यम से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में शिकायतें प्राप्त होती हैं।

2020-21 के दौरान, सीपीजीआरएम पोर्टल से बीईई में 59 शिकायतें प्राप्त हुईं और उन्हें स्वीकार्य समय सीमा के भीतर निपटाया गया।

4.2 सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2020-21 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले 184 आवेदन बीईई में प्राप्त हुए और इन सभी का उत्तर स्वीकार्य समय सीमा के भीतर दिया गया।

इसी अवधि के दौरान अपीलीय प्राधिकारियों को भी 15 अपीलें प्राप्त हुईं, उनका भी स्वीकार्य समय सीमा के भीतर निपटारा कर दिया गया।

4.3 अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण


ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रोफार्मा में दर्शाया गया है :-

समूह	31.03.2021 तक कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व					
		एससी	एससी%	एसटी	एसटी%	ओबीसी	ओबीसी%
क	14	02	14.28%	—	—	—	—
ख	07	—	—	—	—	—	—
ग	01	—	—	—	—	—	—
कुल	22	02	9.09%	—	—	—	—

4.4 अल्पसंख्यकों का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रोफार्मा में दर्शाया गया है:-

समूह	31.03.2021 तक कुल कर्मचारी	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व	अल्पसंख्यकों का प्रतिशत
क	14	01	7.14%
ख	07	—	—
ग	01	—	—
कुल	22	01	4.54%



4.5 राजभाषा का कार्यान्वयन

कार्यालय के कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाता है। वर्ष के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम के तहत नियमों के अनुसार हिंदी में अधिक से अधिक आधिकारिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और हिंदी कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया।

14-28 सितंबर, 2020 के दौरान बीईई में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। पखवाड़ा के दौरान, ऊर्जा दक्षता पर निबंध प्रतियोगिता, हिंदी कविता पाठ और स्लोगन प्रतियोगिता जैसी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को आठ पुरस्कार अर्थात् प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और पांच प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए।

वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। गहन ज्ञान और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ अतिथि वक्ताओं ने न केवल अपने विचार और ज्ञान साझा किए बल्कि राजभाषा अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार हिंदी में अपने दैनिक सरकारी कार्य करने में प्रतिभागियों को आने वाली समस्याओं को हल करने में भी मदद की। इन कार्यशालाओं में भाग लेने से सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में काफी मदद मिली। इन कार्यशालाओं में भाग लेने के बाद कर्मचारियों ने फाइलों में यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में नोट्स टाइप करना शुरू कर दिया है। हिंदी में 'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या प्रत्येक तिमाही में बढ़ रही है। इसके अलावा, महानिदेशक (बीईई) की अध्यक्षता में नियमित रूप से हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गईं।

4.6 सतर्कता

वर्ष 2020-21 के दौरान, कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई अनुशासनात्मक मामला शुरू नहीं किया गया।

4.7 दिव्यांगजनों का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रारूप में दर्शाया गया है :-

समूह	31.03.2021 तक कुल कर्मचारी	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
क	14	—	—	01	01	7.14%
ख	07	—	—	01	01	14.28%
ग	01	—	—	—	—	—
कुल	22	—	—	02	02	9.09%





ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

चौथी मंज़िल, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली – 110 066 (भारत)

टेलीफोन : +91-11-26766700, फ़ैक्स नं.: +91-11-26178328/52

वेबसाइट : www.beeindia.gov.in